खण्ड ५ — अंक १३
१ अगस्त, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा
वा द - वि वा द

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

1st Lok Sabha

(XIII Session)

(खण्ड ५ में अंक १ से अंक २० तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

पच्चीस नये पैसे (देश में) १ शिलिंग (विदेश में)

विषय-सूचि

(खण्ड ५, संख्या १–२०—१६ जुलाई से १० अगस्त)

पृष्ठ

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

सदस्य द्वारा शपथ ग्रहण . . . १

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १, ३ से ८, १० से १२, १४ से २१, २३ से २५, २७ और २९ से ३१ . . . . १–२४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २, ९, १३, २२, २८ और ३२ से ३४ . २४–२६

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २२, २४ और २५ . . . २६–३६

दैनिक संक्षेपिका . . ३८–३९

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३५, ३९, ४१, ४२, ४४ से ५०, ५२ से ५७, ६० और ६१ . . . . . ४१–६२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३६ से ३८, ४०, ४३, ५१, ५८, ५९, ६२ से ६७ . . . . . ६२–६७

अतारांकित प्रश्न संख्या २६ से ५९ . ६७–८०

दैनिक संक्षेपिका . ८१–८३

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८, ६९, ७१ से ७४, ७६, ७८, ८०, ८२, ८३, ८५, ८६, ८८, ९० से ९३, ९६ से ९९ . . . ८५–१०६

प्रश्नों के लिखित उत्तर —

तारांकित प्रश्न संख्या ७०, ७५, ७७, ७९, ८१, ८४, ८७, ८९, ९४, ९५, १०० से ११३, ११५ से १२८ . . . . १०६–१९

अतारांकित प्रश्न संख्या ६० से ८१, ८३ . . . ११९–२६

पृष्ठ

तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . . १२६

दैनिक संक्षेपिका १२८–३०

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १२९ से १३२, १३४, १३६ से १३८, १४०, १४१ १४३, १४७, १५० से १५३, १५६, १५७, १३५ और १३९ . १३१–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १३३, १४४ से १४६, १४८, १४९, १५४, १५५, १५८ . . . . . १५४–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८४ से १०१ १५६–६४

दैनिक संक्षेपिका . . १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १५९ से १६७, १६९, १७१, १७२, १७४ से १७६ और १८० से १८६ . . . . . १६७–९०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ १९०–९२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १६८, १७०, १७३, १७७, १७८ और १८७ से१९६ १९२–९६

अतारांकित प्रश्न संख्या १०२ से १३० १९७–२०९

दैनिक संक्षेपिका २१०–१२

अंक ६, मंगलवार, २४ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या १९७ से २०२, २०४ से २०६, २०८, २०९, २१२ २१३, २१६ से २२७, २१५ और २१० . . . २१३–३६

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या २०३, २०७, २११, २१४ २३६–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या १३१ से १३९ २३७–४१

दैनिक संक्षेपिका २४२–४३

पृष्ठ

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २४२, २४४ से २५२, २५४ और २५५ . २४४–६५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४३, २५३ और २५६ से २८६ २६६–७५

अतारांकित प्रश्न संख्या १४० से १७६ . . २७६–८८

दैनिक संक्षेपिका . . . २८९–९१

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २८७ से २९२, २९४ से २९८, ३०० से ३०२ ३०४ से ३११ और ३१४ . २९२–३१४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २९३, २८८, ३०३, ३१२, ३१३, ३१५ से ३३८ और ३४१ . . . ३१४–२४

अतारांकित प्रश्न संख्या १७७ से २१ ३२४–३५

दैनिक संक्षेपिका . . ३३६–३७

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३४२, ३४४, ३४६ से ३४८, ३५४, ३७४, ३४९ से ३५३, ३५५, ३५६, ३५८, ३५९ और ३६१ से ३६७ ३३९–५७

अल्प-सूचना प्रश्न संख्या २ से ४ ३५७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न ३४३, ३४५, ३५७, ३६०, ३६४ से ३७३, ३७५ से ३८२ और ३८४ से ३९३ . . . . . ३६७–७७

अतारांकित प्रश्न संख्या २१२ से २४० . ३७७–८७

दैनिक संक्षेपिका ३८८–९०

अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३९६, ३९८ से ४००, ४०२ से ४०६, ४०८, ४११, ४१२, ४१५, ४१७, ४१८, ४२०, ४२१, ४२३, ४२६, ४२९, ४३१, ४३२ ४३५ और ४३६ . . . ३९१–४११

पृष्ठ

अल्प सुचना प्रश्न संख्या ५ . . ४१२–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ३९४, ३९५, ३९७, ४०१, ४०७, ४०९, ४१०, ४१३ ४१४, ४१६, ४१९, ४२४, ४२५, ४२८, ४३०, ४३३, ४३४, और ४३७ से ४४७ . . . . . ४१३–२२

अतारांकित प्रश्न संख्या २४१ से २६१ . . ४२२–२९

दैनिक संक्षेपिका ४३०–३२

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४५१ से ४५४, ४५६ से ४६०, ४६२, ४६३, ४६६, ४६८, ४६९, ४७१ से ४७७ और ४७९, ४८० . . . ४३३–५३

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ४४८ से ४५०, ४५५, ४६१, ४६४, ४६५, ४६७, ४७०, ४७८ और ४८१ से ५०० . . . . ४५३–६३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६२ से २९६ . ४६३–७६

दैनिक संक्षेपिका ४७७–७९

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०५ से ५०९, ५११ से ५२२, ५२५, ५२८, ५२९, ५३१ और ५३४ से ५३६ . . . . ४८१–५०२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५०१ से ५०४, ५१०, ५२३, ५२४, ५२६, ५२७, ५३०, ५३२, ५३३, ५३७ से ५३९ और ५४१ से ५५७ . . ५०३–१३

अतारांकित प्रश्न संख्या २९७ से ३३६ . ५१३–२४

दैनिक संक्षेपिका . ५२५–२६

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५६०, ५६१, ५६३ से ५६५, ५६७, ५६८, ५७१, ५७३ से ५७७, ५७९ और ५८० . . . . ५२९–४८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ५५८, ५५९, ५६२, ५६६, ५६९, ५७०, ५७२, ५७८ ५८१ से ५९८, ६०० से ६०६, ६०८ और ६०९ . . ५४९–५९

पृष्ठ

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३७ से ३५१ . ५५९–६४

दैनिक संक्षेपिका . ५६५–६७

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६११, ६१३ से ६१७, ६१९ से ६२४, ६२६ सें ६२९, ६३१ से ६३४, ६३७, ६३८, ६४० से ६४२ और ६४४ . . ५६९–९०

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६१०, ६१२, ६१८, १२५, ६३०, ६३५, ६३६, ६३९ ६४३ और ६४५ से ६७२ . . . . ५९०–६०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३५२ से ३८२ . . ६०२–१३

दैनिक संक्षेपिका ६१४–१६

अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्यां ६७३ से ६७८, ६८०, ६८२ से ६८४, ६८६, ६८७, ६९०, ६९१, ६९३, ६९५ से ६९८ और ७०१ से ७०५ . . ६१७–३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ६७९, ६८१, ६८५, ६८८, ६८९, ६९२, ६९४, ७०० और ७०६ से ७२१ . . . . ६३८–४५

अतारांकित प्रश्न संख्या ३८३ से ४१२ और ४१४ . ६४५–५६

दैनिक संक्षेपिका . . . ६५७–५९

अंक १६, सोमवार, ६ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२२ से ७२७, ७२९ से ७३३, ७३५ से ७३७, ७४१ से ७४३, ७४६ और ७४८ से ७५० . . . ६६१–८०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ ६८१–८२

प्रश्नों के लिखित उत्तर––

तारांकित प्रश्न संख्या ७२८, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४५, ७४७, ७५१ से ७५५, ७५७ से ७७६, ७७८ से ७८०, ७८२ और ७८३ . . ६८२–९४

अतांरकित प्रश्न संख्या ४१५ से ४३९ और ४४१ से ४४३ ६९४–७०४

दैनिक संक्षेपिका ७०५–०६

पृष्ठ

अंक १७, मंगलवार, ७ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८४, ७८६, ७८७, ७८९, ७९०, ७९२ से ७९७, ७९९ से ८०३, ८०५, ८०६, और ८०८ से ८१० . . ७०९–३०

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ७ . ७३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७८५, ७८८, ७९१, ७९८, ८०४, ८०७, ८११ से ८३६ और ८३८ से ८४७ . . . ७३०–४३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४४ से ४८६ और ४८८ से ४९४ ७४४–६०

दैनिक संक्षेपिका . ७६१–६४

अंक १८, बुधवार, ८ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४८ से ८६७, ८६९, ८७० . ७६५–८५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८६८, ८७१ से ८९३ ७८५–९३

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९५ से ५२९ . ७९३–८०४

दैनिक संक्षेपिका . ८०५–०७

अंक १९, गुरुवार, ९ अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९४, ८९६ से ९००, ९०३, ९०५ से ९०७, ९०९, ९१४, ९१५, ९१८, ९२१ से ९२३, ९२५ से ९३१ . . ८०९–३०

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९५, ९०१, ९०२, ९०४, ९०८, ९१० से ९१३, ९१६, ९१७, ९१९, ९२०, ९२४, ९३२ से ९४२ ८३०–३७

अतारांकित प्रश्न संख्या ५३० से ५५३ ८३७–४६

दैनिक संक्षेपिका ८४७–४८

अंक २०, शुक्रवार, १० अगस्त, १९५६

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४ से ९४७, ९४९, ९५०, ९५३ से ९५७, ९५९ से ९६४, ९६६, ९८४, ९६७ और ९६८ . . . ८५१–७१

पृष्ठ

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ८ . . . . ८७१

प्रश्नों के लिखित उत्तर--

तारांकित प्रश्न संख्या ९४३, ९४८, ९५१, ९५२, ९५८, ९६५, ९६९ से ९८३ और ९८५ से ९९३ . . . . . ८७१–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५४ से ६०३ . . . ८८०–९६

दैनिक संक्षेपिका ८९७–९००

भा. स. मु. ना.--वि.३--१८८ लोक सभा/५६—२-४-५८—१९०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग १--प्रश्नोत्तर)

लोक-सभा

बुधवार, १ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

कपडा उद्योग का आधुनिकीकरण

† *५६०. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन कपड़ा मिलों में अपनी मशीनों का अबतक आधुनिकीकरण किया है उनकी संख्या क्या है; और

(ख) इस आधुनिकीकरण से किस सीमा तक उत्पादन के परिव्यय में कमी और कपड़े के गुण प्रकार में सुधार हो सका है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) तथा (ख). आधुनिकीकरण एक अविराम तथा सापेक्ष विधि है । इसलिए जिन कपड़ा मिलों ने अपनी मशीनों का आधुनिकीकरण किया है उनकी ठीक संख्या बताना कठिन है । कपड़ा आदि के परिव्यय तथा गुणप्रकार पर मशीनों के आधुनिकीकरण का प्रभाव निश्चित रूप से आंकना और बताना भी कठिन है ।

†**श्री दी० चं० शर्मा** : यदि माननीय मंत्री हमें गुण प्रकार तथा उत्पादन पर इसके प्रभाव के सम्बन्ध में कुछ नहीं बता सकते हैं तो कपड़ा मिलों के आधुनिकीकरण के लिए सहायक तत्व क्या हैं ?

†**श्री कानूनगो** : हम पृथक् रूप से हर एक इकाई पर प्रभाव निर्धारित कर सकते हैं । सम्पूर्ण उद्योग पर नहीं कर सकते हैं ।

श्री दी० चं० शर्मा : किसी भी मिल के सम्बन्ध में नमूने आपरीक्षण के रूप में क्या माननीय मंत्री ने श्रेणी तथा उत्पादन की दृष्टि से इन कपड़ा मिलों का उत्पादन निर्धारित किया है और यदि नहीं तो अब तक ऐसा क्यों नहीं किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : जैसा कि मेरे साथी ने कहा है मिल उत्पादन के गुण प्रकार और साथ ही काम में लाई जा रही मशीनरी की स्थिति निर्धारित करने का प्रयत्न किया जा रहा है । हम ने दल भेजे हैं और लगभग १५० या इससे कुछ

---

†मूल अंग्रेजी में ।

कम मिलों का सर्वेक्षण किया जा चुका है। लगभग ११८ मिलों के सर्वेक्षण के परिणामों का सारणीयन हम कर सके हैं। प्रत्येक मिल के सम्बन्ध में हम जानकारी प्रकट नहीं कर सकते हैं परन्तु सामान्य स्थिति बता सकते ह। मेरे साथी ने जब यह कहा था कि हम इसे इकाई-वार कर सकते हैं तो इससे उनका आशय यही था।

गुणात्मक निर्धारण के सम्बन्ध में मेरे माननीय मित्र इस बात को स्वीकार करेंगे जहां तक मशीनरी का संबंध है देश में जहां विभिन्न युगों की ४०० से अधिक इकाइयां कृत्यकारी हों वहां यह काम बहुत ही कठिन है।

†**श्रीमती अ० काले** : आधुनिकीकरण के परिणामस्वरूप जो श्रमिक बेरोजगार हो गये हैं उनकी संख्या कितनी है ?

†**श्री कानूनगो** : अभिनवीकरण तथा आधुनिकीकरण की विशिष्ट शर्तों में से एक शर्त यह है कि श्रम का विस्थापन नहीं होगा।

†**श्री च० द० पांडे** : क्या कारखानों का अभिनवीकरण न किये जाने के कारण अगुआई का अभाव है या सरकार की ओर से लगाई गई कोई पाबन्दी है कि जिन नये करघों की आवश्यकता देखी गई है उन्हें पुनःस्थापित न किया जाय ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : वह पूर्णतः अगुआई के अभाव का ही प्रश्न नहीं है; हो सकता है, अगुआई तथा संसाधन दोनों का समान महत्व है। जिन व्यक्तियों के पास संसाधन हैं संभवतः अगुआई भी वही करते हैं।

जहां तक पाबन्दी का सम्बन्ध है कातने के फ्रेम तक कपड़ा मिल की मशीनों के अभिनवीकरण के सम्बन्ध में कोई रोक नहीं है। जहां तक विद्यूलन कोष्ठ मशीनरी का सम्बन्ध है वे आधुनिक सामान खरीद सकते हैं और जहां कहीं वे चाहें अपने कातने के फ्रेम के स्थान पर सुपर हाई ड्राफ्ट फ्रेम लगा सकते हैं। जहां तक करघों का सम्बन्ध है केवल उन्हें स्वचालित बनाने के सम्बन्ध में ही कुछ सीमा तक पाबन्दी लगाई जातीं है और इस स्थिति में भी यदि हमें एक संतोषजनक आश्वासन प्राप्त हो जाये, एक ऐसा आश्वासन जो राज्य सरकारों के लिये संतोषजनक हो, कि श्रम का विस्थापन नहीं होगा तो मशीनरी के आयात के लिए आवेदन पत्रों पर अनुकूल रूप से विचार किया जायगा।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : अभिनवीकरण के लिए जो कारण बताये गये थे उनमें से एक यह था कि वस्तुओं की श्रेणी अधिक अच्छी होगी और लागत कम हो जायगी। अब माननीय मंत्री ने उत्तर दिया है कि वह देश की ४०० कारखानों संबंधी पूरी स्थिति नहीं बता सकते हैं क्या वास्तव में अभिनवीकरण उस सीमा तक सफल सिद्ध हुआ है या नहीं जिस सीमा तक इसके सफल होने का वचन दिया गया था, इसके लिए सरकार किस प्रकार पूरी स्थिति निर्धारित करेगी ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मुझे खेद है कि लोक सभा में जो कुछ हो रहा है माननीय सदस्य का ध्यान उस ओर न होकर कहीं अन्यत्र है। यदि एक और माननीय सदस्य द्वारा पूछे गये प्रश्न के सम्बन्ध में माननीय सदस्य ने मेरे उत्तर को सुना होता तो उन्हें मालूम होता कि जहां तक उत्पादन का सम्बन्ध है मशीनरी की श्रेणी तथा आनुषंगिक रूप से इससे सम्बद्ध अन्य बातों के सम्बन्ध में सरकार द्वारा मिल वार निर्धारण-कार्य करने का प्रयत्न किया जा रहा है। हमें आशा है कि १८ और महीनों में सम्भवतः हम यह निर्धारण कार्य पूरा कर सकेंगे और जब हम ऐसा कर लेंगे तब हम इस सदन के माननीय सदस्यों या इसके उत्तराधिकारियों को पूर्ण स्थिति बताने के लिये अधिक तैयार होंगे।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : श्रीमान्, क्या मैं एक निवेदन कर सकती हूं ? किसी प्रश्न का उत्तर देते समय क्या किसी मंत्री या इस सदन के किसी सदस्य के लिये किसी व्यक्ति पर निजी आक्षेप करना ठीक और उचित है कि क्या उस व्यक्ति ने उसे पूर्णतः सुना है या नहीं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं केवल यह कह सकता हूं कि माननीय मंत्री सदैव यह कह सकते हैं कि वह प्रश्न का उत्तर दे चुके हैं और माननीय सदस्य ने उसे सुना नहीं है या उस पर ध्यान नहीं दिया है; नि:सन्देह कठोर शब्दों का प्रयोग नहीं करना चाहिये ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस तथ्य को देखते हुए कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना में हमारा कपड़े का उत्पादन या खपत के सम्बन्ध में १०,०००० लाख गज का अनुमान किया गया है और अब तक हम केवल ६६,००० लाख गज ही तैयार कर पाये हैं, केवल मिल की कर्तन क्षमता तक ही करघों की स्थापना को सीमित रखना कहां तक उचित है; अन्यथा कपड़े के सम्भरण में वृद्धि करने की कोई सम्भावना ही नहीं रह जायगी ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मेरे माननीय मित्र ने मूझ से एक ऐसा प्रश्न पूछा हैं जो मामले की बिलकुल जड़ तक पहूंचता हैं । वास्तव में सरकार की नीति उत्पादन को विकेन्द्रित करने की है और इस समय हमने केवल यहीं स्वीकार किया है कि विकेन्द्रीयित उत्पादन बिजली के उपायों द्वारा ही हो । मैंने पिछले दिनों कहा था कि जहां तक बुनाई का सम्बन्ध है हम मिल उत्पादन के विस्तार का पूर्णत: जड़ीकरण नहीं करते हैं, परन्तु यह एक निश्चित नीति है कि अगले दस वर्षों में देश में जो कपड़े की मांग बढ़ेगी वह अवश्य ही, काफी सीमा तक, विकेन्द्रीयित उत्पादन द्वारा ही पूरी करनी होगी ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : मिलों को अलग अलग रूपसें अभिनवीकरण के लिये इन लाइसैंसों को देने के सम्बन्ध में आधारभूत बातें क्या हैं ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जैसा कि मैंने कहा था जहां तक कातने के फ्रेम तक के प्रक्रम का सम्बन्ध है किसी विवेक का प्रयोग नहीं किया जाता है । लोग मशीनरी का आयात कर सकते हैं और केवल कपड़ा मशीनों के स्थानीय निर्माण के संरक्षण की ही एक परिसीमा है । जहां तक नये करघों के लगाने का प्रश्न है शर्त यह है कि श्रम का विस्थापन न हो और राज्य सरकारों को यह आश्वासन अवश्य ही देना होगा कि बाद में श्रम का विस्थापन बिल्कुल न होगा ।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या इस आधुनिकीकरण से मोटे तथा दरम्याने गुण प्रकार के कपड़े के उत्पादन में कुछ सीमा तक कमी हो जायगी ?

†**श्री कृष्णमाचारी**: क्या माननीय सदस्य का अभिप्राय बुनाई के अभिनवीकरण आधुनिकीकरण से है ?

†**श्री नि० बि० चौधरी** : जी हां ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : वस्तुत: मेरे विचार में मोटे तथा दरम्याने गुण प्रकार के कपड़े के सम्बंध में स्वचालित करघों के शुरू करने के परिणामस्वरूप सम्भवत: उत्पादन में बहुत ही कम कमी होगी जब कि अधि उत्तम तथा उत्तम कपड़े की किस्मों के मामले में इससे कहीं अधिक कमी होगी । परन्तु यह बात एक प्रविधिक विषय से सम्बन्ध रखती है और इसकी ठीक होने के लिये मैं नहीं कह सकता ।

कुछ माननीय सदस्य उठे—

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं एक कठिनाई अनुभव करता हूं । इस प्रश्न पर ३-४ मिनट से अधिक समय लगा है । सूची में ५१ प्रश्न हैं । इसलिये जो भी माननीय सदस्य भाग लेना चाहें उन्हें सर्व प्रथम खड़े होना चाहिये ताकि मैं कुछेक के सम्बन्ध में अपना निर्णय कर सकूं । मैं उन्हें एक प्रश्न पर बोलने का अवसर दूंगा अन्य व्यक्तियों को किसी अन्य प्रश्न पर । मैं एक ही प्रश्न पर सभी ४९९ सदस्यों को बोलने के लिये नहीं कह सकता । माननीय सदस्यों से असहमत होते हुए भी मुझे खेद है कि मैं सभी सदस्यों को भाग लेने की अनुमति नहीं दे सकता हूं ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना

†*५६१. **श्री गिडवानी :** क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री ५ मार्च, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या ४५२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या दुर्गापुर के इस्पात के कारखाने के प्रभारी अधिकारी के विरुद्ध आरोपों की जांच पूरी हो चुकी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : जी, नहीं, अभी नहीं हुई है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि उस पदाधिकारी, श्री के० एल० साही को इस गलत प्रतिकथन के अधीन गिरफ्तार किया गया था कि वह कर्नल अमरीकसिंह हैं जो पहले फ़रार रह चुके हैं और जिन्होंने अपनी पत्नी की हत्या की थी और जिसे पंजाब उच्च न्यायालय द्वारा आजीवन कारावास का दंड दिया गया था ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : मुझे इन तथ्यों का कुछ ज्ञान नहीं है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि पदाधिकारी ने इस सख्ती के विरुद्ध विरोध प्रकट किया था और लोहा और इस्पात मंत्रालय के सचिव श्री बुथालिंगम आई० सी० एस० द्वारा ७ अप्रैल १९५६ को हस्ताक्षरित एक प्रतिवेदन प्रस्तुत किया गया था जिसमें उपरोक्त आरोपों को स्वीकार किया गया है और, यदि हां, तो क्या सरकार प्रतिवेदन की एक प्रतिलिपि लोक-सभा पटल पर रखेगी ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : जहां तक इस विशिष्ट मामले का सम्बन्ध है मैं अपने माननीय मित्र से यह अनुरोध करूंगा कि वे इसे मेरे विरुद्ध जांच का विषय न बनायें, जैसा कि प्रत्यक्षतः उनके मन में है । मैं यह कहना चाहूंगा कि इस पदाधिकारी को नियुक्त किया गया था और कुछ ही समय में हमने देखा कि वह अपने कर्त्तव्यों का पालन नहीं कर रहा है और वह अपने अधिकारों से बाहर जा रहा है । मामले की जांच आरम्भ की गई थी और प्रत्येक प्रक्रम वह इसमें बाधा डाल रहा है । जांच अभी की जा रही है । मेरा अपना विचार यह है कि जांच को पूरा करने के सम्बन्ध में हमें कोई सहयोग प्राप्त नहीं हो रहा है । इस समय इससे अधिक मैं कुछ नहीं कह सकता हूं ।

†**श्री गिडवानी** : क्या सचिव द्वारा मंत्रालय को प्रतिवेदन दिया गया था जिसमें इन आरोपों को स्वीकार किया गया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : सरकार ने इसे कभी स्वीकार नहीं किया है । मेरे माननीय मित्र मुझसे क्या कहलवाना चाहते हैं ?

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : माननीय मंत्री ने कहा था कि इन्हें किसी प्रकार का सहयोग नहीं मिल रहा है; किससे सहयोग नहीं मिल रहा है ? क्या राज्य सरकार से या किसी अन्य निकाय से ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जिस व्यक्ति के विरुद्ध जांच की जा रही ह उससे सहयोग नहीं मिल रहा है ।

†**श्री गिडवानी** : क्या यह सच है कि पदाधिकारी ने न्यायिक जांच किये जाने की प्रार्थना की है और यह आरोप लगाया है कि वह बड़ी राशियों के ऐसे गबन सिद्ध करने के लिये तैयार है जिसमें अन्य पदाधिकारी अन्तर्ग्रस्त हैं, और यदि हां, तो क्या सरकार ने इस मामले पर कोई निर्णय किया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : जी, नहीं ।

†**अध्यक्ष महोदय** : विशिष्ट पदाधिकारी के विरुद्ध जांच की जा रही है । ऐसे प्रश्न पूछने से क्या लाभ है कि क्या उसे अवसर दिया जायगा या नहीं, यह और वह, आदि । यद्यपि यह मामला न्यायाधीन नहीं है तथापि मैं यह कहूंगा कि हमें प्रतीक्षा करनी चाहिये और देखना चाहिये ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

जब जांच हो जायगी बात साफ हो जायगी । यह अपील का न्यायालय नहीं है । यद्यपि यथार्थ रूप से यह न्यायाधीन नहीं तथापि ऐसे प्रश्नों से वे उलझन में पड़ सकते हैं; परन्तु जहां तक उस पदाधिकारी का सम्बन्ध है और जहां तक सरकार का सम्बन्ध है यह मामला दोनों के लिये समान रूप से महत्वपूर्ण है । माननीय सदस्य यह पूछ कर मामले को क्यों बढ़ाते हैं कि क्या न्यायीक जांच के लिये उस पदाधिकारी को अवसर दिया गया है, इत्यादि, और जिसके कारण सरकार को यह कहना पड़ता है कि वह प्रत्येक प्रक्रम पर बाधायें उत्पन्न कर रहा है ? अब किसी भी व्यक्ति को ऐसी उलहाना क्यों दी जाये ?

†**श्री गिडवानी :** यह अत्यन्त गम्भीर मामला है । २७ लाख रुपये के गबन का आरोप लगाया गया है । सरकार इतना समय क्यों लगा रही है ? यदि पदाधिकारी सहयोग नहीं कर रहा है तो सरकार को अग्रेतर कार्यवाही करनी चाहिये । यह पदाधिकारी और सरकार के बीच कोई निजी मामला नहीं है ।

†**अध्यक्ष महोदय** : ऐसा नहीं है । यदि यह निजी मामला हो तो सरकार उसके विरुद्ध कोई कार्यवाही ही न करे । माननीय सदस्य यह पूछ सकते हैं "मामले को अतिशीघ्रता से पूरा क्यों न किया जाय ?" इत्यादि वह इससे आगे इस प्रकार के प्रश्न क्यों पूछते हैं "क्या पदाधिकारी को अवसर प्रदान किया गया है" या ऐसेही अन्य प्रश्न ? इससे सरकार द्वारा जांच किये जाने से कहीं अधिक व्यक्ति के प्रतिवाद के लिए सहायता मिलती है ।

†**श्री गिडवानी:** हम यह जानना चाहते हैं.....

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं इस मामले पर और अधिक प्रश्नों की अनुमति नहीं दूंगा ।

†**श्री कृष्णमाचारी** : यदि अध्यक्ष महोदय मुझे बोलने की अनुमति दें तो मैं यह कहना चाहता हूं कि २७ लाख रुपये के गबन की बात बहुत ही बढ़ा-चढ़ा कर कही गई है, क्योंकि हमने अभी तक परियोजना पर इतनी रकम खर्च नहीं की है ।

सड़क परिवहन निगम

***५६३. श्री भक्त दर्शन** : क्या **योजना** मंत्री २३ अप्रैल, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या १६५५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग ने सड़क परिवहन निगम बनाने का जो सुझाव दिया था उसके बारे में क्या कुछ और राज्य सरकारों ने अपने विचार भेज दिये हैं; और

(ख) यदि हां, तो उनका विवरण क्या है ?

सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी) : (क) राज्यों में सड़क परिवहन सेवाओं की व्यवस्था के प्रश्न पर योजना कमीशन ने मई, १९५६ में परिवहन एवं रेलवे मंत्रालयों की सम्मति लेते हुये पुनः विचार किया और यह तय किया कि राज्यों की योजनाओं में सड़क परिवहन योजनाओं के लिए स्वीकृत मदों को इस शर्त पर रहने दिया जाय कि सभी निगम "सड़क परिवहन निगम कानून १९५०" के अन्तर्गत बनाये जायें जिनमें रेलवे भी शामिल हैं । यह निर्णय २१ मई, १९५६ को सभी सम्बन्धित राज्य सरकारों को बता दिया गया था । तब से केवल मैसूर सरकार ने ही इस सम्बन्ध में योजना कमीशन को लिखा है । अन्य किसी राज्य सरकार से अभी तक कोई उत्तर नहीं आया है ।

(ख) मैसूर सरकार ने यह प्रस्ताव रखा है कि इस समय राज्यों के पुनर्गठन की जो बात चल रही है उसको ध्यान में रखते हुए मैसूर राज्य में निगम की स्थापना को १९५७–५८ तक स्थगित किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**श्री मात्तन** : उत्तर अंग्रेजी में भी पढ़ा जाय ।

†**अध्यक्ष महोदय** : हां, इसे पढ़ दिया जाय ।

उत्तर अंग्रेजी में पढ़ा गया ।

श्री भक्त दर्शन : क्या प्लैनिंग कमीशन या गवर्नमेंट के ध्यान में यह बात आई है कि योजना आयोग की सिफारिश के बावजूद भी भिन्न-भिन्न राज्यों में भिन्न-भिन्न प्रणालियां अपनाई जा रही हैं ? उदाहरणस्वरूप उत्तर प्रदेश में सरकारी बसें चलती हैं, कहीं पर कार्पोरेशन बनाई जा रही हैं और कहीं पर रेलवे का इन्तजाम है । मैं यह जानना चाहता हूं कि इस बारे में क्या कदम उठाये जा रहे हैं कि सारे देश में एकही प्रणाली स्थापित हो जाय ?

श्री हाथी : इसीलिये तो योजना कमीशन ने एक कार्पोरेशन बनाना तय किया है, ताकि सब जगह एक प्रणाली हो जाय ।

श्री भक्त दर्शन : क्या गवर्नमेंट ने इस बात पर विचार किया है कि प्राइवेट मोटर आपरेटर्स के ऊपर रोड ट्रांसपोर्ट के राष्ट्रीयकरण की तलवार सी लटकती रहती है और इसलिए इस बारे में कोई निश्चयात्मक नीति स्थिर की जाय कि पांच साल, दस साल या किसी निर्धारित अवधि में सारा इन्तजाम सरकार अपने हाथ में ले लेगी या कोई कार्पोरेशन बनाई जायगी ?

श्री हाथी : जहां रोड ट्रांसपोर्ट को राज्य सरकारें चलाती हैं, वहां तो प्राइवेट एन्टरप्राइज (गैर सरकारी उद्यम) का प्रश्न उठता नहीं है, लेकिन इस कार्पोरेशन (निगम) में रेलवे भी होगी, राज्य सरकारें भी होंगी और जैसे प्राइवेट एन्टरप्राइज के लिए अलग अलग रूट (रास्ते) होते हैं, वैसे ही एवसपैंड (विकसित) होने पर कुछ रूट्स पर कार्पोरेशन काम करेगी ।

†**श्री मात्तन** : यदि रेलवे के वास्तविक कार्य के लिये पर्याप्त धन प्राप्त करने में योजना आयोग को कोई कठिनाई होती है, तो वह सड़क परिवहन आदि में भाग लेने के लिए रेलवे को क्यों प्रोत्साहन देता है ?

†**श्री हाथी** : इन प्रयोजनों के लिये ऋण देने का प्रश्न नहीं है । यह नीति का प्रश्न है और यह तय हो चुका है कि रेलवे और लोकपरिवहन सेवाओं में प्रतिस्पर्धा को मिटाने की दृष्टि से निगम सर्वाधिक उपयुक्त सिद्ध होंगे ।

†**श्री च० द० पांडे** : इस दृष्टि से कि राज्य सरकारें अपना अधिकार छोड़ना नहीं चाहतीं तथा प्रतिबन्धों व भारी कराधान द्वारा समूचे परिवहन पर एकाधिकार करना चाहती हैं, क्या सरकार की नीति परिवहन नीति को उदार बनाने के लिए अखिल भारतीय कार्यवाही करने की हैं ताकि रेलों को आजकल अपने ऊपर पड़ रहे भारी दबाव से छुटकारा मिल जाय ?

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नन्दा)** : यह सड़क परिवहन तथा रेलों के अतिरिक्त अन्य सम्बन्धों द्वारा परिवहन सुविधाओं को बढ़ाने का प्रश्न है । इस मामले में हमें जिन कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है उनके कारण योजना आयोग ने सड़क परिवहन के विषय पर बहुत अधिक विचार किया है तथा विभिन्न सुझाव दिये गये हैं। जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है, बात बहुत सीधी है । इस प्रयोजन के लिये प्राप्त साधनों पर विचार करने के पश्चात, सड़क परिवहन के लिए राज्यों को कुछ धनराशियां नियत की गई हैं । यह विनिश्चय किया गया है कि यह विभागीय प्रशासन को बजाय निगमों द्वारा किया जाय । इस पर आपत्ति उठाई गई थी परन्तु मामले पर पुनः विचार किया जा चुका है, तथा अन्तिम विनिश्चय कर लिया गया है और राज्यों को भेज दिया गया है, अर्थात्, उन्हें बता दिया गया है कि उन्हें निगम बनाने होंगे । राज्यों ने उत्तर नहीं दिये हैं । हमारी धारणा है कि वे इस प्रस्ताव से सहमत हैं । हां, मैसूर ने यह कहा है कि यह मामला अभी कुछ समय के लिये स्थगित किया जाय ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार ने कराधान जांच आयोग की इस सिफारिश पर विचार किया कि परिवहन निगमों व परिवहन प्राधिकारों के कार्य संचालन के सम्बन्ध में विभिन्न राज्यों में अवमूल्यन, लाभ व हानि तथा सन्तुलन पत्रों सम्बन्धी कोई सर्वमान्य नियम नहीं है। मैं जानना चाहता हूं कि माननीय मंत्री ने जिस विनिश्चय का उल्लेख किया है, वह विनिश्चय करने से पहले सरकार ने इस सिफारिश पर विचार कर लिया है ?

†**श्री नन्दा** : यह कार्यप्रणाली तथा संगठन में निरन्तर सुधार करने का प्रश्न है।

जूट का मूल्य

*५६४. **श्री विभूति मिश्र** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार निर्यात के लिए जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित करने का विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां तो क्या कोई विनिश्चय किया गया है ?

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर): (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री विभूति मिश्र : सरकार ने जूट की मिनिमम प्राइस फिक्स नहीं की है। मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या इस कारण सरकार को जूट बाहर भेजने में कठिनाई हो रही है या नहीं ?

श्री करमरकर : हम रा जूट बाहर नहीं भेजते। रा जूट तो हम बाहर से मंगाते हैं। क्या माननीय सदस्य का प्रश्न जूट गुड्स के बारे में है ?

श्री विभूति मिश्र : यहां से कच्चा जूट बाहर जाता है या नहीं ?

श्री करमरकर : नहीं, हम तो कच्चा जूट बाहर से मंगाते हैं।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या यह सच नहीं है कि जूट का न्यूनतम मूल्य निर्धारित न करना प्रथम और द्वितीय पंचवर्षीय योजनाओं के लक्ष्यों के अनुसार उत्पादन-वृद्धि में बाधक है ?

†**श्री करमरकर** : जूट से मेरा अभिप्राय कच्चे जूट से है। क्या माननीय सदस्य जूट-वस्तुओं का उल्लेख कर रहे हैं ?

†**श्री नि० बि० चौधरी** : कच्चा जूट।

†**श्री करमरकर** : हम यह बाहर से मंग रहे हैं। हम कच्चे जूट का निर्यात नही करते।

उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी

*५६५. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गत जून मास में कोयले की कमी के कारण उत्तर प्रदेश के सौ तेल-मिलों ने अपना कारोबार बन्द कर दिया था; और

(ख) यदि हां, तो उत्तर प्रदेश को उचित मात्रा में कोयला न देने का क्या कारण है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) जी, नहीं। राज्य सरकार ने बताया है कि कोयले की कमी के कारण राज्य में कोई भी तेल-मिल जून में बन्द नहीं हुआ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

---

†मूल अंग्रेजी में।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि जून, १९५५ में यू० पी० को आपने कितना कोल दिया और इस साल में कितना दिया है ?

श्री रा० गि० दुबे : जून सन् १९५५ की मालूमात इस वक्त मेरे पास नहीं हैं। लेकिन इस साल जून की मालूमात हैं। इस साल एलोकेटेड डिमांड थी १६५० वैगन, और मिनिमम रिक्वायरमेंट थी १४०० वैगन, लेकिन जून के माहिने में १३०४ वैगन्स दी गयीं।

†**श्री फीरोज गांधी** : मंत्री महोदय ने माल के आवांटित डिब्बों के आंकड़े दिये हैं। क्या ये डिब्बे उत्तर प्रदेश में आये थे या केवल आवंटित ही हुए थे ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मैंने यही कहा था। वास्तव में उत्तर प्रदेश में १३०४ डिब्बे आये थे।

†**श्री फीरोज गांधी** : मैं यही स्पष्ट करना चाहता था। तीन सौ डिब्बे कम आये थे ?

श्री रा० न० सिंह : मैं यह जानना चाहता हूं कि इस जून के महीने में दूसरे राज्यों को कितने वैगन दिये गये ?

श्री रा० गि० दुबे : माननीय सदस्य नोटिस दें तो इसका उत्तर दिया जा सकता है।

अध्यक्ष महोदय : २५ राज्य हैं।

श्री रा० न० सिंह : यह जो कोल उत्तर प्रदेश को एलाट किया गया वह वैगन्स कहां-कहां पर आये ?

श्री रा० गि० दुबे : यह तो नहीं बतलाया जा सकता कि कहां-कहां आये, लेकिन उस रीजन में आये।

†**अध्यक्ष महोदय** : उत्तर प्रदेश कोई छोटी वस्तु तो है नहीं। अगला प्रश्न।

"लो शैफ्ट भट्टी"

†*५६७. **श्री साधन गुप्त** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि इस देश में एक "लो शैफ्ट" भट्टी बनेगी;

(ख) यदि हां, तो भट्टी का सामान कहां से आयात किया जायगा; और

(ग) भट्टी कितनी बड़ी होगी और उसका क्या मूल्य होगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) से (ग). वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद जमशेदपुर में एक लो शैफ्ट भट्टी बना रही है। सामान का आयात पश्चिमी जर्मनी से हो रहा है।

इसकी क्षमता १५ टन अपिधम अयस प्रतिदिन है। इसकी अनुमानित लागत लगभग १९·२४ लाख रुपये है। उड़ीसा के मेसर्स कलिंग इंडस्ट्रीज को १८।२२ टन क्षमता की एक 'लो शैफ्ट' भट्टी चलाने के लिये लाईसेन्स दिया गया है। मुख्य सामान और मशीन के क्रयादेश दे दिये गये हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : भाग (ग) के प्रसंग में, माननीय मंत्री ने भट्टी का आकार नहीं बताया जिसका आयात औद्योगिक अनुसंधान परिषद कर रही है। लागत बताई गई है, परन्तु उसका आकार नहीं बताया गया है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री म० म० शाह** : २.५ मीटर व्यास।

†**श्री साधन गुप्त** : यह बात सुनिश्चित करने के लिए कि इस देश में प्राप्त कोयला और कच्चा लोहा पश्चिमी जर्मनी से आयात की जा रही भट्टी के लिए उपयुक्त होगा, सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

†**श्री म० म० शाह** : सेलम के कच्चे लोहे और नेवेली के लिग्नाइट की जांच की जा चुकी है तथा वे उपयुक्त पाये गये हैं।

†**श्री साधन गुप्त** : मैं समझता हूं कि यह भट्टी-विशेष सेलम में नहीं अपितु जमशेदपुर में बनेगी। देश के उस भाग का कोयला और कच्चा लोहा सेलम के कच्चे लोहे से अवश्य ही कुछ और प्रकार का होगा। क्या यह सुनिश्चित करने के लिए कि आयात की जा रही भट्टी के लिए विशिष्ठ प्रकार का कच्चा लोहा उपयुक्त होगा या नहीं, कोई कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : सारा विचार प्रयोग करने का है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि जमशेदपुर में इस संस्था में संयंत्र लगने के बाद, प्रत्येक प्रकार के कच्चे लोहे के प्रयोग होंगे। मूलतः यह कोई उत्पादन कारखाना नहीं है। यह एक प्रयोगात्मक कारखाना है। माननीय सदस्य ने जो भी बातें कहीं है उनका उस समय ध्यान रखा जायेगा और विभिन्न प्रकार के कच्चे लोहे व कोयले के प्रयोग किये जायेंगे।

†**श्री साधन गुप्त** : क्या यह सच नहीं है कि ये 'लो शैफ्ट' भट्टियां दूसरे देशों में प्राथमिक संयंत्र के आधार पर प्रयोग करने से बनाई गई हैं तथा ये प्रयोग बहुत ही छोटी 'लो शैफ्ट' भट्टी से आरम्भ हुए हैं और क्रमशः आकार-वृद्धि हुई है ? यदि हां, तो छोटी भट्टी के साथ आवश्यक प्रयोग किये बिना इतनी बड़ी भट्टी आरम्भ करने तथा उस पर इतना धन व्यय करने का क्या कारण है ?

†**श्री कृष्णमाचारी** : बेलजियम में कुछ प्रयोग किये गये हैं। मेरा विचार है कि ये 'लो शैफ्ट' भट्टीयां पूर्वी जर्मनी में बनाई गई हैं। वे वहां उस प्रयोग वाली प्रकार से भी आगे बढ़ गये; वे एक दर्जा और आगे बढ़ गये ह। वैज्ञानिक तथा औद्योगिक अनुसंधान परिषद के निर्देशक आजकल यूरोप में हैं। वे अपने साथ दो विशेषज्ञ ले गये हैं। उनके जानें का अभिप्राय यह देखना है कि ये 'लो शैफ्ट' भट्टियां कैसे काम करती हैं। हमने एक दर्जा और आगे के प्रयोग करने का विनिश्चय किया है। केवल इस कारण कि कहीं छोटे आधार पर इसका प्रयोग किया गया है, उसकी नकल करने की बात मेरी समझ में नहीं आती।

यमुना का बाढ़ सम्बन्धी अध्ययन

†*५६८. **श्री राम कृष्ण** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ९ मई, १९५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २०४२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जमुना नदी के बारे में बाढ़ सम्बन्धी अध्ययन पूरा हो गया है; और

(ख) यदि नहीं, तो उसमें कितना समय लगेगा ?

†**सिंचाई तथा विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी, नहीं; अभी नहीं।

(ख) उसके दिसम्बर, १९५६ तक पूरे होने की आशा है।

श्री राम कृष्ण : इस स्कीम पर अब तक कितना रुपया खर्च हो चुका है ?

†**श्री हाथी** : मेरे पास वास्तविक व्यय के आंकड़े यहां नहीं हैं।

श्री भक्त दर्शन : क्या माननीय मंत्री जी यह बताने की कृपा करेंगे कि इस सर्वेक्षण में इतनी देरी क्यों हो रही है क्योंकि जमुना की बाढ़ से राजधानी को भी खतरा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री हाथी** : यह अध्ययन दिसम्बर, १९५५ में प्रारम्भ हुआ था । इसमें अधिक समय नहीं लगा है ।

हिंदुस्तान शिपयार्ड (जहाजी कारखाना)

†***५७१. सरदार इकबाल सिंह** : क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान शिपयार्ड (जहाजी कारखाने) में बनने वाले जहाजों के प्रमापीकरण के लिये नियुक्त समिति ने अपनी रिपोर्ट दे दी है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) सरकार ने उन पर क्या निश्चय किया है ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे)** : (क) हां ।

(ख) समिति ने सिफारिश की है कि प्रमापीकरण किये जाने वाले जहाजों की मुख्य बातें निम्नलिखित होनी चाहिये :—

(१) समुद्रपार व्यापार के लिये ९५०० टन के खुले हुए डेक के जहाज और ११,००० टन के बन्द डेक के स्केंटलिंग सहित जहाज जिनकी गति १६ से १७ नाट (Knot) के लगभग हो ।

(२) समुद्रतटीय व्यापार के लिये, ८००० टन के खुले डेक वाले और ९५०० टन के स्केंटलिंग सहित बन्द डेक वाले जहाज जिनकी गति १२ नाट के लगभग हो ।

(३) समुद्रतटीय व्यापार के लिये ५००० टन के खुले डेक वाले और ६००० टन के स्केंटलिंग सहित बन्द डेक वाले जहाज भी हों, जिनकी गति १३ नाट के लगभग हो ।

(ग) सरकार ने उक्त सिफारिशों का स्वीकार कर लिया है । जहाज के मालकों तथा नौवहन के महानिर्देशक के परामर्श के साथ हिन्दुस्तान शिपयार्ड कम्पनी, डिजाइनों, विशेष नक्शों, मशीनरी आदि को बनवा रही है ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : इस निश्चय पर पहुंचने से पहले क्या सरकार ने इस बात पर विचार किया था कि समुद्रपार व्यापार में १६ या १७ नाट की रफ्तार वाले जहाज ब्रिटेन और जर्मनी द्वारा निर्मित जहाजों की तुलना में कैसे रहेंगे ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : सरकार ने इस पर अवश्य ध्यान दिया होगा क्योंकि इस वर्ष जनवरी में भारतीय जहाज-मालिकों से इस विषय में चर्चा की गई थी और इन सब बातों पर विचार किया गया था ।

†**सरदार इकबाल सिंह** : क्या सरकार को पता है कि हिन्दुस्तान जहाजी कारखाने में जो जहाज बनाया गया है उसका मूल्य अपेक्षाकृत अधिक है ? इतनी मन्थर गति और इस निर्माण कार्यक्रम से क्या हम अन्तर्राष्ट्रीय बाजार से दौड़ कर सकेंगे ?

†**श्री रा० गि० दुबे** : मेरे विचार में मूल्य में अन्तर नहोने के कारण ही हम जहाजी कारखाने को आर्थिक सहायता दे रहे हैं । फिर भी, सरकार इस प्रश्न पर नये सिरे से विचार कर रही है । और मूल्य के प्रश्न पर भी विचार किया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

पाकिस्तान के साथ व्यापार

†*५७३. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पाकिस्तान के साथ भारत के निर्यात-व्यापार में गिरावट के मुख्य कारण क्या हैं; और

(ख) पाकिस्तान के साथ निर्यात व्यापार की जिन वस्तुओं में गिरावट हुई है उनके क्या नाम हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)**: (क) पता चला है कि १९५१–५२ की तुलना में पाकिस्तान में सभी ओर से आयात की कमी हो गई है। भारतीय वस्तुओं का आयात अधिक कम हो गया है जिसके अनेक कारण हैं जैसे भारत से बराबर भेजी जानी चाहिये वाली वस्तुओं का वहीं पर तैयार होना, पाकिस्तान द्वारा उभयपक्षीय और त्रिपक्षीय प्रबन्ध को वरीयता देना और अमेरिकी सहायता निधि के द्वारा ऐसी बहुत सी वस्तुओं को अन्य देशों से खरीदना जो भारत से खरीदी जा सकती थीं।

(ख) सूचना का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या १**]

†**डा० राम सुभग सिंह** : पिछले डेढ़ वर्षों में पाकिस्तान के लिये भारत का व्यापार कितना कम हुआ है और उसका प्रतिशत क्या है ?

†**श्री करमरकर** : १९५३–५४ में हमारा निर्यात ८ करोड़ रुपये का था, १९५४–५५ में ९·७ करोड़ और १९५५–५६ में ८·३ करोड़ रुपये का था। १९५२–५३ में वह ३१·३ करोड़ रुपये का था, अतः उस की तुलना में वह गिर गया है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : इस गिरावट में पाकिस्तान को अमेरिका की आर्थिक सहायता का कितना हाथ है ?

†**श्री करमरकर** : उसका ठीक ठीक अंकन करना कठिन है और इस व्यापार की गिरावट के सब कारण बताना भी कठिन है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या यह सच है कि पाकिस्तान इस बात का पूरा प्रयत्न कर रहा है कि भारत से कम से कम आयात किया जाय और यदि हां, तो क्या इसके लिये अमेरिका से प्राप्त सहायता प्रत्यक्ष रूप से उत्तरदायी नहीं है ?

†**श्री करमरकर** : मैंने कहा है कि इसके अनेक कारण हैं। अमेरिकी सहायता भी उसमें से एक है। पाकिस्तान स्वयं द्विपक्षीय और एक राष्ट्रीय समझौते कर रहा है जिनके कारण सम्बन्धित देशों से आयात प्राप्त हो जाते हैं। ये प्रमुख कारण मैंने अपने प्रथम उत्तर में बता दिये हैं।

†**श्री नि० बि० चौधरी** : क्या अमेरिका की द्विपक्षीय सहायता को रोकने के लिये व्यापार तथा प्रशुल्क सम्बन्धी सामान्य समझौते के अधीन बहुपक्षीय समझौतों के उपबन्ध का उपयोग नहीं किया जा सकता ?

†**श्री करमरकर** : नहीं श्रीमान्।

†**श्री अ० म० थामस** : इस प्रकार की कार्यवाही केवल एकपक्षीय है अथवा पाकिस्तान से हमारे यहां के आयातों में भी यही प्रवृत्ति पाई जाती है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री करमरकर** : १९५३–५४ में और उसके बाद के दो वर्षों में पाकिस्तान से आयात क्रमशः १९·३ करोड़, १९·४ करोड़ और २७·१ करोड़ रुपये का रहा है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : निर्यात की जो वस्तुयें पाकिस्तान में नहीं जा रही हैं क्या उनके लिये सरकार नयी मंडियों की तलाश कर रही है ?

†**श्री करमरकर** : अधिक से अधिक मंडियां ढूंढ़ने का काम बराबर चलता रहता है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग** : पाकिस्तान के लिये अधिक निर्यात करने के हेतु कौन से विशेष प्रयत्न किये जा रहे हैं ?

†**श्री करमरकर** : जैसा हम दूसरी जगह प्रयत्न करते हैं वैसा ही वहां करते हैं। उनके पास हमारी वस्तुओं के नमूने मौजूद हैं।

वस्त्र-निर्यात

† *५७४. **श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के पास कोई ऐसी शिकायत आई है कि अच्छी किस्म के कपड़ो के निर्यात के लिये दिये गये लाइसेंसों के आधार पर घटिया किस्म का कपड़ा निर्यात किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस काम के लिये जो लोग जिम्मेवार थे उनके विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई; और

(ग) ऐसी शिकायत भविष्य में न आये, इसके लिये क्या कदम उठाये गये हैं या उठाये जाने वाले हैं ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर)** : (क) घटिया किस्म का कपड़ा निर्यात करने के बारे में किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) १३–६–५६ से दिये गये लाइसेंसों में यह शर्त है कि वे केवल अच्छी किस्म के कपड़े निर्यात करने के लिये है। उससे घटिया किस्म के कपड़े की लाइसेंस पृथक रूप से दिया जाता है जो आयात कर्ता की आवश्यकता को जांचने के बाद निर्यात नियंत्रण प्राधिकार द्वारा दिया जाता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : क्या आयात करने वाले किसी देश से सरकार के पास ऐसी कोई शिकायत आई है कि वहां के लिये भारत से निर्यात किया गया वस्त्र घटिया किस्म का है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : निर्यात संवर्धन परिषद् इस विषय की जांच कर रही है और उन के बुलेटिन में सब बात स्पष्टतया बताई गई हैं। विभिन्न देशों से जितनी शिकायतें आई हैं वे सब उन्होंने संग्रह कर रखी हैं। जैसा कि मेरे मित्र ने कहा है कि कभी कभी शिकायतें आती हैं। किसी व्यक्ति विशेष के विरुद्ध कोई शिकायत नहीं आई है इसलिये हमने इस प्रकार की रोकथाम की है कि केवल अच्छी किस्म के कपड़े के लिये ही लाइसेन्स दिये जाते हैं और जब कभी द्वितीय श्रेणी के कपड़े की मांग होती है तब लाइसेन्स देने वाला प्राधिकारी इस बात की जांच करने के बाद इजाजत देता है।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : जब आयात करने वाले किसी देश से ऐसी शिकायत आती तो क्या सरकार यह जांच करती है कि इस दुराचरण के लिये कौन व्यक्ति उत्तरदायी हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री कृष्णमाचारी :** हमने यह सब काम निर्यात संवर्धन परिषद् के द्वारा क्रमबद्ध कर दिया है और हमें अब काफी संतोष जनक परिणाम दिखाई पड़ते हैं। हमारे हस्तक्षेप के बिना ही वे नियंत्रण कर लेते हैं। वस्त्र की किस्म पर नियंत्रण रखने के लिये हमारे पास कुछ ऐच्छिक परीक्षण हैं जिनका कि लोग फायदा उठा सकते हैं। वास्तव में इसका अब उत्तरोत्तर फायदा भी उठाया जा रहा है। जब तक हम यह न देख लेते कि किसी उद्योग का अपना ही नियंत्रण असफल सिद्ध हो रहा है तब तक हम उस पर नियंत्रण नहीं रखते।

†**श्री जयपाल सिंह :** इस बात को ध्यान में रखते हुए कि मिस्र ने हाल ही में पौंड पावना क्षेत्र से व्यापार बन्द कर दिया है, क्या हमारे मिस्री रुई से निर्मित वस्त्र के निर्यात पर कोई दुष्प्रभाव पड़ेगा या पौंड पावने क्षेत्र से सम्बद्ध होने पर भी हमारे निर्यात पर कोई दुष्प्रभाव नहीं पड़ेगा ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** इसके लिये मुझे पूर्व सूचना चाहिये ।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** क्या सरकार को पता है कि मिलों के विरुद्ध देशी मंडियों से ही सैकड़ों शिकायतें प्रतिदिन आती हैं ?

†**श्री करमरकर :** माननीय सदस्य के पास जो शिकायतें आती हैं उनका हमें कुछ पता नहीं है। हमारे पास कोई शिकायत नहीं आई है।

†**अध्यक्ष महोदय :** सदस्य के पास नहीं बल्कि वे कहते हैं कि.....

†**श्री करमरकर :** सरकार के पास आती हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** जी हां।

†**श्री करमरकर** : नहीं श्रीमान्।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे आश्चर्य है। यदि वे सरकार को प्राप्त न हों तो उसके लिये मंत्री से कहने का क्या लाभ है ?

†**श्री करमरकर :** यह प्रश्न ही आश्चर्यजनक है क्योंकि इसके उलट भारतीय मंडियों में हमारी मिलों के अच्छे से अच्छे वस्त्रों की नित्य प्रशंसा होती रहती है।

†**अध्यक्ष महोदय :** ठीक है। आप उसका इस प्रकार उत्तर दे सकतें हैं किन्तु जब कोई सदस्य गम्भीर रूप से प्रश्न करता है तो उसे इस रूप में नहीं दिया जाना चाहिये कि वह मंत्रियों से केवल मज़ाक कर रहा है।

†**श्री करमरकर :** श्रीमान किसी अनिश्चित प्रश्न का इस प्रकार उत्तर देना क्या असंसदीय है ? माननीय सदस्य कहते हैं कि सैकड़ों शिकायतें आती हैं किन्तु उन्हें कोई शिकायत बताना चाहिये।

†**श्री खू० चं० सोधिया :** मैंने यह नहीं कहा है कि शिकायतें स्वयं मंत्री से की गई थीं। वे तो वस्त्र आयुक्त से की गई थीं। क्या सरकार ने उनसे बातें मालूम की हैं ?

†**अध्यक्ष महोदय :** माननीय सदस्यों को समझ बूझ कर प्रश्न करना चाहिये। यह कहने से कोई लाभ नहीं कि शिकायतें की गई हैं जब कि उत्तर में यह कह दिया गया है कि एक भी शिकायत नहीं आई है। ऐसी बातों से ऐसा असर पड़ता है मानो हजारों शिकायतें आई हैं। सरकार सभा के प्रति उत्तरदायी है और वह यह बात स्पष्ट करना चाहती है कि जो कुछ किया जा सकता है वह किया जा रहा है। अतएव प्रश्न और उत्तर दोनों में संयम बर्ता जाना चाहिये।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** स्वेच्छा सहित वस्त्र की किस्म पर नियंत्रण रखने का प्रयोग क्या कई वर्षों से चल रहा है अथवा उसे हाल ही में प्रयोग में लाया गया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** वह केवल एक वर्ष से चल रहा है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

२४—परगना में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास

†*५७५. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जिला २४ परगना के डमडम थाना में उत्तर और दक्षिण नेमता में पूर्वी पाकिस्तान के विस्थापित व्यक्तियों को बसाने के लिये ४० एकड़ भूकर सम्बन्धी प्लाटों का अर्जन किया गया है ;

(ख) इससे कितने परिवारों पर प्रभाव पड़ा है ;

(ग) क्या सरकार को इस भूमि को छोड़कर उसके आसपास की किसी उजड़ी भूमि को अर्जित करने के लिये कोई आवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) सरकार ने उस पर क्या निर्णय किया है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) :** सूचना संग्रहीत की जा रही है और यथा समय लोक सभा के पटल पर रख दी जायेगी।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** मैंने कोई २०—२५ दिन पहले सूचना दी थी। क्या यह पर्याप्त नहीं थी ? बंगाल यहां से कोई अधिक दूर नहीं है।

†**श्री ज० कृ० भोंसले :** हमें पिछले महीने की ४ तारीख को सूचना मिली थी। और हमने ५ तारीख़ को अपने विभागीय सचिवालय को लिख दिया था। हमें विभागीय सचिवालय से यह सूचना मिली है क्योंकि वह अभी ३० तारीख़ तक यह सूचना नहीं संग्रहीत कर सकते है इसलिये एक अन्तर्कालीन उत्तर दे दिया जाये।

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय उत्तर प्राप्त करने के लिये शीघ्र ही कोई कार्यवाही करें।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** क्या इस प्रश्न को किसी और तिथि के लिये छोड़ा जा सकता है ?

†**अध्यक्ष महोदय :** मंत्री महोदय माननीय सदस्या को उत्तर भेज सकते हैं।

†**श्री ज० कृ० भोंसले :** मैं उसे सभा पटल पर रख दूंगा।

†**श्री वें० प० नायर :** तब तारांकित प्रश्न की सूचना देने का कोई लाभ नहीं है। क्योंकि उस दशा में हम पूरक प्रश्न नहीं पूछ सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं आपसे सहमत हूं। किन्तु इसके अलावा कोई और तरीका नहीं निकाला जा सकता हैं। मंत्री आशा करते हैं कि ठीक समय पर सूचना मिल जायेगी और उसी आशा के अनुसार उस प्रश्न का उत्तर देने के लिये एक निश्चित तिथि निर्धारित कर दी जाती है। किन्तु यदि समय पर सूचना न मिल सके तो मंत्री और समय मांग लेते हैं। ऐसी दशा में हम उस उत्तर को सभा-पटल पर रखवा देते हैं और सदस्यों को इसकी सूचना दे देते हैं। यदि माननीय सदस्य यह समझते हैं कि इससे अधिक कुछ और किया जाना चाहिये तो वह अपना सुझाव दे सकते हैं कि मैं क्या कर सकता हूं अथवा इस संबंध में सभा अथवा मंत्री क्या कर सकते हैं।

†**श्री जयपाल सिंह :** क्या यह सम्भव है कि इस प्रश्न को किसी और दिन के लिये स्थगित किया जा सकें ? इस हालत में प्रश्नकर्ता अनुपूरक प्रश्न भी पूछ सकेंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य का यह सुझाव है कि यह उस दिन ५२ वां या उसके आसपास का प्रश्न हो अथवा इसे प्रश्नों की सूची पर सबसे अन्तिम स्थान पर रख दिया जाये? माननीय सदस्य इस पर भली भांती विचार करके मुझे अपना मत बता सकते हैं ताकि इस संबंधमें कोई प्रभावी कदम उठाया जा सके।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वें० प० नायर :** प्रश्न किसी और दिन के लिये स्थगित किया जा सकता है मगर इसे प्राथमिकता दी जानी चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** एकदम ही कोई सुझाव नहीं दे देना चाहिये। माननीय सदस्य इस विषय पर विचार कर लें और फिर मुझे बताये कि इस सम्बन्ध में क्या किया जा सकता है।

†**श्री जयपाल सिंह :** निस्संदेह इसको सूची के अन्त में नहीं रखा जाना चाहिये। क्यों कि यह जल्दी ही पटल पर रख दिया जायेगा इसलिये इसे उस दिन सबसे ऊपर रखा जाना चाहिये।

†**अध्यक्ष महोदय :** उन सदस्यों का क्या हाल होगा जिन्होंने उस दिन के लिये प्रश्नों की सूचना दी है ? पहले मुझे उनसे पूछ लेने दीजिये। मैं अभी इस विषय पर विचार करूंगा।

गन्दी बस्तियों को हटाना

† *५७६. **श्री राधा रमण :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने राज्य सरकारों को गन्दी बस्तियों के हटाये जाने के कार्य को अपने हाथ में लेने के लिये सुझाव दिये हैं और इस कार्य के लिये उन्हें कुछ सीमा तक अनुदान तथा ऋण भी दिये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो वे किस प्रकार के प्रस्ताव हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** (क) जी हां।

(ख) भारत सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये बनाई गई योजना की एक प्रति पहले ही ३०-५-५६ के तारांकित प्रश्न संख्या २६७१ के उत्तर में सभा पटल पर रख दी गई थी।

†**श्री राधा रमण :** यह योजना कार्यान्वित करने के लिये कब स्वीकृतहुई थी और इसके राज्य सरकारों में परिचालन के पश्चात् विभिन्न सरकारों का इसके प्रति क्या रुख रहा है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह) :** यह योजना सभी राज्यों में परिचालित कर दी गई है। किन्तु सब राज्यों ने अभी अपनी योजनायें नहीं भेजी हैं।

†**श्री राधा रमण :** द्वितीय पंच वर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये कुल कितनी राशि रखी गई है, इसमें प्रत्येक राज्य का कितना कोटा है ; और १९५६-५७ के लिये कितनी राशि रखी गई है ?

†**श्री पू० शे० नास्कर :** द्वितीय पंचवर्षीय योजना में गन्दी बस्तियों को हटानें के लिये २० करोड़ रुपिया रखा गया है। इसमें राज्य सरकारों द्वारा अपने संसाधनों से वित्तीय सहायता के रूप में जुटाई जाने वाली ५ करोड़ रुपये की राशि भी सम्मिलित है। अभी तक इसमें से प्रत्येक राज्य की राशि का निर्धारण नहीं किया गया है। किन्तु यह ध्यान में रखते हुए कि यह धन बहुत सीमित है, हम प्रत्येक योजना के लाभों के आधार पर ही इस राशि का आवंटन करेंगे।

†**श्री राधा रमण :** क्या सरकार को किन्हीं राज्यों से कोई उत्तर भी मिले हैं और यदि हां, तो किन से और उनकी परियोजनायें किस सीमा तक अनुमोदित, समर्थित अथवा स्वीकृत की गई हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** किसी भी विशेष गन्दी बस्ती के बारे में अभी तक कोई भी विशेष प्रस्ताव हमारे पास नहीं आये हैं। अभी तक हमें केवल सामान्य टीका टिप्पणियां ही मिली हैं। आशा की जाती है कि राज्य सरकारें अपने प्रस्ताव कुछ समय के बाद भेजेंगी।

†**श्री ही० ना० मुकर्जी :** क्या केन्द्रीय सरकार इस बात का ध्यान रखेगी कि जैसे ही गन्दी बस्तियों के हटाये जाने का कार्य शुरू हो उसी क्षण उन स्थानों के निवासियों को वैकल्पिक स्थान देने का कार्य भी शुरू किया जाये ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** उनको पुनः आवास दिलाना किसी भी ऐसे कार्य का आवश्यक भाग होता है।

†**श्री रा० प्र० गर्ग :** यह ध्यान में रखते हुए कि भारत में गन्दी बस्तियों के सफाई का कार्य पहले ही बहुत धीमा है, क्या मैं जान सकता हूं कि इस संबंध में प्रस्तावित राष्ट्रपति के अध्यादेश को इस आशा से क्यों त्याग दिया गया है कि सरकार इसके बारेमें स्वयं एक विधान तैयार कर रही है।

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं नहीं समझता कि यह प्रस्तावित अध्यादेश जिसको कि त्याग दिया गया है गन्दी बस्तियों के हटाने में क्या मदद कर सकता था।

†**श्री ब० स० मूर्ति :** क्या प्रत्येक राज्य को गन्दी बस्तियों के हटाने के संबंध में अपनी-अपनी योजना भेजनी पड़ेगी, और यदि हां, तो क्या सरकार उनको आवश्यकताएं पूरी करने के लिये उनको कोई सहायता देगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** एक पत्र में जो कि पहले ही राज्य सरकारों को परिचालित किया जा चुका है सहायता की मात्रा का संकेत दिया जा चुका है। यह बताया जा चुका है कि केन्द्र से कितना ऋण और कितना अनुदान मिल सकता है। जहां तक किसी योजना के वास्तविक कार्य का कारण संबंध है, केन्द्रीय सरकार राज्य सरकार की प्रार्थना पर उसे टेकनीकल प्रकार की तथा अन्य सहायता देने के लिये भी तैयार होगी।

†**श्री साधन गुप्त :** क्या गन्दी बस्तियों को हटाने से पहले सरकार इस बात का ख्याल रखती है कि वहां के झौंपड़ियों के मालिकों को समतुल्य मुआवज़ा दिया जाता है अथवा नहीं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैं माननीय सदस्य का प्रश्न ठीक नहीं समझ पा रहा हूं। हम ऐसी अवस्थाओं में मुआवज़े आदि के सिद्धांतों के सम्बन्ध में एक विधान बनाने जा रहे हैं। वह मुआवज़ा या तो भूमि के मालिक को दिया जा सकता है या उस भूमि पर अनधिकृत बनायी गयी बस्तियों के मालिक को, जो भी कि वहां पर हो। इन दोनों के बीच अंक अनुपात की बाबत भी सोची जा रही है जिसके अनुसार कि मुआवज़े को इन दोनों के बीच बांटा जा सके। कई राज्य सरकारों ने तो कुछ विधान भी बनाये हैं। इस संबंध में मद्रास राज्य का नाम खास तौर पर लिया जा सकता है। मध्य भारत सरकार भी इस संबंध में कुछ विधान बना रही है।

आंध्र में गन्दी बस्तियों को हटाना

† *५७७. **डा० रामा राव :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये किसी अनुदान अथवा ऋण के लिये प्रार्थना की है ; और

(ख) सरकार को यह प्रार्थना कब प्राप्त हुई और उसने क्या उत्तर दिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : (क) जी हां।

(ख) हमें ४ अप्रैल, १९५६ को इस आशय की प्रार्थना प्राप्त हुई थी और हमने २१ अप्रैल, १९५६ को उसका उत्तर भेज दिया था। हमने वहां की सरकार से यह प्रार्थना की थी कि वह भारत सरकार द्वारा गन्दी बस्तियों को हटाने की योजना के अनुसार विस्तृत ब्योरे सहित अपनी योजना बना कर भेजें।

†**डा० रामा राव** : आन्ध्र सरकार ने केन्द्रीय सरकार से कितनी राशि मांगी थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री (सरदार स्वर्ण सिंह)**: उन्होंने एक योजना भेजी थी और वह चाहते थे कि केन्द्र उसके अनुसार उसकी अधिकतम सहायता करे। मुझे यह ज्ञात नहीं है कि उन्होंने उसमें कितनी राशि मांगी थी, किन्तु हमने उन्हें अपनी योजना सुधारने के लिये कहा है ताकि वह केन्द्रीय सरकार द्वारा बनाई गई योजना के अनुसार हो जाये।

†**श्री राधा रमण** : इस मामले में जटिलताओं को देखते हुए क्या मैं यह जान सकता हूं कि क्या सरकार विभिन्न राज्यों में गन्दी बस्तियों के हटाने के कार्य में शीघ्रता लाने के लिये इस काम के लिये कोई खास व्यवस्था तंत्र स्थापित करेगी ?

†**अध्यक्ष महोदय** : आन्ध्र में ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : आन्ध्र सरकार ही इसका ठीक निर्णय कर सकती है कि क्या उसे इस कार्य के लिये कोई खास व्यवस्था स्थापित करने की आवश्यकता है अथवा नहीं। उदाहरणतया, दिल्ली में कई ऐसी एजेंसियां हैं जिन्होंने पहले से ही यह कार्य शुरू कर रखा है। यह एक ऐसा विषय है जिसे हम राज्य सरकार पर छोड़ देना चाहते हैं।

†**डा० रामा राव** : केन्द्रीय सरकार ने आन्ध्र सरकार को अपनी योजना में सुधार करने के लिये कहा है। सुधारने के पश्चात् इस योजना का कितना व्यय होगा ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : दिनांक २८ मार्च, १९५६ के एक पत्र में आन्ध्र सरकार ने हमको यह लिखा है कि उन्होंने अपने राज्य की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में स्थानीय निकायों को गन्दी बस्तियों को हटाने के लिये १२ लाख रुपये देने का निश्चय किया है और उसने यह इच्छा प्रगट की थी कि भारत सरकार भी इसमें आवश्यक ऋण तथा वित्तीय सहायता द्वारा उसका साथ दे (लगभग ३ लाख रुपये की वित्तीय सहायता और ६ लाख रुपये का ऋण)। हमने उसको यह उत्तर दिया है कि अभी वित्तीय सहायता देने की रूपरेखा तथा इस समस्या को हल करने क सामान्य तरीकों को तैयार किया जा रहा है।

†**श्री ब० स० मूर्त्ति** : क्या अपनी योजनाओं में आन्ध्र सरकार ने कोई ऐसा संकेत दिया है कि उसे कितनी गंदी बस्तियों को हटाना है तथा उनके लिये उसके पास कितनी योजनाए हैं ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मेरे पास विस्तृत सूचना नहीं है।

†**श्री वीरस्वामी** : आन्ध्र में गन्दी बस्तियों के कारण अनक नगर बहुत गन्दे ही रहे हैं, आन्ध्र की सरकार अपनी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में निश्चित की गई १० लाख रुपये की इस राशि से इस समस्या को कैसे हल करने में समर्थ होगी ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह** : मैं समझता हूं कि माननीय सदस्य पहले ही स्वयम् उत्तर दे चुके हैं। इस प्रकार के मामल में जहां समस्या बड़ी हो और साधन कम हो, कहीं भी प्रारम्भ करने का प्रश्न है। केवल इसलिये कि समस्या बहुत बड़ी है, हम सुस्त नहीं बैठ सकते और इसलिये हम शरूवात न करें। कहीं शुरूवात तो करनी ही होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**डा० रामा राव :** दूसरी पंचवर्षीय योजना में गंदी बस्तियां दूर करने के लिये जो २०करोड़ रुपये कुल नियत किये गये हैं क्या सरकार उसमें से आन्ध्र के लिये १० लाख रुपये बहुत अधिक समझती है, और क्या इसी कारण यह धनराशि कम करने के लिये कहा गया है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मैंने जो कुछ कहा है वह आन्ध्र को दिये जाने वाले कुल नियतन के बारे में नहीं बल्कि सहायता का ढंग और सहायता तथा कर्ज के बीच अनुपात के बारे में कहा था। उसी आधार पर हमने निर्देश किया है। मैं माननीय सदस्य को आश्वासन दे सकता हूं कि परिचालित योजना के अनुसार परिवर्तन रूप में यह योजना प्राप्त होने पर हम सबसे पहले उसे प्राथमिकता देंगे।

†**श्री मुहीउद्दीन :** इस प्रयोजन के लिये ४०करोड़ रुपये के नियतन के लिये 'गंदी बस्ति' की क्या परिभाषा है ?

†**सरदार स्वर्ण सिंह :** मेरी समझ से गन्दी बस्तियों की परिभाषा में रहन सहन की दशा के संबंध में जितने भी बुरे विशेषणों की कल्पना की जा सकती है, समाविष्ट हो सकते हैं।

†**अध्यक्ष महोदय :** यदि कोई वहां जाये और बैठे तो, उसे अधिक अच्छी जानकारी होगी।

कागज और गुदा उद्योग

†*५७९. **श्री तुलसीदास :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री २४ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २३३ के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कागज और गूदा उद्योगों की पेनल ने कागज उद्योग के लिये कच्चा माल के साधनों का सर्वेक्षण किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या दूसरी पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य प्राप्त करने के लिये कच्चे माल की स्थिति संतोषजनक है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) :** (क) जी, अभी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

†**श्री तुलसीदास :** इस बात को देखते हुए कि पेनल ने कच्चे माल के साधनों के विषय में अपन सर्वेक्षण के बारे में कोई प्रतिवेदन नहीं दिया है, मंत्री किस प्रकार आशा करते हैं कि उत्पादन का लक्ष्य प्राप्त करना संभव होगा ?

†**श्री कानूनगो :** खाद्य और कृषि मंत्रालय ने राज्यों केवन मंत्रियों की सिफारिश पर एक तदर्थ समिति नियुक्त की है। वह समिति सपूर्ण देशं में कच्चे माल की उपलब्धता का अनुमान लगा रही है। अपने अनुसंधानों के परिणाम समिति द्वारा प्रस्तुत किये जाने के बाद पेनल की बैठकें प्रायः हो सकेंगी।

†**श्री तुलसीदास :** लक्ष्य किस तरह निर्धारित किया गया है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) :** क्या माननीय सदस्य का यह विचार है कि उलपब्ध साधनों का कोई अनुमान लगाये बिना लक्ष्य निर्धारित किया गया है ? लक्ष्य इस आशा पर निर्धारित किया गया है कि साधन उपलब्ध होंगे।

†**श्री तुलसीदास :** मेरा तात्पर्य कच्चे माल से है।

†**श्री कृष्णमाचारी :** मैंने कहा [illegible] आशा पर कि साधन कच्चे माल के रूप में उपलब्ध होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री वें० प० नायर :** जिस टोली ने अनुमान लगाया है, क्या उसने दक्षिण भारत का दौरा किया है और यदि हां तो कागज के लिये गूदा मिलने के संबंध म किन क्षत्रों का विशष रूप से अध्ययन किया गया है ?

†**श्री कानूनगो :** समिति में सभी राज्यों के वनसंरक्षक हैं। उसने विद्यमान कच्चा माल ढूंढ़न के लिये जिसका देश म उपयोग होता ह, और वकल्पिक साधन भी ढूंढ़ने के लिये एक प्रश्नावलि भेजी है।

†**श्री मात्तन :** क्या माननीय मंत्री को त्रावनकोर-कोचीन राज्य में बांस तथा मुलायम लकड़ी के बड़े साधनों की जानकारी है, और क्या वहां कागज़ का कोई कारखाना खोलने के सम्बन्ध में राज्य ने कोई प्रस्थापना भेजी है ।

†**श्री कृष्णमाचारी :** प्रश्न के पहले भाग के सम्बंध में, मैं माननीय सदस्य से जानकारी लूंगा। दूसरे भाग के लिये मुझे सूचना चाहिये ।

†**श्री च० द० पांडे :** कुछ राज्यों में कच्चा माल मिलता है किन्तु इस बात को देखते हुए कि संपूर्ण सवक्षण किया जा रहा है, ऐसी अनक मिलों की प्रगति जिनके पास माल है, रुक गयी है। इसलिये वहां माल न होने का कोई प्रश्न नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** प्रश्न क्या है ? माननीय सदस्य जानकारी दे रहे हैं।

†**श्री च० द० पांडे :** मैं यह जानना चाहता हूं कि मिलें चालू करने की अनेक परियोजनाओं की प्रगति केवल इस कारण क्यों रोक दी गयी है कि अखिल भारतीय सर्वेक्षण नहीं किया गया है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** कोई चीज रोकन का कोई प्रश्न नहीं ह। यदि हम ठीक ठीक संतोष हो जाता है कि किसी अमक कारखान के लिय कच्चा माल उपलब्ध होगा तो अनुज्ञप्ति दी जाती है। उसे रोकन का कोई सवाल नहीं है, किन्तु जहां संदेह होता ह, वहां स्वाभाविक ही उसे रोक लेना पड़ता है।

श्रीमती कमलेन्दुमति शाह : क्या सव करन वालों को पता नहीं या वे इस चीज की खोज कर रहे हैं कि हिमालय के चारों ओर से ऋषिकेश म लकड़ी आती है और वहां सबसे ज्यादा रा मटेरियल मिल सकता है ?

श्री कानूनगो : हिन्दुस्तान म लकड़ी को कागज बनान के काम में अभी तक नहीं लाया गया है लकिन खोज की जा रही है कि किस किस लकड़ी से कागज बनाया जा सकता है और इस बारे में ऋषिकेश तथा दूसरी स्टेट्स में खोज जारी है।

†**श्री त्रि० ना० सिंह :** सरकार जंगलों म जिस कच्चे माल का सर्वेक्षण कर रही है उसके अतिरिक्त क्या कागज बनाने में गन्ने की खोई को कच्चे माल के तौर पर काम में लाने का कोई प्रयत्न किया जा रहा है ?

†**श्री कृष्णमाचारी :** जी हां। उसका उपयोग किया जा सकता है। किन्तु कठिनाई यह है कि चीनी कारखानों को एसे भाव पर दूसरा इंधन देना पड़ेगा, जिससे उनसे खोई खरीदना हमारे लिये लाभदायक हो। कागज बनाने में खोई का उपयोग करने में वही मुख्य कठिनाई है।

सोन बांध योजना

†***५८०. डा० राम सुभग सिंह :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने सोन बांध योजना, जो बिहार सरकार ने प्रस्तुत की है, स्वीकार कर ली है ;

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां तो क्या उसकी पूरी योजना प्राप्त हुई है ;

(ग) क्या बांध का स्थान अन्तिम रूप से तय किया जा चुका है ?

(घ) विद्यमान सोन नहर पद्धति से जितने क्षेत्र की सिंचाई होती है उसके अतिरिक्त और कितने क्षेत्र की सिंचाई की जाने का अनुमान है ; और

(ड.) बांध बनाने में कितनी लागत का अनुमान किया जाता है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) वह परियोजना अस्थायी रूप में दूसरी योजना में शामिल की गयी है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) राज्य सरकार से जानकारी की प्रतीक्षा है।

(घ) और (ड.). योजना के क्षेत्र और लाभ का विवेचन अभी बाकी है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : भाग 'ख' के उत्तर में मंत्री ने 'नहीं' कहा है। योजना का कौन सा भाग प्राप्त हुआ है ?

†**श्री हाथी** : एक अस्थायी परियोजना प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है, विस्तार नहीं।

†**डा० राम सुभग सिंह** : क्या योजना आयोग या भारत सरकार के आदेश से यह नया सोन बांध बनाने के लिये सोन नहर पद्धति से पानी की दर २०० प्रतिशत बढ़ा ी गई है ? यदि हां तो जब १९५२ में पानी की दरें बढ़ाई गयी थीं, तब सोन बांध बनाने का काम क्यों नहीं शुरू किया गया ?

†**श्री हाथी** : वास्तव में वह राज्य सरकार से संबंधित प्रश्न है, और वह इस प्रश्न से उत्प नहीं होता । सिंचाई और विद्युत मंत्रालय को विभिन्न राज्यों में प्रचलित दरों की जानकारी नहीं है।

†**डा० राम सुभग सिंह** : प्रश्न के दूसरे भाग का उत्तर नहीं दिया गया है । मैंने पूछा था कि क्या योजना आयोग या भारत सरकार के आदेश से पानी का दर २०० प्रतिशत बढ़ाया गया था और क्या यह स्पष्ट घोषणा की गयी थी कि दर बढ़ा कर सोन बांध योजना कार्यान्वित की जायेगी।

†**योजना तथा सिंचाई और विद्युत मंत्री (श्री नंदा)**: योजना आयोग का कोई संबंध नहीं है। पानी की दर बढ़ाने के लिए किसी राज्य की विशिष्ट प्रस्थापनाओ को वह स्वीकार नहीं करता।

†**डा० राम सुभग सिंह** : मंत्रीजी ने बताया कि इस योजना का कुछ भाग सरकार को और योजना आयोग को प्राप्त हुआ है। क्या मंत्रीजी को यह बात मालूम है कि सोन बांध पहले से ही मौजूद है और उससे जितनी भूमि की सिंचाई हो सकती है उससे कहीं ज्यादा भूमि की सिंचाई की जाती है ? यदि हां, तो दरें क्यों बढ़ायी गयी क्योंकि पानी पहले ही बहुत कम मात्रा में है ?

†**श्री हाथी** : जहां तक सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय का संबंध है, योजनाएं योजना आयोग के पास आती हैं और बाद मे उसके प्राविधिक परीक्षण के लिये वे केन्द्रीय जल तथा विद्युत् आयोग के पास भेजी जाती हैं। जहां तक वतमान परियोजनाओं का संबंध है, वर्तमान एनिकट के स्थान पर दूसरा रखने का विचार है जिसकी कार्यक्षमता घटती जा रही है । दर बढ़ाने से उसका कोई संबंध नहीं है। कुछ एक से दर रखने के लिये योजना आयोग राज्य सरकारों को परामर्श दे सकता है किन्तु इस परियोजना के संबंध में हमें राज्य सरकार से पूरे विस्तार अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

आकाशवाणी नाटकोत्सव

†*५५८. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आल इंडिया रेडियो के गीत और नाटक विभाग ने दिल्ली में मई, १९५६ में जो नाटकोत्सव आयोजित किया था, उस सम्बन्ध में समाचार पत्र और जनता की क्या प्रतिक्रिया थी;

(ख) क्या आगामी शरद् में राजधानी में इसी प्रकार के उत्पन्न आयोजित करने का सरकार का विचार है; और

(ग) उस उत्सव में कितने नाटक खेले गये ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) बहुत अच्छी। सामान्यतया उसका स्वागत किया गया है।

(ख) जी नहीं। मुख्यतया निधि की कमी के कारण।

(ग) पुतली के खेलों के अतिरिक्त चार नाटक।

रासायनिक औषधियां तैयार करना

†*५५९. **श्री त० ब० विट्ठल राव :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या देश में मूलभूत कच्चे माल के लिये रासायनिक औषधियां तैयार करने के संबंध में रूसी विशेषज्ञों ने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत दिया है ; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन की मुख्य मुख्य बातें क्या हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) जी हां।

(ख) प्रतिवेदन विचाराधीन है और इस दशा में प्रतिवेदन की जानकरी प्रकाशित करना वांछनीय नहीं है।

कांस्टीट्यूशन हाऊस

†*५६२ **श्री कामत :** क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री १४ मई,१९५६ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २१९१ के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कांस्टीट्यूशन हाऊस पर दिन रात पुलिस की विशेष निगरानी की व्यवस्था अब भी जारी है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या विस्तार हैं ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर):** (क) जी हां

(ख) तीन पुलिस सिपाही वर्दी में और दो सादे कपड़ों में हमेशा कांस्टीट्यूशन हाऊस में देखभाल करते हैं।

फल औद्योगिक क्षेत्र

†*५६६. **श्री मादिया गौडा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या बंगलौर में एक फल औद्योगिक क्षेत्र चालू करने का सरकार का विचार है; और

---

†मूल अंग्रेजी में।

(ख) यदि हां, तो उसकी प्रारम्भिक लागत क्या होगी ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) जी नहीं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

दुध के स्थान पर काम आने वाले पदार्थों का वाणिज्यिकरण

†*५६९. **श्री झूलन सिंह** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या मूंगफली से, दूध की स्थान पर काम आने वाले पदार्थों को वाणिज्यक आधार पर बनाया जाना शुरू कर दिया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या उस कारण जमाये हुए दूध तथा दूध के पाउडर के आयात में किसी हद तक कमी हुई है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री काननगो)** : (क) हमें जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

डीज़ल गाडियां

†*५७०. **श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६ में अभी तक कितने डीज़ल ट्रक बनाये गये हैं अथवा जोडे गये है ; और

(ख) द्वितीय पंच वर्षीय योजना की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये गाड़ियों की कमी पूरा करने के लिये क्या कदम उठाये जा रहे हैं ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) जनवरी से जून, १९५६ तक ४१८२ व्यापारिक गाड़ियां उत्पादित की गई हैं।

(ख) दो तरह की डीज़ल गाड़ियों का उत्पादन पहले से ही हो रहा है। दो ऐसे निर्माता भी हैं जो सामान्य पेट्रोल गाड़ियों के साथ-साथ अन्य निर्माताओं से प्राप्त डीज़ल इंजन वाली गाड़ियां भी सप्लाई करते हैं। इसके अतिरिक्त मोटर गाड़ियों के लिये डीज़ल इंजन बनाने की दो और योजनाएं भी हैं। प्रशुल्क आयोग यह जांच कर रहा है कि ये सब एकत्र मिलकर भविष्य में देश की आवश्यकताओं को कहां तक पूरा करने में समर्थ होंगे।

सूत

†*५७२. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) २०नम्बर कपास के सूत की एक गट्ठर की जुलाई, १९५५ और जून, १९५६ में क्रमशः कितनी कीमतें थीं; और

(ख) और क्या सरकार कपास तथा सत की कीमतों का नियंत्रण करने का कोई इरादा रखती है ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)**: (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या २**]

---

†मूल अंग्रेजी में।

सीमेंट उद्योग की मशीनरी

†*५७८. **श्री वोडयार :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि सीमेंट उद्योग के लिये मशीनरी तथा अन्य उपकरण बनाने के लिये ए०सी०सी० लिमिटेड शीघ्र ही एक कारखाना खोलने जा रही है और यह कारखाना मेसर्ज़ बेब-कॉक्स एण्ड क्निकॉक्स लिमिटेड तथा विकर्स लिमिटेड से सम्बद्ध होगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस कम्पनी ने इस सम्बन्ध में सरकार को कोई योजना भेजी है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):** (क) तथा (ख). जिन तीन सार्थों का माननीय सदस्य ने अभी उल्लेख किया है उन के बीच वार्तालाप लगभग पूर्ण हो चुका है, किन्तु अभी तक उन्होंने समग्र परियोजना के लिये भारत सरकार को औपचारिक स्वीकृति देने के लिये नहीं कहा है।

बाढ ग्रस्त राज्य

†*५८१. **श्री संगण्णा :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सत्य है कि राज्य विकास आयुक्तों तथा सामूदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों के निर्देशकों को अभी हाल की बाढ़ों से ग्रस्त होने वाले राज्यों को सभी सम्भव सहायता देने के लिये कहा गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में किस प्रकार की सहायता दी गई है ; और

(ग) क्या इस व्यय का भार सम्बन्धित राज्यों की सामुदायिक परियोजनाओं तथा राष्ट्रीय विस्तार सेवा खंडों पर डाला गया है ?

†**योजना उपमंत्री (श्री श्या० नं० मिश्र) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

चाय का निर्यात

†*५८२. **श्री न० मा० लिंगम् :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्ष में अमरीका और कनाडा को चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

†**उपभोग वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो):** इस संबंध में निम्नलिखित कदम उठाये गये है :—

(१) अमरीका और कनाडा में चाय की खपत बढाने के उद्देश्य से प्रचार करने के लिये स्थानीय चाय व्यापारियों तथा अन्य चाय उत्पादक देशों के साथ मिलकर संयुक्त चाय प्रचार परिषदें बनाई गई हैं।

(२) वहां पर १९५३ से लेकर प्रति वर्ष एक सद्भावना चाय शिष्ट मंडल भेजा जाता रहा है।

(३) भारतवर्ष ने मई, १९५५ में टोरान्टो में हुए केनेडियन अंतर्राष्ट्रीय मेले में भी भाग लिया था।

भारतीय सूती कपडा

†*५८३. **श्री विश्वनाथ राय :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या हाल में भारत तथा बर्मा सरकार के बीच बर्मा को भारतीय सूती कपड़ा भेजे जाने के संबंध में कोई समझौता हुआ है ?

†**व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) :** जी हां, १४ जुलाई १९५६ को।

---

†मूल अंग्रेजी में।

दामोदर घाटी निगम कर्मचारी

†*५८४. **मुल्ला अब्दुल्ला भाई :** क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री ४ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९६२ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दामोदर घाटी निगम के कर्मचारियों में से छटनी किये गयें कितने कर्मचारियों को अभी तक अन्य उपक्रमों में स्थानान्तरित किया जा चुका है ;

(ख) क्या और छंटनी की भी कोई संभावना है ?

†**सिंचाई और विद्युत् उपमंत्री (श्री हाथी) :** (क) ५२५।

(ख) जी हां।

नंगल कारखाना योजना

*५८५. **श्री ख० चं० सोधिया :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नंगल कारखाना योजना के लिये, जिसकी सिफारिश मंत्रालय ने अपनी १९५५-५६ की रिपोर्ट में की है, किसी विशेषज्ञ फर्म का चुनाव कर लिया गया है ;

(ख) यदि हां, तो फर्म का नाम और वह किस देश की है ;

(ग) यदि नहीं, तो चुनाव कब तक किये जाने की संभावना है;

(घ) क्या सरकार ने विशेषज्ञ फर्म की नियुक्ति और उस फर्म को दिये जाने वाले पारिश्रमिक आदि मामलों पर विचार कर लिया है;

(ङ) यदि हां, तो उनके बारे में किये गये निर्णय की रूपरेखा क्या है; और

(च) १९५६-५७ के लिये निर्दिष्ट कार्यक्रम के विभिन्न पहलुओं के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे) : (क) से (ङ). योजना के लिये किसी एक फर्म का तो यांत्रिक सलाहकारों की नियुक्ति हेतु चुनने के उद्देश्य से, नवम्बर, १९५५ में ३ विदेशी फर्मों को योजना की प्राथमिक रूपरेखाएं प्रस्तुत करने को कहा गया था। इनमें से दो फर्मों से प्राथमिक रूपरेखाएं हाल ही में प्राप्त हो चुकी हैं और उनकी जांच हो रही है। आशा है, तीसरी फर्म अगस्त के आरम्भ में अपनी रूपरेखा प्रस्तुत कर देगी। आशा की जाती है कि तीनों प्राथमिक रूपरेखाओं की विस्तृत जांच करने के पश्चात्, यांत्रिक सलाहकारों का चुनाव इस वर्ष अक्तूबर तक हो जायेगा। यांत्रिक सलाहकारों को क्या पारिश्रमिक दिया जाय, इस बारे में निर्णय प्राथमिक रूपरेखाओं की जांच की समाप्ति के पश्चात किया जायगा।

(च) सूचना देने वाला विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ३]**

त्रिपुरा में स्थानीय विकास कार्य

†*५८६. **श्री दशरथ देव :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५६-५७ के वर्ष के लिये त्रिपुरा में स्थानीय विकास कार्यों के लिये कितने रुपये का प्राक्कलन लगाया गया है ;

(ख) प्रत्येक शीर्ष के लिये कितनी राशि प्राक्कलित की गयी है; और

(ग) उस राशि में से अभी तक कितना रुपया व्यय किया जा चुका है ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: (क) से (ग). सम्भवतया, माननीय सदस्य का आशय प्रथम पंचवर्षीय योजना की अवधि में १९५३-५४ में प्रारम्भ की गई स्थानीय विकास कार्य योजना से है। अस्थाई रूप से त्रिपुरा को उंस योजना के लिये चालू वर्ष के लिये ९०,००० रुपये आवंटित किये गये हैं। इस योजना के अनुसार राज्य सरकारों को स्थानीय कार्यों के लिये अनुदान दे दिये जाते हैं तथा इसके बाद राज्य सरकारें स्थानीय लोगों की आवश्यकताओं के अनुसार स्थानीय कार्यों का विस्तृत विवरण स्वयं तैयार करती हैं। फिलहाल किसी विशेष प्रकार के कार्य के लिये कोई विशेष राशि रखने का कोई विचार नहीं है। क्योंकि अभी तक इस प्रोग्राम के संबंध में किसी प्रक्रिया तथा नीति का निर्णय नहीं हो सका है। इसलिये अभी राज्य सरकारों को केन्द्रीय अनुदानों को नये कार्यों में प्रयुक्त न करने के लिये कहा गया है।

ी नयरिंग कर्मचारी समिति

† *५८७. **श्री देवेन्द्र नाथ सर्मा** : क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने द्वितीय पंचवर्षीय योजना की अवधि में जो ६२ स्कूल खोलने की सिफारिश की है उसमें से कितने यांत्रिक इंजीनियरिंग तथा कितने विद्युत इंजीनियरिंग स्कूल आसाम में खोले जायेंगे ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)**: इंजीनियरिंग कर्मचारी समिति ने पूर्वी प्रदेश के लिये जिसमें आसाम, पश्चिमी बंगाल, बिहार, उड़ीसा, मनीपुर और त्रिपुरा सम्मिलित हैं, २९ इंजीनियरिंग स्कूल बनाने की सिफारिश की है। अभी यह नही बताया जा सकता है कि इसमें से आसाम में कितने स्कल खुलेंगे। समिति की सिफारिशें अभी विचाराधीन हैं।

कोरी फिल्में

*५८८. **ीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४-५५ और १९५५-५६ में विदेशों से कोरी फिल्में खरीदने के लिए कितनी राशि बाहर भेजी गई ; और

(ख) कोरी फिल्मों का निर्माण करने के लिये भारत में एक कारखाना न खोले जाने का क्या कारण है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):(क) १९५४-५५ तथा १९५५-५६ (अप्रैल-फरवरी) में क्रमश: १५१ लाख रु० और २०६ लाख रु० की कोरी फिल्मों का आयात किया गया।

(ख) क्योंकि कोरी फिल्में बनाने में एक अत्यन्त कठिन तथा जटिल प्रक्रिया सम्बन्धी शिल्प-ज्ञान तथा सही सही जानकारी की आवश्यकता होती है और इनके उत्पादन में लाभ होना निश्चित नहीं है।

संसद् सदस्यों के फ्लैटो में नौकरों के क्वार्टरों में बिजली लगाना

†*५८९. **श्री त० ब० विट्ठल राव** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री बह बताने की कृपा करेंगे कि सरकार का संसद् सदस्य के फ्लैटों तथा बंगलों में नौकरों के क्वार्टरों में कब तक बिजली लगवाने का विचार है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)** : नार्थ और साऊथ एवेन्यू के सभी एम० पी० फ्लेटों तथा सभी एम० पी० बंगलों के सर्वेंट क्वार्टरों में अन्दर की तारें लग चुकी है। नई दिल्ली म्यून्सिपल कमेटी ने भी नार्थ और साऊथ एवेन्यू के एम० पी० फ्लैटों से

†मूल अंग्रेजी में।

संलग्न सभी सर्वेन्ट क्वाटरों के लिये केवल २८ नये क्वाटरों को छोड़ कर, आवश्यक केबल बिछा दिये हैं। अब नई दिल्ली म्यूनसिपल कमेटी एम० पी० बंगलों से संलग्न सर्वेंट क्वाटरों में केबल बिछा रही है और जब वह २८ नये क्वाटरों में विद्युतकरण की कीमत केन्द्रीय लोक निर्माण विभाग को भेज देगी और उसके पास लोक निर्माण विभाग द्वारा आवश्यक राशि जमा कर दी जायेगी तब म्यूनसिपल कमेटी वहाँ भी कार्य शुरु कर देगी ।

जिन क्वाटरों में केबल लग चुके हैं उनके निवासियों को कमेटी में आवश्यक राशि जमा करने के साथ ही बिजली दे दी गई है ।

पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमोल्लंघन

†*५९०. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान मंत्री** २४ फरवरी, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१८ के उत्तर के सम्बंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत सरकार ने पाकिस्तान सरकार को पाकिस्तानी वायु सेना के विमानों के अमृतसर से ३० मील के अन्तर पर खालरा के समीप भारतीय सीमा का उल्लंघन करने के बारे में, जो विरोधपत्र दिया था, उसका क्या परिणाम हुआ है ?

†**वैदेशिक कार्य मंत्री के सभासचिव (श्री सादत अली खां) :** हमारे विरोध पत्र के संम्बंध में पाकिस्तान ने हमारे द्वारा उद्धृत मानक्षेत्र निर्देशों के संम्बंध में कुछ स्पष्टीकरण मांगा था। यह सूचना भेज दी गई है। अब उस के उत्तर की प्रतिक्षा की जा रही है।

पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति

*५९१. **श्री विभूति मिश्र :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्तियों के चम्पारन जिले में बसाये जाने के बारे में कोई योजना तैयार की है, और

(ख) यदि हां, तो वे कहां पर बसाये जायेंगे और कितने समय में उनको वहां स्थायी रूप से बसा दिया जायेगा ?

पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) : (क) जी हां।

(ख) जिन स्थानों पर यह लोग बसाये जायेंगे, उनके नामों की सूची सभा पटल पर रख दी गयी है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ४**] लोगों का जाना शुरू हो गया है और अगस्त, १९५६ तक समाप्त हो जायेगा।

फिल्म पुस्तकालय

†*५९२. **श्री मादिया गौडा :** क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार प्रत्येक राज्य में फिल्म पुस्तकालय खोलने का कोई विचार कर रही है; और

(ख) इन पुस्तकालयों से फिल्में लेने के लिये क्या शर्तें रखीं जायेंगी ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर) :** (क) तथा (ख). फिल्म डिवीजन के ६ वितरण विभागों में पहले से ही ऐसे पुस्तकालय हैं और निजी व्यक्तियों, राजनीतिक पार्टियों तथा व्यापारिक संस्थाओं को ८ आना प्रति फिल्म के हिसाब से वहां से किराये पर फिल्में दी जाती हैं। फील्ड पब्लिसिटी अधिकारियों को भी जिनके पास इन फिल्मोंका स्टाक रहता है, शिक्षा तथा धार्मिक संस्थाओं, अस्पतालों, समाज कल्याण अधिकरणों तथा अन्य अव्यवसायी संस्थाओं को बिना किसी पैसे के ये फिल्में देने का अधिकार दिया गया है ।

---

†मूल अंग्रेजी में।

द्वितीय पंच वर्षीय योजना में पुस्तकालय सेवा की पुन:व्यवस्था करने का आयोजन किया गया है। इसके अनुसार इस समय राज्यों तथा केन्द्रीय सामुदायिक परियोजना क्षेत्रों की गाड़ियों को की जाने वाली पुस्तकों की सप्लाई की पुन:व्यवस्था की जायेगी। हमारा यह विचार है कि प्रत्येक जिलें में, और यदि संभव हो सके तो उससे भी निचले स्तर पर, फिल्मों के ऐसे पुस्तकालय खोलें जायें जिनका ये गाड़ियां तथा जनता दोनों लाभ उठा सकें।

इस्पात की ढली हुई और तापकृट्टित वस्तुओं का निर्माण

†*५९३. **श्री राम कृष्ण :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या ब्रिटेन, जर्मनी, योगस्लाविया और जापान की भिन्न भिन्न फर्मों से ग्रेसांचों, इस्पात के सांचों तथा इस्पात के तापकुट्टनों के उत्पादन की जिस योजना के बारे में बातचीत चल रहीं थी क्या वह पूरी हो चुकी है ;

(ख) यदि हां, तो इन बातचीत का क्या परिणाम रहा है ; और

(ग) इस उद्देश्य के लिये प्रत्येक देश में किन किन फर्मों को चुना गया है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) :** (क) जी नहीं।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

सड़क कूटने के इंजन

†*५९४. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) प्रतिवर्ष कितने सड़क कूटने के इंजनों का आयात किया जाता है ; और

(ख) भारत इस दिशा में कब आत्मनिर्भर हो जायेगा ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह):** (क) भारत के विदेशी व्यापार (समुद्र जहाजों, वायुयानों और रलों आदि से) तथा परिवहन के लेख में सड़क कूटने के इंजनों के आयात के पृथक आंकड़े नहीं दिखाये जाते हैं।

(ख) भारत में सड़क कुटने की डीजल इंजिनों के निर्माण का कार्य ५ वर्षों में बांटा गया है और हमें आशा है इन ५ वर्षों में हम इस दिशा में आत्म निर्भर हो जायेंगे।

पंजाब में ग्रामोद्योग

†*५९५. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि केन्द्रीय सरकार द्वारा पंजाब सरकार को १९५५-५६ के दौरान में ग्रामोद्योगों के लिये दी गई सहायता अथवा अनुदान का राज्य सरकार द्वारा पूरा पूरा उपयोग नहीं किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ?

†**उत्पादन मंत्री के सभासचिव (श्री रा० गि० दुबे) :** (क) जी हां।

(ख) राज्य सरकार ने कुछ योजनाओं को त्याग दिया था। राज्य सरकार की द्वितीय पंचवर्षीय योजना में १९५६-५७ में कार्यान्वित की जाने के लिये कई ऐसी योजनायें सम्मिलित थीं जिनके स्वरूप को कि अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड ने स्वीकार कर लिया था।

---

†मूल अंग्रेजी में।

भारी मशीनों का निर्माण

*५९६. { **श्री भागवत झा आजाद :**
श्री गजेन्द्र प्रसाद सिन्हा :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार ने द्वितीय पंच वर्षीय योजना के समय में भारी मशीनों की उत्पादनक्षमता बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करने के लिये कोलंबो योजना के अन्तर्गत एक ब्रिटिश मिशन को बुलाया है ; और

(ख) क्या ब्रिटिश उद्योग संघ ने इस विषय में सहयोग देने की इच्छा प्रगट की है ?

भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह) : (क) तथा (ख). ब्रिटिश उद्योग संघ और कोलंबो योजना के मिले जुले तत्वावधान में एक शैल्पिक मिशन का आना हमने स्वीकार कर लिया है। यह मिशन देश में भारी मशीनों तथा इंजीनियरी उद्योगों के विकास के विषय में हमें सलाह देगा।

औद्योगिक आवास योजना

†*५९७. **श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की क्या बिहार और उड़ीसा के क्षेत्रों में जामदाह-बाराबील लोहे और मैंगनीज की खानों में काम करने वाले लोगों के लिये औद्योगिक आवास बनाने की कोई स्कीम प्रथम पंच वर्षीय योजना में थी ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर) :** नवम्बर, १९५४ में राज्य सहायता प्राप्त औद्योगिक आवास योजना को लोहे और मेंगनीज की खानों में काम करने वाले लोगों पर भी लागू कर दिया गया था, किन्तु अभी तक सहायता के लिये कोई भी आवेदन पत्र स्वीकार नहीं किया गया है। उड़ीसा के कुछ आवेदन पत्रों पर अभी विचार किया जा रहा है।

पूर्वी बंगाल के विस्थापित व्यक्ति

†*५९८. **श्री साधन गुप्त** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पूर्वी बंगाल के कुल कितने विस्थापित व्यक्ति उड़ीसा की बलियारपुर, सुन्दरपुर और कुन्तलवाई बस्तियों में बसाये गये है ;

(ख) ऐसे विस्थापित व्यक्तियों की कुल संख्या कितनी है जो इन बस्तियों को छोड़कर पश्चिमी बंगाल वापस लौट गये है ; और

(ग) इसके क्या कारण है ?

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले):** (क) से (ग). सूचना एकत्र दी जा रही है और यथा समय लोक सभापटल पर रखी जायेगी।

आकाशवाणी का संगीत और नाटक डिवीजन

†*६००. **श्री म० शि० गुरूपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आकाशवाणी के संगीत और ड्रामा डिवीजन को बढ़ाने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचारधीन है ;

(ख) यदि हां, तो कलाकारों की भर्ती किस प्रकार की जाने वाली है ;

(ग) क्या सरकार ने संगठित ड्रामा संगठनों को वित्तीय सहायता देने के वैकल्पिक प्रस्ताव पर भी विचार किया है ; और

(घ) यदि हां, तो द्वितीय प्रस्ताव के बारे में सरकार के क्या विचार हैं ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) ऐसा कोई ठोस प्रस्ताव नहीं है।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

(ग) तथा (घ). संगीत और ड्रामा डिवीजन द्वारा मान्यताप्राप्त ड्रामा संगठनों को एक राशि के रुप में वित्तीय सहायता देने अथवा वार्षिक अनुदान देने के बजाय जितनी बार उनका कार्यक्रम होता है उसके आधार पर दिया जाता है तथा प्रति कार्यक्रम का माप व्यय आदि बातों का ध्यान रखते हुए निर्धारित किया जाता है।

मशीनी औजार उद्योग

†*६०१. **श्री तुलसीदास :**
श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री १४ मई, १९५६ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या २१६० के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि मशीनी औजार उद्योग संबन्धी दस व्यक्तियों की समिति ने अब तक कितनी प्रगति की है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : ज्ञात हुआ है कि समिति के प्रतिवेदन पर अंतिम निर्णय हो चुका है और वह शीघ्र ही सरकार को उपलब्ध होगा।

वामसधारा परियोजना

†*६०२. **डा० रामा राव :**
श्री मोहन राव :

क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वामसधारा परियोजना के संबंध में आन्ध्र और उड़ीसा की सरकारों में हुए करार का प्रतिवेदन सरकार को प्राप्त हो गया है ;

(ख) क्या केन्द्रीय सरकार ने उसे स्वीकृत कर लिया है ;

(ग) इस परियोजना विशेष के लिये सरकार आन्ध्र को कब तक वित्तीय सहायता देने का विचार करती है ; और

(घ) इस परियोजना को पूरा करने का कुल प्राक्कलित व्यय कितना है ?

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) जी हां।

(ख) अभी नहीं।

(ग) इस परियोजना के लिये आन्ध्र की द्वितीय पंच वर्षीय योजना में १ करोड़ रुपये (५ प्रतिशत कटौती के बिना) का उपबन्ध किया गया है।

(घ) १२·५६ करोड़ रुपये।

आसाम में बाढ़ नियंत्रण योजनायें

†*६०३. **श्री देवेन्द्रनाथ सर्मा** : क्या **सिंचाई और विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या चालू वित्तीय वर्ष में आसाम के लिये किसी बड़ी बाढ़ नियंत्रण योजना की स्वीकृति दी गयी है ; और

(ख) यदि हां, योजना के अंतर्गत किये जानेवाले कार्य का ब्यौरा।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**सिंचाई और विद्युत उपमंत्री (श्री हाथी)** : (क) आसाम के लिये सन् १९५६–५७ में कोई बड़ी योजना अर्थात् १० लाख रुपये या उससे अधिक की स्वीकृत नहीं की गयी है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

रूरकेला इस्पात कारखाना

†*६०४. **श्री कामत** : क्या **लोहा और इस्पात** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) क्या रूरकेला परियोजना के लिये चीफ मेडीकल ऑफिसर की नियुक्ती कर दी गयी है,

(ख) यदि हां, तो उसका नाम तथा योग्यतायें क्या हैं ; और

(ग) उसके चुनाव में क्या तरीका अपनाया गया ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : (क) "चीफ मडीकल ऑफिसर के" नाम से कोई पदाधिकारी नियुक्त नहीं किया गया है। किन्तु रूरकला में चिकित्सा संबंधी सुविधाओं को संगठित करने के लिये एक पदाधिकारी नियुक्त किया गया है।

(ख) डा० ई० के० के० पिल्ले,बी० ए० (मद्रास), एम० बी० बी० एस० (मद्रास), आई० एम० एस० में भूतपूर्व मेजर।

(ग) उनका नाम प्रतिरक्षा मंत्रालय से प्राप्त हुआ तथा स्वास्थ्य सेवाओं के महा निदेशक द्वारा भी स्वीकृत कर लिया गया था। नियुक्ति हिन्दुस्तान इस्टील प्राइवेट लि० के० संचालक बोर्ड द्वारा की गयी थी।

काजू की फैक्टरियों का बन्द होना

†*६०५. **श्री अ० क० गोपालन** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि त्रावणकोर-कोचीन राज्य की ८० प्रतिशत काज फैक्टरियों ने नोटिस दे दिया है कि वे शीघ्र ही बंद हो रही हैं ;

(ख) यदि हां, तो इसके कारण ; और

(ग) सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की गयी है। जिससे कि यह फैक्टरी-बन्दी टल जाये ?

†**वाणिज्य और उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो)** : (क) सरकार को मालूम हुआ है कि क्विलोन में कुछ फैक्टरियों द्वारा बन्द होने के नोटिस लगा दिये गये हैं।

(ख) कारण यह बताया गया है कि कच्चे काजू पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं हैं।

(ग) स्थिति पर विचार करने के लिये त्रावणकोर-कोचीन सरकार के संयुक्त परामर्शदाता द्वारा उच्च स्तरीय सम्मेलन बुलाया जा रहा है।

मोटर गाड़ियां

†*६०६. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बतान की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित अथवा जोड़ी हुई मोटर गाड़ियों में प्रयुक्त सभी कच्चा माल देशी था ?

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शंगह)** : जी नहीं। देशी साधनों से प्राप्त प्रयुक्त किये गये कच्चे माल की मात्रा प्रदर्शित करते हुए एक विवरण पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ५**]

लोहे तथा इस्पात की छीलन

†***६०८. श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) लोहे तथा इस्पात की छीलन, जो निर्यात की जा रही है, क्या देश में प्रयुक्त नहीं की जा सकती ; और

(ख) क्या देश में उपलब्ध इस छीलन का इस्पात निर्मित करने के लिये उपयोग करने की संम्भावना की सरकार ने जांच की है ?

†**भारी उद्योग मंत्री (श्री म० म० शाह)** : (क) और (ख). जी हां। केवल वही छीलन निर्यात की जाता है जिसकी देश में आवश्यकता नहीं है।

गारो पहाड़ी क्षेत्र (आसाम) में विस्थापित व्यक्ति

†***६०९. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती** : क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे :

(क) गारो पहाड़ी क्षेत्र (आसाम) में विस्थापित व्यक्तियों की क्या संख्या है ;

(ख) क्या उन्हें खेती करने अथवा मकान बनाने के लिये कोई जमीन दी गई है; और

(ग) उनके पुनर्वास के लिये अन्य क्या सहायता दी गई है ?

†**पूनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले)** : (क) से (ग). सूचना एकत्रित की जा रही है और सभा पटल पर रखी जायेगी।

कागज़ तथा अखबारी कागज़ के कारखाने

†**३३७. श्री राम कृष्ण** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि कागज की दो मिलों नामत: (१) मेट्टूर में छपाई तथा लिखाई के कागज की फैक्टरी और (२) मद्रास राज्य में भवानी सागर में अखबारी कागज की फैक्टरी, की स्थापना की योजना किस स्थिति पर है?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)**: मेट्टूर में कागज की फैक्टरी अथवा मद्रास राज्य में भवानी सागर में अखबारी कागज की फैक्टरी की स्थापना संबंधी कोई विशिष्ट योजनायें अबतक इस मंत्रालय में प्राप्त नहीं हुई है।

उन का मिल

३३८. श्री बलवन्त सिंह मेहता : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राजस्थान में ऊन का एक मिल खोला जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो वह कहां खोला जायेगा और उसमें कितने तकुए और करघे होंगे ; और

(ग) इसमें कितने व्यक्तियों को काम मिलेगा ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) : (क) से (ग). ऊन कातने का कारखाना खोलने का एक प्रस्ताव आया है जिसे सरकार ने मंजूरी दे दी ह। इसमें लगभग २०० तकुए होंगे। यह उदयपुर में स्थापित किया जायेगा और इसमें ५० से कम व्यक्ति काम करेंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में।

मुआविजे की अर्जियां

†३३९. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **पुनर्वास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ फरवरी, १९५६ से अब तक विस्थापित व्यक्तियों द्वारा मुआविजें की कितनी आर्जियां दी गयी हैं ;

(ख) सत्यापित दावों के संबंध में कितनी अर्जियां प्राप्त होने की आशा थी ; और

(ग) कितनी अर्जियां बाद को प्राप्त हुअी जिनके मामलों में कि विलंब की माफी दी गई ।

†**पुनर्वास उपमंत्री (श्री ज० कृ० भोंसले) :** (क) से (ग). अर्जियो की प्राप्ति की अंतिम तिथि २६ सितम्बर, १९५५ थी । उसके बाद कुछ मामले आये जिनमें विलंब से भेजने की माफी की अर्जियां दी गयी थी । यह ठीक ठीक प्राप्त नहीं है कि ऐसे कितने मामलों में विलंब की माफी दी गयी । कुछ अर्जियां उन दावों के संबंध में भी प्राप्त हुअी हैं जो २६ सितम्बर के बाद सत्यापित किये गये थे । उनकी ठीक ठीक संख्या प्राप्त नहीं है किन्तु आंकड़े संकलित होते ही लोक सभा पटल पर रख दिये जायेंगे ।

लंका की नागरिकता

†३४०. **श्री दी० चं० शर्मा :**
पन्डित द्वा० ना० तिवारी :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५६, से अब तक लंका की नागरिकता के लिये कितने भारतीयों की अर्जियों पर अंतिम निर्णय किया जा चुका है ;

(ख) अब तक कितने व्यक्तियों को लंका की नागरिकता प्रदान की गई है तथा कितनी अर्जियां अस्वीकृत की जा चुकी हैं ;

(ग) कितनी अर्जियां अभी विचारधीन हैं ;

(घ) ऐसे भारतीयों की संख्या क्या है जिन्हें उनकी लंका की नागरिकता की अर्जियां अस्वीकृत हो जाने पर अब तक भारतीय नागरिकता प्रदान की जा चुकी है ; और

(ङ) कितनी ऐसी अर्जियां अभी विचारधीन हैं ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) :** (क) जनवरी से अप्रैल, १९५६ तक १९,३७८ अर्जियां निर्णीत हुयीं ।

(ख) अब तक ४१,३१२ व्यक्ति लंका के नागरिकों के रूप में पंजीकृट हुये है, और ८१,९५० अर्जियां जिनमें २,६२,५०९ व्यक्ति सम्मिलित हैं, अस्वीकृत हुयी हैं ।

(ग) १,५५,०८४ अर्जियां अभी विचारधीन है ।

(घ) और (ङ). ठीक ठीक आंकड़े बताना कठिन है क्योंकि अर्जी देने वाले व्यक्ति यह बताने में सकुचाते हैं कि उनकी लंका की नागरीकता की अर्जियां अस्वीकृत हो गयी हैं । किन्तु ३० जून १९५६ तक १९३ अर्जी देने वालों ने अपनी अर्जियों की अस्वीकृति स्वीकार की है । इनमें से भारतीय नागरिकता के लिये दी गयी ५८ अर्जियां स्वीकार कर ली गयी हैं । शेष पर विचार हो रहा है ।

---

†मूल अंग्रेजी में ।

नांगल में उर्वरक तथा भारी पानी की फैक्टरी

†३४१. { **श्री दी० चं० शर्मा :**
श्री राम दास :

क्या **उत्पादन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या नांगल में उर्वरक भारी जल फैक्टरी स्थापित की जाने वाली है ;

(ख) यदि हां, तो क्या इस कार्य के लिये भूमि का अधिग्रहण कर लिया गया है ; और

(ग) विस्थापित व्यक्तियों को कैसे बसाया जायगा ?

†**उत्पादन मंत्री (श्री क० च० रेड्डी)** : (क) जी, हां ।

(ख) फैक्टरी के लिये तुरंत जिस भूमि की आवश्यकता थी, उसका अधिग्रहण करने के बारे में पंजाब सरकार ने तमाम कारवाई पूरी कर ली है और अगले कुछ दिनों में इस क्षेत्र की खेती योग्य और बेकार सब भूमि का कब्जा नांगल उर्वरक तथा रसायन फैक्टरी को देने की आशा हैं ।

(ग) विस्थापित व्यक्तियों के पुनर्वास की समस्या को हल करना मूलतः राज्य सरकार का काम है । तथापि भारत सरकार और नांगल कंपनी इस मामले में यथासंभव सहायता देने का प्रयत्न करेगी ।

बिना बारी के मकानों का आंवटन

†३४२. **डा० सत्यवादी** : क्या **निर्माण, आवास और संभरण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पिछले वित्तीय वर्ष में सरकार द्वारा बनाये गये क्वार्टरों के कुल आंवटन में से कितने क्वार्टर बिना बारी के आंवटित किये गये ; और

(ख) प्रतीक्षा सूची पर प्राथमिकता वाले कितने व्यक्ति हैं, जिन्हें अभी तक निवासस्थान नहीं दिया गया है ; और इसका क्या कारण है ?

†**निर्माण, आवास और संभरण मंत्री के सभासचिव (श्री पू० शे० नास्कर)**: (क) ७७१ ।

(ख) ३३४ बिना बारी के प्रतीक्षा सूची के व्यक्तियों को केवल एक सीमित संख्या में रिक्त क्वार्टर आंवटित किये जाते हैं, इसलिये उन सब व्यक्तियों को क्वार्टर देना संभव नहीं हो सका था जिनको मार्च, १९५६ के अन्त तक बिना बारी के आंवटनो की मंजूरी दी गई थी ।

नेपाल में सड़कों का निर्माण

†३४३. { **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :
श्री विभूति मिश्र :

क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) नेपाल में भारतीय सेना द्वारा बनाये जाने वाले त्रिभुवन राजपथ के निर्माण के संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है ; और

(ख) अबतक मूल कितना रुपया खर्च हो चुका है और इस परियोजना पर कुल कितना रुपया खर्च होगा ?

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : (क) निर्माण कार्य की प्रगति निम्न लिखित आंकड़े में दिखाई गई है :—

(१) रास्ता निकालने का कार्य जो पूरा हो चका है : ७९ मील

(२) कच्ची सड़क निर्माण कार्य जो पूरा हो चुका है : ६८·५३ मील

---

†मूल अंग्रेजी में ।

(३) पक्की सड़क निर्माण कार्य जो पुरा हो चुका : ६५ मील

(४) तैयार हुए मेहरावों की संख्या : ५७७

सड़क मुकमाल हो जानपर ७९ मील लंबी होगी ।

(ख) ३१ मार्च, १९५६ तक कुल २,५१,७८,२४६ रुपये खर्च हुए थे । परियोजना के शेष भाग पर प्रत्याशित व्यय संबंधी आंकड़े इस समय उपलब्ध नहीं है ।

लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार

†३४४. **सरदार इकबाल सिंह :**
सरदार अकरपुरी :

क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इस समय लैटिन अमरीकी देशों को किन किन मुख्य वस्तुओं का निर्यात किया जाता है और इन देशों से किन किन मुख्य वस्तुओं का आयात किया जाता है ; और

(ख) इन देशों के साथ व्यापार की मात्रा बढ़ाने के लिये सरकार ने क्या कदम उठाये हैं ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) :** (क) लैटिन अमरिकी देशों से भारत में आयात और भारत से इन देशों को निर्यात की मुख्य वस्तुयें ये है :—

आयात : खनिज तेल, रत्न आदि कपास, चीनी, रासायनिक पदार्थ और धातु तथा आयस्का

निर्यात : पटसन की वस्तुयें, नापिल जटा वस्तुएं, सूती कपड़ा, लाख रोवेंदार व्यूहा, चाय, तंबाकू, मोम, गोंद और राल, एरंडी का तेल, जीवित पशु, और रोगन तथा चित्रकारी का सामान ।

(ख) भारत और बहुत से लैटिन अमरीकनी देशों की अर्थ व्यवस्था समान है । इसी लिये व्यापार वृद्धि का क्षेत्र सीमित है । राय-डी-जनेरा और बयोनोज ऐयरज में भारत के मिशन इन देशों में समय समय पर व्यापारिक मेलोकी व्यवस्था करके व्यापार बढ़ाने का प्रयत्न कर रहे है । इस शरद ऋतू में बयोनज एअरज या राय-डि-जनेरा में से किसी स्थान पर भारत से निर्यात किये जाने वाले माल की प्रदर्शिनी करने का भी विचार है । इसके अतिरिक्त, भारत द्वारा स्थापित विभिन्न निर्यात संवर्धन परिषदें भारत से सब देशों कों जिन में लैटिन अमरीकी देश सम्मिलित हैं, निर्यात बढाने की ओर ध्यान दे रही है । चिली के साथ व्यापार समझौता करने का प्रश्न भी विचाराधीन हैं ।

भारत-जापान करार

†३४५. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत—जापान करार, जो २७ अप्रैल, १९५६ को समाप्त होने वाला था, की अवधी को पुनः बढ़ाया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या इस में कोई परिवर्तन करने का विचार है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी) :** (क) तथा (ख). संभवतः माननीय सदस्य भारत और जापान के बीच हुई शान्तिसंधि के अनुच्छेद-के परमानुगृहीत राष्ट्र व्यवहार खंड का उल्लेख कर रहे हैं । यदि हां, तो यह मामला विचाराधीन है ।

संयुक्त राष्ट्र संघ

†३४६. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **प्रधान** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५६ में अब तक संयुक्त राष्ट्र संघ की कितनी समितियों में भारतीय प्रतिनिधियों ने भाग लिया है ?

---

†मूल अंग्रेजी में ।

†**प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य तथा वित्त मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू)** : सूचना एकत्र की जा रही है और यथासमय सभा पटल पर रख दी जायेगी।

चाय का निर्यात

†३४७. **श्री दी० चं० शर्मा** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि चाय का निर्यात बढ़ाने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : ये मुख्य कार-वाइयां की गई है :—

(१) चाय की खपत बढ़ाने के निमित्त प्रचार करने के लिये चाय का उपयोग करने वाले मुख्य देशों में, स्थानीय व्यापार और दूसरे चाय उत्पादक देशों के सहयोग के साथ, चाय संवर्धन परिषदों की स्थापना ;

(२) अन्तर्राष्ट्रीय प्रदशनियों और मेलों में भाग लेना।

(३) उपयुक्त प्रचार सामग्री, इश्तहारों आदि का वितरण और फिल्मों का प्रदर्शन ; और

(४) सद भावना शिष्ट मंडल भेजना।

आकाशवाणी नाटक उत्सव

†३४८. **श्री म० शि० गुरूपादस्वामी** : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) आकाशवाणी के गीत तथा नाटक डिवीजन द्वारा आयोजित ग्रीष्म नाटक उत्सव में किन किन नाटकीय दलों ने भाग लिया तथा कौन कौन से नाटक खेले गये ;

(ख) इस पर कुल कितना व्यय हुआ था और इस स कितनी आय हुई थी ; और

(ग) भाग लेने वाले प्रत्येक नाटकीय दल को कितना कितना धन दिया गया था ?

†**सूचना और प्रसारण मंत्री (डा० केसकर)** : (क) से (ग). विवरण सभा के पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ६**]

विभिन्न उद्योगों संबंधी मंडलिया

†३४९. **श्री तुलसीदास** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि निम्नलिखित मंडलियों द्वारा की गई जांच की क्या प्रगति है :

(१) इलेक्ट्रोनिकस् और वायरलैस उपकरण उद्योग संबंधी मंडली ;

(२) शल्यक्रिया संबंधी औजारों और संबद्ध वस्तु संबंधी मंडली ;

(३) विद्युत और मद्य-स्तर उद्योग संबंधी तदर्थ समिति ;

(४) सागूदाना संबंधी विशेष समिति ;

(५) नदी घाटी परियोजनाओं के लिये संयंत्र और मशीनरी संबंधी समिति ;

(६) ट्रेक्टर और कृषि संबंधी औजरों पर समिति ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबन्ध संख्या ७**]

---

†मूल अंग्रजी में।

वायदा बाजार आयोग

†३५०. **श्री किरोलीकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि वायदा संविदा (विनियमन) अधिनियम, १९५२, के अधिन संस्थाओं की मान्यता के लिये दिल्ली से कितनी अर्जियां वायदा बाजार आयोग के पास निलम्बित पड़ी है ?

†**वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी)** : चौदह ।

चलचित्र

३५१. **श्रीमती अनुसूयाबाई बोरकर** : क्या **वाणिज्य और उद्योग** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विदेशों में औसतन कितने भारतीय चलचित्रों का प्रदर्शन किया जाता है ;

(ख) भारत में वर्ष में औसतन कितने विदेशी चलचित्र दिखाये जाते है ; और

(ग) इन चलचित्रों के लिये कितना धन विदेशों को भेजा जाता है ?

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मंत्री (श्री कृष्णमाचारी): (क) तथा (ख). जानकारी उपलब्ध नहीं है, क्योंकि इस रुप में आंकड़े एकत्र नहीं किये जाते ।

(ग) संलग्न सारणी में यह जानकारी दी गयी है । [**देखिये परिशिष्ट ४, अनुबंध संख्या ८**]

---

†मूल अंग्रेजी में ।

दैनिक संक्षेपिका

[बुधवार, १ अगस्त, १९५६]

		पृष्ठ
प्रश्नों के मौखिक उत्तर . . .		५२९–४८
तारांकित प्रश्न संख्या	**विषय**	
५६०	कपड़ा उद्योग का आधुनिकीकरण	५२९–३१
५६१	दुर्गापुर का इस्पात का कारखाना	५३२–३३
५६३	सड़क परिवहन निगम	५३३–३५
५६४	जूट का मूल्य . .	५३५
५६५	उत्तर प्रदेश में कोयले की कमी	५३५–३६
५६७	"लो शैफ्ट" भट्टी . .	५३६–३७
५६८	यमुना का बाढ़ संबंधी अध्ययन .	५३७–३८
५७१	हिन्दुस्तान शिपयार्ड (जहाजी कारखाना) .	५३८
५७३	पाकिस्तान के साथ व्यापार	५३९–४०
५७४	वस्त्र निर्यात	५४०–४१
५७५	२४–परगना में विस्थापित व्यक्तियों का पुनर्वास	५४२–४३
५७६	गन्दी बस्तियों को हटाना . .	५४३–४४
५७७	आंन्ध्र में गन्दी बस्तियों को हटाना .	५४४–४६
५७९	कागज और गूदा आयोग	५४६–४७
५८०	सोन बांध योजना . .	५४७–४८
प्रश्नों के लिखित उत्तर . .		५४९–६४
तारांकित प्रश्न संख्या		
५५८	आकाशवाणी नाटकोत्सव . .	५४९
५५९	रासायनिक औषधियां तैयार करना	५४९
५६२	कांस्टीट्यूशन हाऊस	५४९
५६६	फल औद्योगिक क्षेत्र	५४९–५०
५६९	दूध के स्थान पर काम आने वाले पदार्थ का वाणिज्य करण	५५०
५७०	डीजल गाड़ियां	५५०
५७२	सूत	५५०
५७८	सीमेंट उद्योग की मशीनरी .	५५१
५८१	बाढ़ ग्रस्त राज्य	५५१
५८२	चाय का निर्यात . .	५५१
५८३	भारतीय सूती कपड़ा . .	५५१

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

तारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
५८४	दामोदर घाटी निगम कर्मचारी	५५२
५८५	नांगल कारखान योजना	५५२
५८६	त्रिपुरा में स्थानीय विकास कार्य	५५२-५३
५८७	इंजीनियरींग समिति	५५३
५८८	कोरी फिल्में	५५३
५८९	संसद सदस्यों के फ्लैटों में नोकरों के क्वार्टरों में बिजली लगाना	५५३-५४
५९०	पाकिस्तानी विमानों द्वारा सीमोल्लंघन	५५४
५९१	पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति	५५४
५९२	फिल्म पुस्तकालय	५५४-५५
५९३	इस्पात की ढली हुई तथा तापकुट्टित वस्तुओं का निर्माण	५५५
५९४	सड़क कूटने के इंजन	५५५
५९५	पंजाब में ग्रामोद्योग	५५५
५९६	भारी मशीनरी का निर्माण	५५५-५६
५९७	औद्योगिक आवास योजना	५५६
५९८	पूर्वी बंगाल से विस्थापित व्यक्ति	५५६
६००	आकाशवाणी का संगीत और नाटक डिवीजन	५५६-५७
६०१	मशीनी औजार उद्योग	५५७
६०२	वामसधारा परियोजना	५५७
६०३	आसाम में बाढ़ नियंत्रण योजना	५५७-५८
६०४	रुरकेला इस्पात कारखाना	५५८
६०५	काजू की फैक्टरियां बन्द होना	५५८
६०६	मोटर गाड़ियां	५५८-५९
६०८	लोहे और इस्पात की छीलन	५५९
६०९	गारों पहाड़ी क्षेत्र (आसाम) में विस्थापित व्यक्ति	५५९

अतारांकित प्रश्न संख्या		
३३७	कागज तथा आखबारी कागज के कारखानें	५५९
३३८	ऊनका मिल	५५९
३३९	मुआवजे की अर्जियां	५६०
३४०	लंका की नागरिकता	५६०
३४१	नांगल में उर्वरक तथा भारी पानी की फैक्टरी	५६०-६१
३४२	बिना बारी के मकानों का आवंटन	५६१
३४३	नेपाल में सड़कों का निर्माण	५६१-६२
३४४	लैटिन अमरीकी देशों के साथ व्यापार	५६२
३४५	भारत-जापान करार	५६२
३४६	संयुक्त राष्ट्र संघ	५६२-६३
३४७	चाय का निर्यात	५६३

पृष्ठ

प्रश्नों के लिखित उत्तर--(क्रमशः)

अतारांकित प्रश्न संख्या	विषय	
३४८	आकाशवाणी नाटक उत्सव	५६३
३४९	विभिन्न उद्योग संबंधी मंडलिया	५६३
३५०	वायदा बाजार आयोग	५६४
३५१	चलचित्र	५६४

खण्ड ५ — अंक १३
१ अगस्त, १९५६, (बुधवार)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ६, १९५६

(१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६)

1st Lok Sabha

तेरहवां सत्र, १९५६

(खण्ड ६ में अंक १ से अंक १५ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

विषय सूची

भाग २—वाद-विवाद, खण्ड ६—१६ जुलाई से ३ अगस्त, १९५६

अंक १, सोमवार, १६ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—

देश में बाढ़ें १

संसद् भवन के आसपास प्रदर्शनों पर प्रतिबन्ध . . . २

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २–४

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ४–५

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५

संविधान (नवां संशोधन) विधेयक ५

बिहार और पश्चिम बंगाल (राज्य-क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक . ५–६

प्रतिलिप्यधिकार विधेयक—

संयुक्त समिति के बारे में प्रस्ताव ७, ८–१९

सभा का कार्य ७–८

प्रतिभूति संविदा (विनियमन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव १९–३५

खण्ड २ से ३१ और १ . . . . . ३५–४०

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ४०

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४०–४४

दैनिक संक्षेपिका ४५–४७

अंक २, मंगलवार, १७ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखा गया पत्र ४९

राज्य पुनर्गठन के बारे में याचिका . . ४९

हिन्दू अवयस्कता तथा संरक्षकता विधेयक—

राज्य-सभा द्वारा पारित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४९–६७

खंडों पर विचार—

खंड २ से १३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र . . ६७–८१

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ८१–८५

दैनिक संक्षेपिका . . ८६

अंक ३, बुधवार, १८ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . . ८७

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन . . . ८८

पृष्ठ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन ८८

कारखाना (संशोधन) विधेयक के बारे में याचिका . . . ८८

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक —
विचार करने का प्रस्ताव ८८–१२०

दैनिक संक्षेपिका १२१

अंक ४, शुक्रवार, २० जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १२३

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—
सरकार की वस्त्र सम्बन्धी नीति तथा हथकरघा उद्योग का भविष्य . १२३–२५

सभा का कार्य १२५

भारत का रक्षित बैंक (संशोधन) विधेयक—
खंड २ से १४ और १ . . . . . १२५–३५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव १३५–३८

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १३८–४३

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—
पचपनवां प्रतिवेदन १४३

आय-कर विभाग के कार्य-संचालन की जांच के बारे में प्रस्ताव . . १४३–६४

संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रों के प्रतिनिधित्व के बारे में संकल्प १६४

दैनिक संक्षेपिका १६५–६६

अंक ५, शनिवार, २१ जुलाई, १९५६

स्थगन प्रस्ताव—
विशाखापटनम् बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना १६७–६८

सभा-पटल पर रखे गये पत्र १६८

कार्य-मंत्रणा समिति—
अड़तीसवां प्रतिवेदन १६८–६९

सभा का कार्य १६९

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव १६९–२०५

दैनिक संक्षेपिका २०६–०७

अंक ६, मंगलवार, २४ जूलाई, १९५६ पृष्ठ

स्थगन प्रस्ताव—

विशाखापटनम बन्दरगाह और पत्तन श्रमिक संघ द्वारा हड़ताल की पूर्व सूचना . . . २०९–१०

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २१०–११

कार्य मंत्रणा समिति—

अड़तीसवां प्रतिवेदन २११–१३

औद्योगिक विवाद (संशोधन तथा विविध उपबन्ध) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव . . . २१३–२३

खण्ड २ से ३३, खंड १ और अधिनियमन सूत्र २२३–७६

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . २७६

दैनिक संक्षेपिका . २७७

अंक ७, बुधवार, २५ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र २७९–८०

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों और संकल्पों संबंधी समिति—

छप्पनवां प्रतिवेदन २८०

अविलम्बनीय लोक महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—

कच्छ में भूकम्प २८०–८१

श्री चिं० द्वा० देशमुख द्वारा मंत्री पद से त्यागपत्र के बारे में वक्तव्य . २८१–८५

बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का हस्तान्तरण) विधेयक—

संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव २८५–३३२

दैनिक संक्षेपिका . . . ३३३

अंक ८, गुरुवार, २६ जुलाई, १९५६

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५, अंग १ . . . ३३५

अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित आदिम जाति आदेश (संशोधन) के विधेयक के बारे में याचिका ३३५

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . ३३५–७८

दैनिक संक्षेपिका ३७९

अंक ९, शुक्रवार, २७ जुलाई, १९५६	पृष्ठ
स्थगन प्रस्ताव—	
संसद् भवन के पास प्रदर्शन करने पर प्रतिबन्ध	३८१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	३८१–८२
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति—	
सोलहवां प्रतिवेदन	३८२
राज्य पुनर्गठन विधेयक तथा संविधान (नवां संशोधन)	
विधेयक के बारे में याचिकायें	३८२–८३
सभा का कार्य	३८३
राज्य पुनर्गठन विधेयक	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	३८३, ३८३–४००
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
छप्पनवां प्रतिवेदन	४००–०३
साधु तथा सन्यासी (पंजीयन तथा अनुज्ञापन) विधेयक . . .	४०४
भारतीय बालक दत्तक ग्रहण विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव	४०४–०८
भूतपूर्व सैनिक कर्मचारी मुकदमेबाजी विधेयक—	
विचार करने का प्रस्ताव . .	४०८–१०, ४११–१२
संसद् भवन के पास प्रदर्शन	४१०–११
दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४३५ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१२–१३
खण्ड २, ३ और १	४१३–१४
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . .	४१४
भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक (धारा ४९७ का संशोधन)—	
विचार करने का प्रस्ताव	४१५
दैनिक संक्षेपिका	४१८-२०
अंक १०, शनिवार, २८ जुलाई, १९५६	
लोक लेखा समिति—	
सत्रहवां प्रतिवेदन	४२१
सभा का कार्य	४२१
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . .	४२२
राज्य पुनर्गठन विधेयक—	
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . .	४२२–५७
दैनिक संक्षेपिका	४५८

अंक ११, सोमवार, ३० जुलाई, १९५६ — पृष्ठ

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ४५९

अनुपस्थिति की अनुमति ४५९–६०

समिति के लिये निर्वाचन—

अखिल भारतीय चिकित्सा विज्ञान संस्था ४६०

राज्य वित्त निगम (संशोधन) विधेयक ४६०

राज्य पुनर्गठन विधेयक—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव . . ४६०–५०२

दैनिक संक्षेपिका . . . ५०३

अंक १२, मंगलवार, ३१ जुलाई, १९५६

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . . ५०५

राज्य-सभा से सन्देश ५०५

राष्ट्र-मंडल प्रधान मंत्री सम्मेलन तथा अपनी विदेश यात्रा के संबंध में प्रधान मंत्री का वक्तव्य . . . ५०६–०९

नागा पहाड़ियों की स्थिति के बारे में वक्तव्य . . . ५०९–१०

राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५११–४८

खंड २ से १५ . . . ५४८–५२

दैनिक संक्षेपिका ५५३

अंक १३, बुधवार, १ अगस्त, १९५६

सभा पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

राज्य-सभा से सन्देश ५५६–५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—

सत्तावनवां प्रतिवेदन ५५७

प्राक्कलन समिति—

कार्यवाही का सारांश (१९५५-५६) खंड ५ अंक २ और ३ . . ५५७

राज्य पुनर्गठन विधेयक ५५७–६००

खंड २ से १५ . . . . . ५५७–६००

दैनिक संक्षेपिका ६०१–०२

अंक १४, गुरुवार, २ अगस्त, १९५६—क्रमशः	पृष्ठ
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में	६०३–४५
खंड २ से १५	६०३–३५
खंड १६ से ४९ और अनुसूची १ से ३	६३५–४५
दैनिक संक्षेपिका	६४६
अंक १५, शुक्रवार, ३ अगस्त, १९५६	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र	६४७
सभा का कार्य	६४८
राज्य पुनर्गठन विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . .	६४८–७४
खंड १६ से ४९	६४८–७४
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति—	
सत्तावनवां प्रतिवेदन	६७५
संयुक्त राष्ट्र संघ में अफ्रीकी तथा एशियाई राष्ट्रो को प्रतिनिधित्व देन में संबंधी संकल्प	६७५–९२
चल चित्रों के निर्माण तथा प्रदर्शन पर नियंत्रण एवं विनियमन के बारे में संकल्प	६९२
दैनिक संक्षेपिका	६९३
अनुक्रमणिका	(१–४३)

भा०स०मु०ना–वि० ३–२०५ लोक-सभा—१२-२-५८–१८०

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोतर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक—सभा

बुधवार १ अगस्त, १९५६

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष-महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(देखिये भाग १)

१२ मध्यान्ह

सभा-पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनाएं

खाद्य और कृषि मंत्री (श्री अ० प्र० जैन): श्रीमान् मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उप-धारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :—

(१) अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १९५४, दिनांक ७ जुलाई, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १९५५, दिनांक ७ जुलाई, १९५६

[**पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एस—२७८—५६**]

इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड, कलकत्ता आदि द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे के उचित प्रतिधारण मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन

व्यापार मंत्री (श्री करमरकर) : श्रीमान, मैं प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं :

(१) इण्डियन आयरण एण्ड स्टील कम्पनी लिमिटेड, कलकत्ता द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे के कारखाने के उचित प्रतिधारण मूल्य के सम्बन्ध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन १९५६

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या एम. सी. (ए)—२ (१३३) दिनांक २० जुलाई, १९५६

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ (२) के प्रस्तुक के अन्तर्गत उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित पत्रों की एक-एक प्रति विहित समय में सभा में न रखी जा सकने के कारणो का वक्तव्य [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस—२८०।५६**]

अत्यावश्यक पण्य अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

उपभोक्ता वस्तु उद्योग मंत्री (श्री कानूनगो) : श्रीमान, मैं अत्यावश्यक पण्य अधिनियम १९५५ की धारा ३ की उपधारा ६ के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं :

(१) अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १०७७, दिनांक ८ मई, १९५६

(२) अधिसूचना संख्या एस. आर. ओ. १०७७–८ दिनांक ८ मई, १९५६

[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या एस–२८१–५६]

द्वितीय पंचवर्षीय योजना सम्बंधी समिति 'डी" की कार्यवाही और उसका सारांश

श्री गिडवानी (थाना) : श्रीमान् मैं पंचवर्षीय योजना सामाजिक सेवायें तथा श्रमनीति के सम्बन्ध में समिति 'डी' की कार्यवाही के सारांश सहित कार्यवाही की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एस २७९–५६]**

राज्य-सभा से सन्देश

सचिव : श्रीमान, मुझे राज्य सभा के सचिव से निम्नलिखित मिला है :

"मुझे लोक सभा को यह सूचना देनी है कि राज्य सभा ने अपनी मंगलवार ३१ जुलाई,१९५६ की बैठक में लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत होते हुये कि बिहार से पश्चिमी बंगाल को कुछ राज्यक्षेत्रोंका हस्तान्तरण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबन्ध करने वाले विधेयक को दोनों सभाओं की संयुक्त समिति को सौंपा जाये, संलग्न प्रस्ताव पारित कर दिया है। उक्त संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा द्वारा नाम निर्देशित सदस्यों के नाम प्रस्ताव में दिये गये हैं।

प्रस्ताव

कि यह सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत है कि राज्य सभा बिहार से पश्चिम बंगाल को कुछ राज्य क्षेत्रों के हस्तान्तरण तथा तत्सम्बन्धी विषयों का उपबंध करने वाले विधेयक से सम्बन्धित संयुक्त समिति में सम्मिलित हो, और यह संकल्प करती है कि उस संयुक्त समिति में काम करने के लिये राज्य सभा के निम्नलिखित सदस्य नाम निर्देशित किये जाये :

(१) श्री क० प० माधवन नायर
(२) काकासाहेब कालेलकर
(३) डा० राधाकुमुद मुकर्जी
(४) डा० नलिनाक्ष दत्त
(५) प्रो० हुमायुं कबीर
(६) शाह मुहम्मद उमैर
(७) सैयद मजहर हमाम
(८) श्री र० प० न० सिंह
(९) प्रो० राघधारी सिंह 'दिनकर'
(१०) श्री प्रे० ना० सप्रू
(११) श्री अब्दूरज्जाक खां
(१२) श्री सत्यप्रिय बनर्जी

(१३) श्री किशन चंद

(१४) कुंदरानी विजया राजे

(१५) श्री राजेन्द्र प्रसाद सिंह

(१६) श्री गोविन्द वल्लभ पंत।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयक में तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति

सत्तावनवां प्रतिवेदन

सरदार हुक्म सिंह (कपूरथला–भटिंडा) : मैं गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित करता हूं।

प्राक्कलन समिति

विवरण (१९५५-५६) खन्ड ५, अंक २ और ३

श्री ब० गो० मेहता (गोहलवाड) : श्रीमान् मैं एस्टीमेटस् समिति (१९५५–५६) की कार्यवाही का सारांश खंड ५, अंक २ तथा ३ पेश करता हूं।

राज्य पुनर्गठन विधेयक

अध्यक्ष महोदय : राज्य पुनर्गठन विधेयक के खण्ड २ से १५ तक के चुने हुये संशोधनों की एक सूची कल रात सदस्यों को वितरित की गई थी। सदस्यों ने इच्छा प्रकट की है इन संशोधनों को प्रस्तुत किया जाये। बशर्ते कि वह अन्य सब प्रकार से ग्राह्य हों। उनकी संख्या इस प्रकार है :

खंड संख्या	संशोधन की संख्या
२ . .	२७०, ४१, ४२, २६९, २१०, ६१, २११, १८३, २१२, १८४, ६३ २७१, १८५, १८६, २१३, १८७, २१४, १४६, ३८३ और २१५
३ . .	४५२, ३७२, ३७३, २१६, ४२०, ४२१, १६५, ६६, १३२ और २१७
४ . .	२६१, १८८, १८९, १९०, १९१, १९२, १६६ और १९३
५ .	३७५, २७४, १३३ और २१८
७ .	१२, १६७ (१२ जैसा ही है) और २१९, (१२ और १६७ जैसा ही है) ७०, २२०, १४८, ४३, १३४, ३५३ (१३४ जैसा ही है) १३५, ३५४ (१३५ जैसा ही है) ३२१, ३२२, ४४, ७१, १३६, ३५५ (१३६ जैसा ही है) १३७, ३५६, ३५७, ३७६, १३८, १३९ और १४०
८	४६२, ४५, ३२३, ४६, ३८९, ४७, ४८, १४१, १४९, १९४, ३९० ३९१, ४२२ और ४२३
८ क (नया) .	११८
९ . .	२६३, २२२, ४९, १५०, ३५८, ५०, १, १३ (१ जैसा ही है), ३२४ (१ और १३ जैसा ही है), ३९४, ३९५, २७८, ३२५, ३२६ ३, २९१, २९२, १६८, ३२७, १५१, ३९६ ३७८, ३७९, २२६ और ३९७

खंड संख्या	सशोधन की संख्या
१० . . .	२६५, २७९, ४, ४४४, ४४५ और २८०
११ . . .	२८१, १६९, २९३, ३९८, २८२ और ३३३
१२ . . .	२८३, ३९९, २८४, ४०० और २८५
१३ . . .	२६६ और ४०१
१४ . . .	३५२, २९६, ८५, २९७, ४६५, २९९, ३००, १७०, ३३६, १७१ १५३, ५,२४ (५ जैसा ही है), ३०२ और ३०३
१४ क (नया)	३५१
१५ क (नया)	१४३, १४४, १५४, ३६४ (१५४ जैसा ही है), १५५, ३६५, (१५५ जैसा ही है), ४२४ और ४२९

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये

खंड २ परिभाषायें

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
श्री न. रा. मुनिस्वामी (वान्दिवाश) . . .	२७०
श्री शं. शा. मोरे (शोलापुर) . . .	४१, ४२
श्री र. द. मिश्र (जिला बुलन्दशहर) . . .	२६९, २७१
श्री गाडिलिगन गौड़ (कुरनुल) . .	२१०, २११ २१२, २१३, २१४
श्री कृष्णाचार्य जोशी (यादगीर) . . .	६१
श्री पीरस्वामी (मयूरम रक्षित अनुसूचित जातियां) .	१८३, १८४, १८४, १८६, १८७
श्री म. शि. गुरूपादस्वामी (मैसूर) . . .	६३
श्री वे. प. नायर (चिरयिन्कील) . . .	१४६
श्री नेसामनी (नागरकोइल) .	३८३
श्री बालसुब्रह्मण्यम् (मदुरै) .	२१५

खंड ३

हैद्राबाद में आंध्र में राज्यक्षेत्र का स्थानान्तरण

श्री रा. श्री. दीवान (उस्मानाबाद) .	३७२, ३७३
श्री गाडिलिगन गौड	२१६
श्री म. रं. कृष्ण (करीमनगर–रक्षित अनुसूचित जातियां)	४२०
श्री हेडा (निजामाबाद)	४२१
श्री कृ. गु. देशमुख (अमरावती-पश्चिम) .	१६५
श्री राघवाचारी (पेनुकोंडा) . .	६६, २१७
श्री शंकरगौड पाटिल (बेलगांव-दक्षिण) . .	१३२

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खंड ४—(त्रावनकोर-कोचीन से मद्रास में राज्यक्षेत्र का स्थानान्तरण)	
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२६१
श्री वीरस्वामी	१८८, १९२
श्री नेसामनी	१८९, १९०, १९१, १९३
श्री कृ. गु. देशमुख	१९६
खंड ५—(केरल राज्य का बनाया जाना)	
श्री कु. पे. गौंडर (इरोड)	३७५
श्री र. द. मिश्र	२७४
श्री शंकरगौड पाटिल	१३३
श्री ई. ईयाचरण (पोलानी—रक्षित-अनुसूचित जातियां)	२१८
श्री क. कु. बसु (डायमण्ड हार्बर)	१२
खंड ७ —(नये मैसूर राज्य का बनाया जाना)	
श्री कृ. गु. देशमुख	१६७ (श्री क. कु. बसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १२ के समान)
श्री गाडिलिंगन गौड	२१९ (श्री क. कु. बसु. द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १२ के समान) २२०
श्री राघवाचारी	७०
श्रीमती मायदेव (पूना दक्षिण)	१४८
श्री शं. शा. मोरे	४३. ४४
श्री वे. पि. पवार (दक्षिण सतारा)	१३४, १३५, १३६
श्री ह. ग. वैष्णव (अम्बड़)	३५३ (श्री वें. पि. पवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १३४ के समान)
	३५४ (श्री वें. पि. पवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १३५ के समान)
	३५५, ३५६, ३५७ (श्री वें. पि पवार द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १३६ के समान)
श्री आल्तेकर (उत्तर सतारा)	३२१, ३२२
श्री कृष्णाचार्य जोशी	७१
श्री शंकरगौड पाटिल	१३७, १३८, १३९, १४०
श्री रा. श्री दीवान	३७६

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खंड ८—(बम्बई)	
श्री फ्रैंक एंथनी (नाम निर्देशति—आंग्ल-भारतीय) . .	४६२
श्री शं. शा. मोरे	४५, ४६, ४७, ४८
श्री आल्तेकर	३२३
श्री ह. ग. वैष्णव	३६९, ३९१
श्री वें. पि. पवार	१४१
श्री रघुवीर सहाय (जिला एटा-उत्तर-पूर्व व जिला बदायूं—पूर्व)	१४९
श्री व. बा. गांधी (बम्बई नगर-उत्तर) . . .	१९४
श्री तेलकीकर (नान्देड़)	३९०
श्री डाभी (कैरा उत्तर)	४२२, ४२३
नया खंड ८ क—	
श्री म. शि. गुरुपादस्वामी	११८
खंड ९—(महाराष्ट्र राज्य का बनाया जाना)	
श्री क. द. मिश्र	२६३
श्री गाडिलिंगन गौड	२२२, २२६
श्री शं. शा. मोरे	४९, ५०
श्री वें. पि. पवार	१५०
श्री ह. ग. वैष्णव	३५८
डा. रामा-राव (काकिनाडा) . . .	१
श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिरहाट) . . .	१३ (डा. राम राव के संशोधन संख्या १ के समान)
श्री आल्तेकर	३२४, ३२५, ३२६, ३२७
श्री नन्दलाल शर्मा (सीकर)	३९४, ३९५, ३९६
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२७८
श्रीमती जयश्री (बम्बई-उपनगर) . . .	३
श्री रा. मं. शर्मा (मुरेना—भिंड)	२९१, २९२
श्री कृ. गु. देशमुख	१६८
श्रीमती मायदेव	१५१
श्री तेलकीकर . . .	३७८, ३७९, ३९७
खंड १०—(गुजरात राज्य का बनाया जाना)	
श्री र. द. मिश्र	२६५
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२७९, २८०
श्रीमती जयश्री	४, ४४४, ४४५

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खंड ११—(नए मध्य प्रदेश राज्य का बनाया जाना)	
श्री र. द. मिश्र	२८१
श्री कृ. गु. देशमुख	१९९
श्री रा. चं. शर्मा	२९३
श्री नन्दलाल शर्मा	३९८
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२८२
श्री श्रीचन्द सिंघल (जिला अलीगढ़)	३३३
खंड १२—(नये राजस्थान राज्य का बनाया जाना)	
श्री र. द. मिश्र	२८३
श्री नन्दलाल शर्मा	३९९, ४००
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२८४, २८५
खंड १३—(नये पंजाब राज्य का बनाया जाना)	
श्री र. द. मिश्र	२९६
श्री नन्दलाल शर्मा	४०१
खंड १४—(संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन)	
श्री र. द. मिश्र	३५२, ३९६, ३०३
श्री राघवाचारी	८५
श्री न. रा. मुनिस्वामी	२९७, ४६५, २९९, ३००, ३०२
श्री कृ. गु. देशमुख	१७०, १७१
श्री श्रीचन्द सिंघल	३३६
श्री कृष्णाचार्य जोशी	१५३
डा. रामा राव	५
श्री क. कु. बसु	२४ (डा. रामा राव के संशोधन संख्या ५ के समान)
नवीन खण्ड १४ क	
श्री र. द. मिश्र	३५१

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
नया खण्ड १६-क	
श्री रा. ना. सिं. देव (कालाहांडी-बोलनगिर) .	१४३, १४४
श्री वें. पि. पवार	१५४, १५५
श्री ह. ग. वैष्णव	३६४ (श्री वें. पि. पवार के संशोधन संख्या ३६४ के समान)
	३६५ (श्री वें. पि. पवार के संशोधन संख्या १५५ के समान)
श्री तेलकीकर	४२४
डा. रामाराव	४२९

†**अध्यक्ष महोदय :** यह संशोधन अब सभा के समक्ष हैं।

कल जब लोकसभा की बैठक स्थगित हुई थी तब डा. रामाराव भाषण दे रहे थे अतः अब वहीं आरम्भ करेंगे।

†**डा० रामा राव :** कल मैं अपने उस संयुक्त संशोधन के बारे में कह रहा था, जिसमें सीमा-संबंधी अनेक विवादों को तय करने के लिये एक सीमा आयोग की सिफारिश की गई है। मैंने यह भी बताया था कि माननीय गृहमंत्री का यह प्रस्ताव कि सदस्य गण यहीं पर उन विवादों को तय करें, क्यों सम्भव नहीं है। इन विवादों का न्यायिक निर्णय होना चाहिये। किसी दल द्वारा इन विवादों का तय किया जाना उचित नहीं होगा। मैंने इस संबंध में मध्य भारत के चांदा जिले के चिरौंचा तालुका जो कि मुख्यतः तेलुगु-भाषी है, उदाहरण दिया था। इसके तेलुगु भाषी होने पर हम लोग इसको आंध्र राज्य में सम्मिलित नहीं कर सकते अतः यह परम आवश्यक है कि इन विवादों को तय करने के लिये एक सीमा-आयोग की नियुक्ति की जाये। जितने भी विवाद ग्रस्त क्षेत्र हैं, उन सभी के लिये एक-एक आयोग की नियुक्ति कर दी जानी चाहिये। मेरी समझ में नहीं आता कि सरकार ऐसा क्यों नहीं करना चाहती। माननीय गृह-मंत्री ने खंडीय परिषदों (जोनल कौंसिलों) का जो उल्लेख किया है, उनके बारे में मेरा पूरा विश्वास है कि वे इन विवादों को तय नहीं कर पायेंगी। मेरे ख्याल में तो सीमा आयोगों का नियुक्त किया जाना बहुत ही आवश्यक है।

सरकार ने इस विधेयक में दूसरी बड़ी गलती यह की है कि उसने बम्बई को महाराष्ट्र में नहीं रखा। सरकार ने इसके पक्ष में जो भी बातें कही हैं, वे ठीक नहीं जान पड़तीं। सभा में जो कुछ वाद-विवाद हुआ है, उसको देखकर पता चलता है कि बहुमत इस पक्ष में हैं कि बम्बई को महाराष्ट्र में ही रखा जाये। दूसरे, सरकार ने स्वयं ही यह मान लिया है कि बम्बई महाराष्ट्र का अंग है। तीसरे, प्रधान मंत्री ने बताया है कि जनमत लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। उन्होंने यह भी बताया है कि पांच वर्ष की अवधि आवश्यक नहीं है। मेरे ख्याल में यह सारी परेशानी क्यों सही जाये? क्यों न आज ही यह घोषणा कर दी जाये कि बम्बई महाराष्ट्र का अंग बनेगा? इसका सारे देश पर एक आश्चर्यजनक प्रभाव पड़ेगा और कुछ ही लोगों को छोड़कर सभी इसका स्वागत करेंगे। ऐसा न करके क्यों व्यर्थ में ही समस्या को और जटिल बनाया जाये।

†मूल अंगेजी में

मेरा महाराष्ट्रियों से कहना है कि जब तक उन्हें बम्बई नहीं मिल जाता, वे बराबर अहिंसा पूर्ण ढंग से इसके लिये आंदोलन करते रहें। प्रतिक्षा करते रहना ठीक नहीं है। हम आंध्रवासियों ने भी जब तक प्रतीक्षा की, तब तक हम मर्ख बनते रहे। मुझे आशा है कि सरकार अब भी इस पर विचार करेगी और वह कांग्रेस सदस्यों को स्वतंत्र रूप से मत देने की अनुमति देगी, क्योंकि यह मामला सरकार का और विरोधी दल का न होकर सबका है।

†**श्री वें० शिवाराव** (दक्षिण कन्नड–दक्षिण) : मेरा पहला संशोधन संख्या ११६ केरल राज्य के गठन से संबंधित खण्ड ५ के बारे में और दूसरा संशोधन संख्या ११७ नये मैसूर राज्य के गठन से संबंधित खण्ड ७ के बारे में है। इन दोनों संशोधनों का अभिप्राय यह है कि हम स्वेच्छा से कसारागोड तालुक के दो तिहाई भाग को केरल को देने को तैयार हैं, क्योंकि इस क्षेत्र में मलयालम भाषा बोलने वाले ९० और ९५ प्रतिशत हैं। किन्तु साथ ही हम सब इस बात पर एकमत हैं कि चन्द्रगिरि और पायस्विनी नदियों के उत्तर की ओर का जो भाग है, उस पर केरल का कोई अधिकार नहीं है। अधिकृत सूत्रों से पता चला है कि इस क्षेत्र में मलयालम-भाषी ५१.४ प्रतिशत हैं, जिनमें मछेरे और जुलाहे इत्यादि, जो एक प्रकार की मलयालम भाषा ही बोलते ह, इसी मत के हैं कि वह क्षेत्र दक्षिण कन्नड़ में ही रहे। जो लोग प्रस्तुत उपबन्धों के पक्ष में ह, उनके सामने कोई भाषा का ख्याल नहीं है, वे केवल राजनैतिक उद्देश्यों की पूर्ति के लिये ही ऐसा करना चाहते हैं, ताकि मलबार में मुस्लिम लीग की स्थिति दृढ़ हो जाये।

सीमा संबंधी इस विवाद को अक्सर कर्नाटक और केरल के बीच का विवाद बताया गया है, किन्तु मेरा जिला न तो कन्नड़ क्षेत्र में आता ह और न मलयालम-भाषी क्षेत्र में। यह एक प्राचीन तुलुवा राज्य है, जहां कि जनसंख्या लगभग १० लाख है और जिसको अपनी संस्कृति और प्राचीन इतिहास पर गर्व है। मेरे जिले की मुख्य भाषा तुलु है। अतः मैं सभा से निवेदन करता हूं कि वह इस प्रदेश के एक भाग को कर्नाटक में और दूसरे को केरल में मिलाकर इसके अस्तित्व को समाप्त न करें।

गत दिसम्बर में राज्य पुनर्गठन आयोग की रिपोर्ट पर वाद-विवाद के दौरान मैं ने अपनी प्रस्तुत मांग के पक्ष में सारे तर्क उपस्थित किये थे। किन्तु इस समय मैं केवल इस बात को ही विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि उस क्षेत्र की जनता स्वयं क्या चाहती है। कसारागोड तालुक के ३६ पंचायत बोर्डों में से ३४ बोर्डों ने ये संकल्प स्वीकार किये हैं कि इस भाग को दक्षिण कन्नड़ में ही रखा जाये। राज्य विधानमंडलों और संसद् के लिये चुने गये इस क्षेत्र के सारे सदस्य भी इस संबंध में एकमत हैं कि इस क्षेत्र को दक्षिण कन्नड़ में ही रखा जाये। केवल चुने हुये व्यक्ति हीं नहीं, अपितु प्रजा समाजवादी दल के सदस्य तथा अन्य भी इसके पक्ष में है। अतः मैं सभा से यह पूछता हूं कि क्या उसके लिये यह उचित है कि वह इस क्षेत्र के लोगों को दूसरे राज्य में रहने के लिये मजबूर करे।

हम यह दावा करते हैं कि हमारा देश सबसे बड़ा प्रजातंत्रीय देश है। किन्तु हम अपने आप से पूछें कि क्या इस मामले में हमारे तरीके प्रजातंत्र के अनुकूल हैं। जो निर्वाचक सर्वप्रभुता सम्पन्न इस संसद् को बना या बिगाड़ सकते हैं, उनको क्या यह निश्चय करने का भी अधिकार नहीं हो कि जिस क्षेत्र में वे शताब्दियों से प्रसन्नतापूर्वक रहे हैं, वह एक ही राज्य में रहे अथवा जबरदस्ती दसरे राज्य में मिला दिया जाये। इस विधेयक में जो भी उपबंध किये गये हैं, वे संविधान की दृष्टि से अनुचित और राजनैतिक दृष्टि से मर्खतापूर्ण हैं। अतः मैं माननीय गृहमंत्री से निवेदन करता हूं कि वे अपने मूल निर्णय के अनुसार ही जो कि मेरे संशोधनों के अनुकल पड़ता था, कार्य करें।

†**श्री बासप्पा** (तमकुर) : यह एक प्रयत्न महत्वपूर्ण विधेयक है। अन्य देशों की आखें भी हमारी ओर लगी हुई है कि जो कुछ हम कर रहे हैं, वह ठीक है या नहीं। अतः हमें स विधेयक को इस दृष्टिकोण से देखना है कि देश के विभिन्न भागों में तथा देश के बाहर इस पर क्या प्रतिक्रिया होगी।

---

†मूल अंगेजी में

[श्री बासप्पा]

मैं सरकार को बधाई देता हूं कि इस संबंध में उसने एक बड़ा ही साहसपूर्ण कदम उठाया है। मैं आचार्य कृपालानी की इस बात से सहमत नहीं हूं कि भावनाओं के शान्त होने तक हमें इस विधेयक को स्थगित कर देना चाहिये। अब हम काफी आगे जा चुके हैं, और अब पीछे हटना घातक सिद्ध हो सकता है। अतः हम सबको इस विधेयक को पारित करने तथा कार्यान्वित करने में सरकार की मदद करनी चाहिये।

सभा में कई बार यह प्रश्न उठा है कि भाषा के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन के लिये क्या यह उचित समय है। यह साफ-साफ बता दिया गया है कि केवल भाषा के आधार पर ही राज्यों का पुनर्गठन नहीं किया जा रहा है, अपितु सांस्कृतिक तथा अन्य पहलुओं को भी दृष्टि में रखा गया है। यदि ऐसा ही है, तो मेरी समझ में नहीं आता कि फिर डर की क्या बात है। भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करना क्या कोई गलती है? यह कैसे कह दिया जाता है कि जो भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन चाहते हैं, वे कम देशभक्त हैं? भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन करने की बात केवल इसलिये पैदा हुई है कि देश के विकास में वे अधिक योग दे सकें।

इतना कहने के बाद मैं कुछ शब्द कर्नाटक राज्य के बारे में कहना चाहूंगा। आंध्र राज्य के बनने के बाद कर्नाटक राज्य का बनना अनिवार्य-सा ही हो गया है। मुझे खुशी है कि जल्दी ही कर्नाटक राज्य बनेगा। मैं सभा को बताना चाहता हूं कि कर्नाटक राज्य बनने के बाद सब से बड़ी आवश्यकता किस बात की होगी। गत १५० वर्षों से कन्नड़ राज्य छिन्न-भिन्न रहा है और पांच राज्यों में बंटा रहा है। दर आयोग ने बताया है कि बम्बई के दक्षिणी जिलों की उपेक्षा की गई है। महाराष्ट्रियों, तेलुगु भाषियों और तामिल भाषियों ने कन्नड़ भाषी हिस्सों पर अपना अधिकार जमा लिया है। उदाहरण के लिये शोलापुर को ही लीजिये। वहां की जनता बोलती तो कन्नड़ है, किन्तु पढ़ती व लिखती मराठी है और प्रशासनिक कार्य भी मराठी भाषा में होता है। जो क्षेत्र महाराष्ट्रियों के हैं, वे उनके पास जाने चाहियें, किन्तु जो क्षेत्र कर्नाटक के हैं, वे कर्नाटक को मिलने चाहियें। यह ठीक है; हम सब प्रथम भारतीय हैं किन्तु जब हम राज्यों का गठन कर रहे हैं, तो हमें यथासम्भव इसे ठीक रूप में ही करना चाहिये। बाद को लोगों को यह कहने का मौका नहीं मिलना चाहिये कि हमने इस काम को ठीक तरह से नहीं किया।

इस पूनर्गठन से पूर्व, मैसूर में थोड़ी सी प्रशासन संबंधी गड़बड़ रहेगी। किन्तु इस राज्य के बनते ही सब ठीक हो जायेगा और वह भारत का एक अच्छा राज्य बनेगा।

मुझे कुछ शब्द नये राज्यों के नामों के बारे में कहने हैं। नये राज्यों को आन्ध्र प्रदेश, केरल इत्यादि नाम दिये गये हैं। तो फिर इस राज्य को भी कर्नाटक राज्य के नाम से क्यों न पुकारा जाये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने इसे कर्नाटक के नाम से पुकारा है। क्यों कि मैसूर के कुछ नेताओं ने इसे ठीक नहीं समझा, इसीलिये इसका नाम मैसूर ही रखा गया है। किन्तु साथ ही यह भी देखना चाहिये कि वहां के लोग इस नाम को पसन्द करते भी हैं अथवा नहीं, ताकि राज्यों के नाम ठीक-ठीक रखे जा सकें। यदि हम चाहते है कि राज्यों के ऐसे नाम रखे जायें, जो हमेशा कायम रहें और जिनसे उन सारे भागों का भी संकेत हो जाये, जो किसी राज्य में मिलायें जाये, तो फिर हम मैसूर का नाम भी कर्नाटक क्यों न रखें? मैं इस संबंध में केवल इतना ही कहना चाहता हूं।

मेरे मित्र, श्री वें० शिवाराव, कासरगोड तालुक के बारे में कह चुके हैं। जैसा कि उन्होंने बताया, इसको कर्नाटक में रखना ज्यादा ठीक रहेगा। किन्तु यदि किसी कारण से पूरे तालुक को कर्नाटक में सम्मिलित न किया जा सके, तो कम-से-कम चन्द्रगिरि नदी को अवश्य सम्मिलित करना चाहिये। ३६ पंचायतों में से ३४ पंचायतों ने इसके पक्ष में घोषणा की है। १६९ स्कूलों में वहां १४४ स्कूल कन्नड़ भाषा के हैं। अतः प्रशासनिक और भौगोलिक दोनों दृष्टियों से इसे कर्नाटक के साथ रखना ही ठीक होगा।

दूसरा मामला मदकसिर तालुक का है। अधिकांश सदस्य इसे कर्नाटक में मिलाने के पक्ष में हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग ने पूर्णतः कर्नाटक के पक्ष में अपने तर्क दिये हैं। उच्च शक्ति समिति ने भी जो कि इस काम के लिये बनाई गई थी, यह निर्णय दिया कि मदकसिर को कर्नाटक में मिलाया जाये। मैं नहीं समझता कि बाद को इस निर्णय को क्यों बदल दिया जाये। वहां की ६४ प्रतिशत जनता कन्नड़ भाषी है। फिर हैदराबाद से मदकसिर तक का फासला भी ४०० मील से कुछ अधिक है। इन सब बातों को देखते हुये मदकसिर को कर्नाटक में ही मिलाना चाहिये।

कोयम्बटूर जिले में एक थालावड़ी का फिरका है। छोटे मोटे फिरकों को इधर उधर सम्मिलित कर देने की बात उठाना यद्यपि व्यर्थ है फिर भी यहां पर प्रश्न केवल भौगोलिक सामिप्य का है। यह फिरका समुद्र से ३,००० फीट ऊँचा है। कोयम्बटूर जिले के गोपीचेट्टी पालाया तालुक में दूसरा मिला हुआ फिरका ३,००० फीट नीचे है। दोनों के बीच कोई संचार सेवा नहीं है। मैंने खुद प्रधान मंत्री को यह बात बताई और उन्होंने इसको ठीक माना। वहां की ९० प्रतिशत जनता कन्नड़ भाषी है। वहां भौगोलिक सान्निध्य भी है और वह क्षेत्र कोल्लिगल के, जो अब मैसूर को दिया जाने वाला है, क्षेत्रधिकार में है। अतः इस क्षेत्र को भी मैसूर राज्य में सम्मिलित किया जाना चाहिये।

सैलम जिले के होसुर के बारे में मैं अधिक नहीं कहना चाहता क्योंकि वहां तीन भाषायें बोली जाती हैं। तेलुगु भाषी बहुमत में हैं; इसके बाद कन्नड भाषी आते हैं और फिर तामिल भाषी। इस तरह से तामिल भाषियों का तो प्रश्न ही नहीं उठता। इस क्षेत्र को आंध्र में भी नहीं मिलाया जा सकता क्योंकि यह आंध्र की राजधानी से काफी दूर है और लोगों की क्या इच्छा है, यह देखना सबसे अधिक महत्वपूर्ण है यदि लोगों की इच्छा हैदराबाद, जो वहां से ४०० मील दूर है, न जाकर बंगलौर जाने की हो, जो कि केवल २५ मील दूर है, तो फिर मेरे विचार से इसे मैसूर में अवश्य मिलाना चाहिये।

कुछ अन्य क्षेत्र भी हैं, जिनमें बेल्लारी भी एक है। जब मैंने बेल्लारी में उपचुनाव की बात उठाई, तो श्री राघवाचारी ने मुझसे इस संबंध में शान्त रहने को कहा। मेरे विचार में आन्ध्र और कन्नड़ अभ्यर्थियों के बीच जो उपचुनाव हुआ था, उससे बेल्लारी की समस्या हल हो गई थी। उन्होंने दोबारा इस सवाल को उठाया। इसको एक बार तय किया जा चुका था। वांचू पंचाट और मिश्र पंचाट पर सरकार अपना निर्णय कर चुकी थी। राज्य पुनर्गठन आयोग ने उसे रद्द कर दिया। मैं नहीं समझता कि इस निर्णय को बदलने का कारण क्या है। सरकार यह निर्णय कर चुकी थी कि यह भाग मैसूर में मिलाया जाये और उपचुनाव से यह साबित हो चुका था। अब मुझसे शान्त रहने को कहा गया है। मैं चाहता हूं कि इस प्रश्न को समाप्त कर दिया जाये, बजाय इसके कि इस अवस्था में उस प्रश्न को फिर उठाया जाये।

मुझे अधिक कुछ नहीं कहना है। मैं चाहता हूं कि इस सभा को देश की एकता के लिये कार्य करना चाहिये और इस बात की कोशिश करनी चाहिये कि सारे भारतवासी सुखी हों।

†**अध्यक्ष महोदय :** अब मैं दक्षिण भारत के सदस्यों से बोलने के लिये कहूंगा। मेरा सुझाव यह है कि जो भी माननीय सदस्य बोलें, वे अपने राज्य के ही बारे में बोलें। श्री अ० म० थामस।

†**श्री अ० म० थामस** (एरणाकुलम) : हम खंड २ से १६ तक के संबंध में चर्चा कर रहे हैं। उनमें प्रादेशिक व्यवस्थापना का प्रश्न आता है।

सबसे पहले मैं श्री शिवाराव के संशोधनों संख्या ११६ और ११७ को लेता हूं। इनको कुछ माननीय सदस्यों ने व्यर्थ ही में इतना महत्व दे दिया है। एक माननीय सदस्य ने कहा कि कासरगोड ताल्लुका की समस्या एक विशेष प्रकार की है। श्री शिवाराव ने भी यह माना है कि समूचा कासरगोड ताल्लुका अधिकांशतः एक मलयाली क्षेत्र है। मैं १९५१ की जनगणना के आंकड़े प्रस्तुत करता हूं।

†मूल अंगेजी में

†**श्री वें० शिवाराव :** मने केवल यही कहा है कि चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण का क्षेत्र अधिकांशतः मलयाली है, समूचा ताल्लुका नहीं ।

†**श्री अ० म० थामस :** समूचे कासरगोड ताल्लूके में मलयाली जन संख्या ७३ प्रतिशत है और शेष में तुलू १४ प्रतिशत, कन्नड़ ५ प्रतिशत, मराठी ४ प्रतिशत और कोकणी ३ प्रतिशत ही है । फिर भी वे चाहते हैं कि इस प्रदेश को कर्नाटक में मिला दिया जाये ।

चन्द्रगिरि पयस्विनी के उत्तर में स्थित क्षेत्र की क्या स्थिति है ? मद्रास सरकार द्वारा प्रकाशित १९५१ की जनगणना के आंकड़ों के अनुसार उस क्षेत्र की कुल जनसंख्या १,८५,००० है, जिसमें ५५ प्रतिशत मलयाली, २७ प्रतिशत तुलू, और केवल ९ प्रतिशत कन्नड़ हैं । श्री वें० शिवाराव ने इस बात पर बहुत अधिक जोर दिया था कि वहां तुलू भाषी जन संख्या लगभग २७ प्रतिशत है, लेकिन सभी जानते हैं कि तुलू भाषा कन्नड़ भाषा की अपेक्षा मलयालम के ही अधिक समीप है । मुझे इस बात की प्रसन्नता है कि श्री शिवाराव ने श्री गुरुपादस्वामी की इस बात का समर्थन नही किया कि चन्द्रगिरि नदी के उत्तर में ६५ प्रतिशत जन संख्या कन्नड़ है । कुछ माननीय सदस्य चन्द्रगिरि पयस्विनी नदी की सीमा को अनावश्यक महत्व दे रहे हैं । वे उसे एक अनुल्लंघनीय सीमा मान लेते हैं । चन्द्रगिरि के उत्तरी भाग की अधिकांश जन संख्या मलयाली है । वहां कन्नड़ केवल ९ प्रतिशत हैं ।

मैं श्री शिवा राव की इस बात का भी समर्थन नहीं कर सकता कि वहां की जनता का बहुमत कर्नाटक में उसके संविलयन के पक्ष में है । मैं यहां साम्प्रदायिक आधार पर चर्चा नहीं करना चाहता । उन्होंनें कहा कि केवल मोपला और मुस्लिम जनता ही केरल के साथ उसके संविलयन के पक्ष में है । ये मुसलमान उत्तर में ही २५ प्रतिशत हैं । उन्होंने वहां की जनता की राय के बारे में गलत अनुमान लगाया है । मेरे मित्र ने यह भी कहा कि वहां के अधिकांश स्कूल कन्नड़ हैं । दक्षिण कनारा की शैक्षणिक संस्थायें दक्षिण कनारा जिला बोर्ड के अधिन हैं, और इसलिये शिक्षा के विषय में जिला बोर्ड काफी प्रभावशाली रहेगा । जो भी हो, लेकिन चन्द्रगिरि नदी के दक्षिण के क्षेत्र में जहां मलयाली जनसंख्या ९० प्रतिशत है, जिला बोर्ड इसमें अधिक सफल नहीं हुये हैं । उत्तर में अवश्य ही वे बहुसंख्यांक मलयालियों की भावनाओं को दबाने में सफल हुए हैं । क्या इसका यह अर्थ है कि वे कर्नाटक में ही रहें ?

गुडालपुर के लगभग सभी स्कूलों में शिक्षा का माध्यम मलयालम है । न्यायालय की भाषा भी मलयालम है लेकिन फिर भी उसे केरल को नहीं दिया गया है । दक्षिण त्रावनकोर का भी एक मुख्यतः तामिल-भाषी ताल्लुका केरल से निकालकर मद्रास को दे दिया गया है । वहां एक भाषीय स्कूलों की अपेक्षा द्विभाषीय स्कूल ही अधिक हैं । इसलिये, श्री शिवाराव का तर्क उचित नहीं है । श्री बासप्पा ने बताया ही है कि एक क्षेत्र विशेष में कन्नड़ भाषियों का बहुमत होने पर भी वहां कन्नड़ भाषा में शिक्षा नहीं दी जाती थी । इस मामले में तो मलयालियों के साथ उचित व्यवहार नहीं किया गया है ।

यदि हम समूचे देश को देखें तो साक्षरता में मलयाली लोग हमेशा ही आगे रहे हैं । सब से कम साक्षरता चन्द्रगिरि नदी के उत्तर में बसने वाले मलयालियों में ही है । इससे स्पष्ट है कि उनकी भावनाओं को दबाया गया है ।

श्री शिवाराव की इस बात में भी कोई औचित्य नहीं है कि एक ताल्लुके को विभाजित करके उसका एक भाग एक अन्य एक भाषीय क्षेत्र में मिला दिया जाये, जबकि उस ताल्लुके की बहुसंख्या उसी राज्य की भाषा बोलती हो जिसमें से उसे निकला जा रहा है । श्री शिवा राव नदी को सीमा मानते है, लेकिन पुनर्गठन की योजना में कहीं भी नदी को सीमा मान कर निर्णय नहीं किया गया है ।

†**श्री वें० शिवाराव :** क्या देश में किन्ही अन्य ताल्लुकों को भी विभाजित नहीं किया गया है ?

---

†मूल अंगेजी में

†**श्री अ० म० थामस :** हां, लेकिन उसी ताल्लुके को जहां के विभिन्न हिस्सों में दो भाषायें बोलने वाले बहुसंख्या में हों। लेकिन इस मामले में तो मलयाली बोलने वाली बहुसंख्या को मलयाली भाषी ताल्लुके से निकाला जा रहा है।

वे पयस्विनी नदी को प्राकृतिक सीमा मानकर चलते हैं। दक्षिण त्रावनकोर के विलवनकोडे ताल्लूके के ठीक मध्य से होकर कुझियुआ नदी बहती है। उसके लिये भी कहा गया था कि उसे सीमा मानकर उससे दक्षिण के भाग को त्रावनकोर कोचीन में रखा जाये, लेकिन उसे नहीं माना गया है। इस प्रकार के तर्क व्यर्थ हैं।

श्री शिवा राव ने विभिन्न पंचायतों द्वारा व्यक्त की गई राय का उल्लेख किया है, लेकिन इन पंचायतों के चुनावों के समय राज्यों के भाषावार गठन का प्रश्न ही नहीं उठा था। तीन पंचायतों के सभापति पद के लिये अवश्य ही इस प्रश्न पर चुनाव लड़ा गया था और वहां मलयालियों की जीत हुई है।

इसलिये मेरा सुझाव यह है कि इस विधेयक के उपबंधों में किसी परिवर्तन की आवश्यकता नही है। अब मैं केरल और मद्रास के बारे में कुछ कहना चाहता हूं। मेरा विचार है कि गुडालुर ताल्लुका केरल को दिया जाना चाहिये। इसके संबंध में एक संशोधन भी है। मैं संयुक्त समिति का सदस्य रहा हूं, इसलिये मैं सोच नहीं पा रहा हूं कि मुझे यह सभी उपबंध मान लेने चाहिये या नहीं।

जैसा भी केरल निर्मित किया गया है, हमने उसे पड़ोसी राज्यों के साथ अच्छे सम्पर्क बनाये रखने के लिये हित में स्वीकार कर लिया है, और मुझे प्रसन्नता है कि मद्रास सरकार ने भी देवीकुलम और पीरमेडी ताल्लुकों से संबंधित निर्णय को मान लिया है, और वह त्रावनकोर-कोचीन सरकार के साथ सहयोग कर रही है।

श्री बूवराघस्वामी ने मद्रास राज्य का नाम तामिलनाड रखे जाने का सुझाव दिया था। यह भाषांधता की सीमा है। मद्रास नाम के पीछे प्राचीन परम्परा और इतिहास है। नाम बदलने से कोई लाभ नहीं होगा। फिर यह उन अन्य भाषा भाषियों के साथ एक अन्याय भी होगा जिन्हों ने मद्रास के विकास में योग दिया है। मद्रास विधान मंडल भी इसी के पक्ष में है।

जहा तक त्रावनकोर-कोचीन राज्य का संबंध है, आरंभ से ही केरल राज्य के लिये आन्दोलन किया जाता है। समाचार पत्रों में भी त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा को केरल विधान सभा कहा जाता है।

हो सकता है कि कुछ लोग इससे सहमत न हों। वहा की प्रान्तीय कांग्रेस समिति को तामिलनाड समिति इसलिये कहा गया था क्योंकि उसका नामकरण भाषा के आधार पर किया गया था। मद्रास प्रान्तीय कांग्रेस समिति कहने पर उसमें मलाबार भी सम्मिलित हो जाता। मुझे विश्वास है कि लोक सभा के सभी दलों और विचारों के अधिकांश माननीय सदस्य मद्रास के नाम परिवर्तन के पक्ष में नहीं होंगे, वैसे भी दक्षिण भारत के सभी निवासियों को मद्रासी कहा जाता है।

†**श्रीमती रेणु चक्रवर्ती :** दक्षिण भारतीय इस पर घोर आपत्ति करते हैं।

†**श्री अ० म० थामस :** उन्हें आपत्ति हो। मैं यही कहना चाहता हूं कि मलयालियों ने भी मद्रास के विकास में योग दिया है : मद्रास नाम के पीछे एक परम्परा है और उसे हटाया नहीं जाना चाहिये।

†**श्री चि० द्वा० देशमुख** (कोलाबा) : मै गृह-कार्य मंत्री के वक्तव्य की कुछ गलत बातों को ठीक करना चाहता हूं।

उन्होंने कहा कि सभी अवस्थाओं में पूरी तौर पर परामर्श किया गया था। मैं स्पष्ट रुप से यह बताना चाहता हूं कि मंत्री परिषद ने १० या ११ तारीख को यह निर्णय किया था कि बम्बई को एक अलग नगर-राज्य बनाया जाये और १६ को प्रधान मंत्री ने घोषित किया कि बम्बई को केन्द्र

†मल अंग्रेजी में

[श्री चि० द्वा० देशमुख]

द्वारा प्रशासित होना चाहिये, लेकिन इस बीच मंत्री परिषद की कोई भी बैठक नहीं हुई, जिसमें कि पुराने निर्णय को रद्द किया गया हो। घोषणा के बाद मंत्री परिषद को बताया गया था या नही, इसपर चर्चा करना व्यर्थ है। दूसरी बात यह कि प्रधान मंत्री को अपने सहयोगियों से परामर्श किये बिना ३ जून वाली घोषणा भी नहीं करनी चाहिये थी। यह लोकतंत्रात्मक पद्धति नहीं है। प्रधान मंत्री के उचित काय संचालन का दायित्व सदन पर है। हमारे प्रधान मंत्री अमीरीका के राष्ट्रपति की भांति अकेले ही किसी बात का निर्णय कर सकते है। इसलिये यह कहना गलत है कि सभी अवस्थाओं पर मंत्री-परिषद के सहयोगियों के साथ पूर्ण रुपेण परामर्श किया गया था। यह एक गलत प्रवृत्ति है। मेरा विचार है कि मंत्री-परिषद की क्षमता या अधिकार को प्रत्येक अवस्था पर कम किया जा रहा है।

फिर गृह-कार्य मंत्री ने कहा है कि मैंने १० जनवरी की मंत्री परिषद की बैठक में तीन राज्यों के सूत्रपर सहमत होने के बाद त्याग पत्र दिया था। यह सही नहीं है। तब तक यह प्रस्ताव—प्रकाशित भी नहीं किया गया था। तब तक केवल यही प्रस्ताव प्रकाशित किया गया था कि बम्बई को केन्द्रीय प्रशासित होना चाहिये। मैंने उस समिति की सीमा-विवादों के संबंधी बैठकों में ही भाग लिया था, बम्बई सम्बन्धी बैठकों में नहीं। एक समय मैं यह मानता था कि राज्य पुनर्गठन आयोग का प्रस्तावित समस्या सूत्र ७० प्रतिशत उचित था। और इसीलिये मैंने अपने भाषण में कहा था कि जनता की तकलीफों को कम करने के लिये एक सीमा आयोग बनाना चाहिये और वही उचित प्रक्रिया के अनुसार कार्य कर सकेगा। ज़ोनल परिषदें हम कार्य को उचित तौर पर नहीं कर सकेंगी। सीमा आयोग को अधिक प्राधिकार प्राप्त रहेंगे।

मैं प्रधान मंत्री के साथ हुए अपने पत्र-व्यवहार को लोक सभा पटल पर रखना चाहता हूं। मैंने २२ जनवरी को प्रधान मंत्री की १६ तारीख की बम्बई के केन्द्र द्वारा प्रशासित होते ही घोषणा के बाद, त्याग पत्र दिया था।

छः दिनों तक मैं इसलिये रुका रहा था क्योंकि मुझे महाराष्ट्रीय नेताओं के साथ इस बीच प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री से हुई वार्ता का ब्योरा मालूम नहीं था। वार्ता के बाद वे मुझसे मिले नहीं थे। इसी से मैंने अनुमान लगाया था कि उन्होंने कदाचित् केन्द्रीय प्रशासित बम्बई संबंधी प्रस्ताव को मान लिया होगा। लेकिन जब महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस समिति की कार्यकारिणी समिति ने उसका खंडन किया तो मैंने समझ लिया कि महाराष्ट्र नेताओं और जनता को वह निर्णय स्वीकार नहीं था। इससे मैंने निष्कर्ष निकाला कि अपने कार्य में असफल होने वाले नेताओं को अपने स्थान रिक्त कर देने चाहिये और अधिक अच्छे लोगों के लिये राह छोड़ देनी चाहिये।

अब प्रश्न यह है कि मैंने अपने त्याग पत्र पर आग्रह क्यों नहीं किया ? वह इसीलिये कि प्रधान मंत्री के पत्र से एक बड़े द्विभाषीय राज्य के निर्माण की आशा बंधती थी। मैं सदा से ही उसका समर्थक रहा हूं, इसलिये मैं ने कुछ ठहराना ही उचित समझा। फिर हिंसापूर्ण घटनाओं के कारण भी मैंने रुके रहना ही उचित समझा। कुछ संसद् सदस्य ने भी मुझे संसद् के सच तक कोई कार्य वाही न करके की सलाह दी। मुझे आय-व्ययक भी प्रस्तुत करना थी। योजना को भी अन्तिम रुप दिया जाना शेष था। इसीलिये, मैंने त्याग-पत्र के लिये आग्रह न करना ही अपना कर्त्तव्य समझा।

प्रधान मंत्री का एक और भी पत्र है, जो "निजी" है और उनकी अनुमति से ही उसे उद्धृत करता हूं। उसमें कहा गया था कि इस समय मेरा त्याग पत्र देना मेरे दृष्टिकोण के लिये भी सहायक नहीं था और मुझे राज्य पुनर्गठन विधेयक की अंतिम अवस्था तक रुकना चाहिये था। यही मैंने किया भी। उस समय विधेयक प्रवर समिति को सौंपा जाने वाला था। लेकिन जून के आरम्भ म मैंने देखा कि प्रधान मंत्री ने पहले ही एक ऐसा वक्तव्य दे दिया जिससे कि संयुक्त समिति के लिये कोई निर्णय करने की गुंजाइश ही नहीं रह गई। उससे महाराष्ट्र को एक और भी बुरी स्थिति में डाल दिया गया; बम्बई का एक नगर राज्य बनाये जाने पर भी वह उतनी बुरी स्थिति में न पड़ता। पांच वर्ष की अवधि काफी लम्बी होती है; और दूसरी बात यह कि केन्द्र द्वारा प्रशासित हो

जाने पर यहभी संसद की ही इच्छा पर निर्भर रहता कि इस अवधि के बाद वह केन्द्रीय प्रशासन को समप्ति कर देने का अधिनियम पारित करे या नहीं। उसमें जनता की राय जानने के लिये चुनाव की भी व्यवस्था नहीं थी। पता नहीं और किस तरह से जनता की राय जानी जा सकती है? बम्बई की जनता उस नगर को महाराष्ट्र से अलग रखना चाहती है—इसका क्या प्रमाण है। प्रमाण तो केवल यही है कि ४४ प्रतिशत जनता चाहती है कि बम्बई नगर महाराष्ट्र को दिया जाये। पाँच सात प्रतिशत को कोकंणी जनता भी यही राय देगी। पांच लाख तामिल क्लर्क भी इस पर क्यों आपत्ति करेंगे? उनके जीविकोपार्जन के साधन तो उन्हें मिलते ही रहेंगे।

वे तामिल को वहां सरकारी भाषा के तौर पर प्रयोग नहीं कर सकते। उस के लिये उन्हें गुजराती या कन्नड अथवा मराठी भाषा सीखानी होगी। अतः इस से कोई अन्तर नहीं पडेगा। कि उनके बच्चे मराठी सीखते हैं या गुजराती। मैं चाहता, हूं कि बम्बई नगर में गुजराती भाषा को पढ़ना अनिवार्य होना चाहिये क्यों कि इस से व्यापार को समझने में सुविधा होगी।

मेरा विचार है कि प्रधान मंत्री के वक्तव्य के कारण स्थिति और भी बिगड़ गई है और यह वक्तव्य मंत्रीमंडल के परामर्श से नहीं दिया गया था। मुझे भी इस बारे में बताना ठीक नहीं समझा गया था। मेरा सदा से यही विश्वास रहा है कि प्रत्येक उच्च पदाधिकारी को इस प्रकार कार्य करना चाहिये कि बादं में उसकी अनुपस्थिति न अखरे और मैंने ऐसा ही किया और मैं जानता हूं कि मेरी अनुपस्थितिसे किसीको दुःख नहीं होगा।

इसी कारण मैं ने इसको इतना महत्व दिया है। यह पत्र व्यवहार अभिलेख में सम्मिलित किया जायेगा या नहीं यह आपके स्वविवेक पर निर्भर करता है, यदि आप मुझे पर विश्वास कर लें तो मैं प्रधान मंत्री के पत्र को पटल पर रखने आवश्यकता नहीं समझता परन्तु यदि आप इसे मनघड़न्त समझें तो मैं इसे पटल पर रख दूंगा। इस विषय में आपका विनिर्णय क्या है?

†**अध्यक्ष महोदय** : मैं समझता हूं कि सभा को माननीय सदस्य के मौखिक वक्तव्य में विश्वास है।

†**श्री चिं० द्वा० देशमुख**: मुझे विश्वास है कि प्रधान मंत्री बाद में मुझे इस पत्र को प्रकाशित करने की अनुज्ञा दे देंगे।

माननीय गृह-कार्य मंत्री ने कहा कि अन्य सदस्यों की भांति मैंने भी राज्य पुनर्गठन आयोग विधेयक पर सहमति प्रकट कर दी थी इस लिये मेरे खिलाफ एक प्रकार का प्रतिष्टम्भ है, परन्तु ऐसा कैसे हो सकता है जब की २२ जनवरी से मेरा त्याग पत्र विचारधीन था और २४ अप्रैल को प्रधान मंत्री ने मुझे से कहा था कि में संसदों के निर्णय की प्रतीक्षा करं राज्य पुगर्गठन विधेयक तो अप्रेल के अंतिम दिनों में पुनः स्थापित किया गया था। इस से कुछ समय पहले मैं ने प्रधान मंत्री से विधेयक के खिलाफ बोलने की अनुमति मांगी थी और इसके लिये मैं मंत्री पद से त्याग पत्र देने के लिये भी तैयार था। यह पत्र मैं ने २० अप्रल को लिखा था और मैं इसकी एक प्रति पटल पर रखूंगा। इस से यह सिद्ध होगा कि मेरे खिलाफ कोई प्रतिष्टम्भ नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इस पत्र को पटल पर रखना संगतता वाद विषय नहीं है।

†**श्री चिं० द्वा० देशमुख** : गृह-कार्य मंत्री ने अपने वक्तव्य में जो गलत बातें कही उसे ठीक करने का और क्या तरीका हो सकता है। जनता समझेगी कि मैं गलती पर था।

†**श्री गाडगिल** (पुना मध्य) : व्यक्तिगत, स्पष्टीकरण के सामान्य उपबंध के अन्तर्गत भी उन्हें ऐसा करने का अधिकार है।

†**अध्यक्ष महोदय** : इन वक्तव्यों के तुरन्त पश्चात् उन्हें स्पष्टीकरण करना चाहिये था।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री टे० सुब्रह्मण्यम्** (बेल्लारी) : १९४७–५७ के दशक में बड़ी बड़ी घटनायें हुई है, बड़े-बड़े देशी राज्यों का विलय हुआ और अब भाग 'क' भाग 'ख' और 'ग' में के राज्यों की संख्या कम की जा रही है। १५ भाग 'क' में के राज्य होंगे और ६ भाग 'ग' में के राज्य ।

इसे मैंने क्रान्तिकारी दशक कहा है, क्रान्ति का अर्थ यह नहीं कि लूट मार की जाये या रक्त-पात हो बल्कि इसका अर्थ सामाजिक, राजनैतिक अथवा आर्थिक क्रान्ति भी है।

कुछ ऐसे मामले हैं जिन पर हमें बार बार चर्चा नहीं करनी चाहिये। इन में से एक बेल्लारी का मामला है। विरोधी दल के दो सदस्यों ने संशोधन संख्या ६६ और २१७ के द्वारा इस मामले पर पुनः चर्चा आरंभ की है।

उनका कहना है कि बेल्लारी तालुक और बेल्लारी नगर के तीन फिर्के आंध्र में मिलाये जाने चाहिये।

इन मामलों पर भारत सरकार अंतिम निर्णय कर चुकी है। प्रारूप राज्य पुनर्गठन विधेयक की व्याख्यात्मक टिप्पणी में उन्हों ने बताया कि सरकार ने सम्बन्धित राज्यो से परामर्श करके यह निश्चय किये हैं और यह परस्पर समझौते पर आधारित हैं ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पिठासीन हुए]

वर्तमान मैसूर राज्य के जिला बेल्लारी के कुछ भागों के आंध्र को प्रस्तावित हस्तान्तरण के बारे में आयोग ने पहले के निर्णयों का पुनरावलोकन करने का सुझाव मुख्यतः तुंगभद्र परियोजना के कुशलता पूर्वक संपन्न किये जाने के विचार से किया है परन्तु सरकार का विचार है कि आयोगने जिस क्षेत्रीय समायोजना का सुझाव दिया हैं वह आवश्यक नहीं है और ऐसा किये बिना ही यह उद्देश्य पूरा हो सकेगा।

राज्य पुनर्गठन आयोग की उक्त सिफारिशें तुंगभद्रा परियोजना पर आधारित थी । १८ जून को बंगलौर में आंध्र सरकार और मैसूर सरकार के प्रतिनिधियों का एक सम्मेलन हुआ था जिसमें मैत्रीपूर्ण ढंग से यह निर्णय किया गया कि उच्च स्तर वाली नहर का ३५ प्रतिशत पानी मैसूर को मिले और ६५ प्रतिशत आंध्र को। इस करार से दोनों पक्ष सन्तुष्ट थे।

श्री राघवाचारी और एक दो और सदस्यों ने एक उप-निर्वाचन का उल्लेख किया। यह उप निर्वाचन मैसूर विधान सभा से बेल्लारी तालुक के उस सदस्य के त्याग पत्र देने पर हुआ था, जिसने आंध्र का समर्थन किया था। उस ने यह त्याग पत्र एक चुनौती के रुप में दिया था। आंध्र के उप-मुख्य मंत्री ने कहा कि यदि उक्त उप निर्वाचन में हमारी हार होगी तो हम पुनः प्रश्न को नहीं उठायेंगे और यदि हमारी जीत हुई तो इसे जनमत संग्रह माना जायेगा। उपनिर्वाचन में उस अभ्यर्थी की हार हुई और उप मुख्य मंत्री ने अपनी हार मान ली और कहा कि वह इस मामले पर चर्चा पुनरारम्भ नहीं करेंगे परन्तु कुछ लोगों का स्वभाव ही ऐसा होता है कि वह इसे दोहराये बिना नहीं रह सकते। श्री राघवाचारी यह कह रह थे कि आंध्र के अभ्यर्थी को तीन फिर्कों में अधिक मत प्राप्त हुए थे।

यह भी एक महत्वपूर्ण बात है कि संयुक्त समिति में इस विषय पर पुनः चर्चा आरंभ करने का कोई प्रयास नहीं कियां गया था। संयुक्त समिति में आंध्र प्रदेश कांग्रेस समिति के अध्यक्ष और अन्य सदस्य उपस्थिति थे और उनका कदाचित यही विचार था कि इस संबंध में पुनः चर्चा करने से कोई लाभ नहीं होगा। आंध्र के मित्रों से मेरी अपील है कि वह अब उस जिले में एक स्वस्थ और सहकारी और तथा रचनात्मक वातावरण का निर्माण करने में सहायता दें।

मैं सीमान्त संबंधी समस्याओं के बारे में कुछ शब्द कहूंगा। ऐसी समस्यायें भारत के सभी राज्यों में हैं। उदाहरणतः, मैसूर, आंध्र में राजुलबन्दा के कुछ भागों पर आंध्र का और आलूर, अदोनी और रामद्रुग पर मैसूर का दावा है परन्तु आशा है कि यदि अब नहीं तो भविष्य में इन झगड़ों का मैत्रीपूर्ण निबटारा हो जायेगा।

---

†मूल अंग्रेजी में

मैं पंजाब और बम्बई के बारे में कुछ कहूंगा और उन मामलों का निर्देश करने के लिये मैं बाध्य हूं, ऐसा मेरा ख्याल है। मैं सभी संबंन्धित लोगों से बम्बई में सौहार्दपूर्ण और रचनात्मक वातावरण स्थापित करने के लिये अपील करता हूं। लोकमान्य तिलक ने मंडाले कारावास में भेजे जाने से पूर्व बेल्लारी का दौरा किया था और उन्हीं ने एक उदाहरण समारोह में विजयनगर साम्राज्य की महानता और उसके इतिहास का उल्लेख करते हुये कहा था कि उसके इतिहास से महाराष्ट्र के निर्माताओं को प्रेरणा प्राप्त हुई थी। विजयनगर के शासकों ने शैव, वैष्णव और बोद्ध धर्मोंको संरक्षण प्रदान किया था और इसके अतिरिक्त उन्हों ने मुसलमानों और इसाइयों को भी सहिष्णुता के साथ संरक्षण प्रदान किया। भाषा और धर्म के प्रति सहिष्णुता और प्रोत्साहन बहुत अच्छा उदाहरण उन्होंने स्थापित किया और हमें आज भी उसका अनुसरण करना चाहिये।

महाराष्ट्र में शिवाजी इसी प्रकार का उदाहरण थे और ऐसे उदाहरण देश के सभी भागों में मिलते हैं। महाराष्ट्र ने एक मात्र लोकमान्य को और गुजरात ने एक मात्र महात्मा गांधी को जन्म दिया। इस लिये मैं महाराष्ट्र और गुजरात मे अपने सभी मित्रों से अनुरोध करता हूं कि वे एक बार रचनात्मक, सौहार्दयुक्त और सहकारिता का वातावरण बना कर बम्बई के प्रश्न को हल करने में सक्रिय भाग लें।

पंजाब का भूतकाल और भविष्य भी उज्ज्वल हैं। उन से भी मैं अपील करता हूं कि वे प्रादेशिक सूत्र को स्वीकार कर लें और सहयोग के साथ रचनात्मक भावना से इसे कार्यान्वित करें।

सरदार अ० सि० सहगल (बिलासपुर) : जो तरमीमें (संशोधन) हमारे माननीय सदस्यों ने यहां उपस्थित की हैं, उन के ऊपर मैं अपने विचार रखना चाहता हूं। तरमीमें १ से ४ तक के जो अंश हैं उन में कहा गया है कि बालाघाट जिले के वारसुनी, बालाघाट और बइहर तालुक, दूसरे छिंदवाड़ा जिले का सांसर तालुक और बेतुल जिले के भैंसदेही और भुलतई तालुक तथा नीमर जिले का बुरहानपुर तालुक, यह सब जो नया मध्य प्रदेश, बनेगा उस में निकाल कर नये महाराष्ट्र में मिला दिये जायें। इस का कारण वे यह बताते है कि वहां के लोग मराठी बोलते हैं और मराठी तौर तरीका पर वे चलते हैं। इसी तरह से आपको तरमीम सं० १४२, १५०, २२५, ३२७, ३५८ और ३९२ मिलेंगे जिन में यह बाते लिखी गई है।

इस के साथ हमारे मित्र श्री रा० ना० सिं० देव ने तरमीम नं० १४४ दी है जिस में उन्होंने सुझाया है कि (ख) मध्य प्रदेश के रायगढ़ जिले का "संकर क्षेत्र", और सराय पाली वसन, मेनपुर और मध्य प्रदेश के राजपुर जिले के मैनपुर और दयोभाग थाने वस्तुर की जगलदलपुर और कौडा गांव तहसीलें।

इन को उड़ीसा की जो स्टेट है उसे में मिला दिया जाय। मैं आप से यह कहूंगा कि अगर आप स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन) को देखें तो आप को पता चलेगा कि किन कारण से उन्होने इन स्थानों को उड़ीसा में मिलाने की सिफारिशों नहीं की। मैं आप के सामने उत्कल के बारे में कुछ कह देना बाजिव समझता हूं। उत्कल के बारे में स्टेट्स रिआर्गेइनाजेशन रिपोर्ट (राज्य पुनर्गठन प्रतिवेदन) के सफा १३२ पर पैराग्राफ ४८३ में लिखा है कि बस्तर जिलों के भागों के लिये उत्कल सम्मिलिनी का दावा अन्य कारणों के साथ इस कारण पर आधारित है कि कहा जाता है कि हलवी और परझी के बीच और उडिया के साथ गहरा सम्बन्ध है। यह प्रमाणित नही है। इसके साथ साथ मैं आप से अर्ज करूंगा कि इसी आधार पर हमारे विदर्भ के भाइयों ने जो इन जिलों की मांग की है उस के बारे में रिपोर्ट के पैराग्राफ ४८४ में इस प्रकार से लिखा है :

"कि महाविदर्भ ने बस्तर के लिये दावा किया है और यह तर्क रोचक है कि हलवी मराठी की ही बोली हे। विख्यात भाषा वैज्ञानिक ग्रियसन और स्टेन कोनो इस मत का विरोध करते हैं।

ये सब चीजें उपाध्यक्ष महोदय, आपको रिपोर्ट के चैप्टर ८, पेज १३२ पर मिलेंगी।

[सरदार अ० सि० सहगल]

यहां पर आज आप हिस्टोरिकल फैक्ट्स (ऐतिहासिक तथ्य) की बात करते हैं और चाहते हैं कि इस आधार पर ही हमको कुछ इलाके मिल जायें। लेकिन जो कुछ हिस्टोरिकल फैक्ट्स के बारे में कमिशन (आयोग) ने कहा है वह मैं आपको पढ़ कर सुना देना चाहता हूं। कमिशन ने अपनी रिपोर्ट के सफा ६५ पर पैरा २३१ में कहा है कि ऐतिहासिक कारण को अधिक महत्व देने से द्वेष भाव, पृथकता और संकीर्णता की वृद्धि होगी। राज्य बनाने के लिये पुनर्जांगरण यदि वह सीमा में हो तो बुरी बात नहीं है।

हिस्टोरिकल आधार पर ही किसी को कोई चीज़ दे देने के क्या नतीजे हो सकते है, इसके बारे जो पैराग्राफ मैंने आपको पढ़ कर सुनाया है, वह कमिशन की रिपोर्ट में से है। इन सब चीजों को ध्यान में रख कर ही कमिशन ने इन सवालात का तसफीया (निर्णय) किया है और जो भी आर्गुमेंटस आप देते हैं उन सब को कमिशन ने एक तरफ रख दिया है। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि जो कमिशन की सिफारिशें हैं, उनपर ही चला जाये और कोई डिपार्चर न हो हमारे विदर्भ के भाइयों न जो तरमीमें पेश की है उनके जरिये से उन्होंने यह चाहा है कि वारासुनी, बालाघाट तथा बइहर तालुके बालाघाट डिस्ट्रिक्ट के तथा और कई दूसरे इलाके नये महाराष्ट्र प्रदेश में मिलाये जायें। मैं इसे ठीक नहीं मानता हूं। उपाध्यक्ष महोदय, मेरा आपसे यह कहना है कि उस संबंध में आप कमिशन की रिपोर्ट के सफा १२९ पर दफा ४७२ को पढ़िये। इसमें उसने क्लेम्स और काउंटर क्लेम्स का ज़िक्र किया है।

यह जो क्लेम (दावा) इन लोगों के तरफ से अब किये जा रहे हैं, इन सब पर स्टेट्स रिआर्गेनाइजेशन कमिशन ने जब अपनी रिपोर्ट लिखी थी, उस वक्त पूरी तरह से विचार कर लिया था। इस कमिशन ने सारे देश का दौरा किया और इन इलाकों के बारे में इन लोगों नें अपने राय भी इस कमिशन के सामने दी। कमिशन ने इन इलाकों पर इनके क्लेम को क्यों रिजैक्ट किया है, इसे हमें देखना है। एक बहुत मार्के की चीज़ उसने कही ह, जिस पर हमें ध्यान देना होगा। कमिशन ने कहा है कि महाविदर्भ का यह तर्क है कि महाकौशल की सीमाएं इस प्रकार खीची जायें कि उन में से निमार, बेतल, छिंदवाडा, बालाघाट और बस्तर के जिले निकाल दिये जायें।

उस वक्त कमिशन ने इनके क्लेम को मंजूर नहीं किया और यदि उन्होंने मंजूर किया होता और वे इनके कहने से संतुष्ट हो गये होते,तो अवश्य ही अपनी राय इनके हक में देते और इस चीज को इस रिपोर्ट में लिख सकते थे। अगर आप केवल जन संख्या के आधार पर ही इन चीजों की मांग करते हैं और चाहते हैं कि एक कमिशन बैठे तो आप ऐसा कर सकते हैं मुझे इसमें कोई एतराज नहीं है। ऐसा करने से जो सचाई है, वह आपके सामने आ जायेगी।

मैं आपको यह भी बतलाना चाहता हूं कि जब इस रिपोर्ट पर मध्य प्रदेश असैम्बीली में विचार हो रहा था, जिस की कि प्रोसीडिंग्ज़ मेरे पास मौजूद हैं, उसमें एक रेज़ोल्यूशन इस बारे में रखा गया था जो कि इस प्रकार है कि चौदह हिन्दी भाषी (महाकौशल) जिलों का एक नया राज्य मध्य प्रदेश बने। बम्बई राज्य और मध्य प्रदेश के मराठी भाषी क्षेत्रों का एक नया राज्य महाराष्ट्र बने। जिस में बृहत्तर बम्बई न हो।

इस चीज़ को जब विधान सभा के सामने रखा गया था तो उस वक्त इन इलाकों को जो चुन हुए लोग थे क्या उनकी ज़बानों पर ताले लग गये थे कि वे इन इलाकों के हक में नहीं बोल सकें। वे अगर चाहते तो बोल सकते थे और अपनी तरमीमें पेश कर सकते थे। उनका सबसे पहला यह कर्त्तव्य होना चाहिये था कि जो रेज़ोल्यूशन (संकल्प) मूव किया गया था मध्य प्रदेश की सरकार की-तरफ से उसको वे न मानते और कहते हम इस तरह से चाहते हैं। लेकिन उपाध्यक्ष महोदय, यह चीज़ नहीं हुई। वहां पर जो रेजोल्यूशन पास हुआ है वह इस प्रकार है कि सभा प्रारूप राज्य पुर्नगठन विधेयक के उपबंधों का अनुमोदन करती है।

तो मैं अर्ज करना चाहता हूं कि यदि वहां के नुमाइंदे (प्रतिनिधि) इन इलाकों को विदर्भ में मिलाना चाहते थे तो उन्होंने क्यों इसके बारे में कोई तरमीमें पेश नहीं की। उनको चाहिये था कि वे तरमीमें पेश करते।

इसके साथ ही साथ मैं यह भी कहना चाहता हुं कि हमारे बहुत से उड़ीसा के भाई भी यह चाहते हैं कि उनको कुछ इलाके दे दिये जायें। इसके बारे में उन्होंने एक तरमीम नंबर १४४ दी है। आप उड़ीसा की असैम्बली की प्रोसीडिंग्स (कार्यवाही) को देखिये कहीं पर भी आपको इन चीज़ों का जिक्र नहीं मिलेगा। लेकिन यहां पर वे चाहते हैं कि इन इलाकों को उड़ीसा में मिला दिया जाये। इसी तरह से बम्बई की लैजिस्लेचर की प्रोसीडिंग्स को आप देखिये आपको उनमें भी कहीं पर कोई चीज़ नहीं मिलेगी। अब यहां पर इन तरमीमों का रखा जाना कि वारासुनी, बालाघाट, सावनसर तालुका, छिंदवाडा डिस्ट्रिक्ट भैंसदेही तथा मुलताई तालुके, बेतुल डिस्ट्रिक्ट, के इत्यादि, मध्य प्रदेश से निकाल लिये जायें तथा किसी दूसरे प्रान्त में मिला दिये जायें, ठीक नहीं है। ऐसी कोई भी तरमीमें उन प्रदेशों की असैम्लियों में पेश नहीं की गई थीं और इनका अब यहां पर पेश किया जाना कोई अच्छी बात नहीं है और इनको पेश कर वैमनस्य फैलना ठीक नहीं है। मैं अदब से अर्ज़ करता हूं कि काफी दिन तक हम लोग साथ-साथ रहे हैं और हम ने एक साथ मिल कर काम किया है और कंधे से कंधा मिला कर हम आगे बढ़े हैं। इस चीज़ को देखते हुए भी अब यहां पर किसी तरह की गर्मी लाना उचित नहीं है। इन चीजों से कोई फायदा नहीं होगा। इस वास्ते मैं चाहता हूं कि वे अपनी एमेंडमेंट्स को प्रैस न करे।

इन शब्दों के साथ जो तरमीमें यहां पर पेश की गई हैं, उनका मैं विरोध करता हूं।

†**श्री गाडिलिंगन गौड़** : बहुत से भाषण सुनने के पश्चात् मैं बड़ी उत्सुकता से गृह-कार्य मंत्री के भाषाण की प्रतीक्षा कर रहा था। प्रधान मंत्री का भाषाण सुनने के पश्चात् मैंने अनुभव किया कि शायद सरकार भी बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाये जाने की मांग को स्वीकार कर लेगी। मुझे बड़ी निराशा हुई कि प्रधान मंत्री ने श्री चि०द्वा० देशमुख द्वारा कहीं गई दो बातों की सुन्दर शब्दों में व्याख्या करके भी उसका कोई उत्तर नहीं दिया।

माननीय गृह मंत्री ने कहा कि १९४८ में ही सिद्धान्त और नीति निर्धारित की जा चुकी थी और यह मामला मंत्री मंडल के सामने नहीं रखा गया था। इसी प्रकार उन्होंने बम्बई के बारे में कहा कि विधेयक मंत्रिमंडल के समक्ष रखा गया था। किसी के द्वारा निश्चय किये जाने के पश्चात् ही विधेयक तैयार किया जायेगा। उसका अर्थ यह है कि निश्चय करते समय मंत्रिमंडल से परामर्श नही किया गया था। माननीय मंत्री जनता पर यह प्रभाव डालने का प्रयत्न करते रहे हैं कि प्रत्येक कार्य लोकतन्त्रात्मक ढंग से हो रहा है परन्तु इस प्रयत्न में वे सफल नहीं हुए हैं। मैं साफ कहता हूं कि लोकतन्त्र के वेश में तानाशाही चल रही है।

हम गत ४० वर्ष से भाषाई राज्यों के लिये आन्दोलन करते आये हैं। जब कि भाषा के आधार पर राज्य बनाये जा रहे है तो मेरी समझ में नहीं आता कि पंजाबी सूबा और हरियाना प्रान्त क्यों नहीं बनाये जाते हैं। उन्हे एक ही सिद्धान्त के अनुसार कार्य करना चाहिये। कभी तो भाषा को आधार बना लिया जाता है और यदि किसी राज्य को कोई क्षेत्र देना अपेक्षित नहीं होता है तो प्रशासनिक सुविधा को और जनता की इच्छा को इसका कारण बता दिया जाता है।

आंध्र के दोनों भागों को मिला कर सरकार ने जो आंध्र प्रदेश स्थापित किया है, मैं उसके लिये उसको धन्यवाद देता हूं, यदि आंध्र राज्य में कोई कन्नड़ भाषी क्षेत्र हों तो उन्हें मैसूर में मिला जाने में मुझे कोई आपत्ति नहीं है।

नये कर्नाटक राज्य का नाम वृहत्तर मैसूर होगा। सहस्त्रों वर्षों से कर्नाटक की अपनी अलग संस्कृति चली आ रही है। अतः इसका नाम कर्नाटक ही रहना चाहिये। इसी प्रकार मद्रास का नाम तामिलनाड़ होना चाहिये।

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री गाडीलिंगन गौड़]

सरकार को चाहिये कि एक निश्चित नीति को अपना कर अल्प संख्यक वर्गों को कम से कम करने का प्रयास करे। इस से बड़ी समस्यायें हल हो जायेंगी। यदि एक भाषा भाषी राज्य में अल्प संख्यक वर्ग रहते हैं तो उन्हें उनकी मातृ-भाषा में शिक्षा देनी होगी और उनके लिये स्थान रक्षित रखने होंगे। सरकार इस संबंध में उचित कार्य कर रही है यह बड़ी प्रसन्नता की बात है।

कल ४ बजे तक लोक सभा में ७० सदस्यों ने भाषण दिये थे और उनमें से ३१ बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के लिये पक्ष में थे और केवल १० विरुद्ध थे। फिर भी माननीय मंत्री कहते हैं कि बम्बई केन्द्रीय प्रशासन में रहना चाहिये। इसे लोकतन्त्र तो नहीं कहा जा सकता है।

यदि सदस्यों को स्वतंत्रता से मत देने का अधिकार दिया जाये तो मुझे विश्वास है कि बहुमत बम्बई के महाराष्ट्र में मिलाये जाने के पक्ष में होगा।

†**श्री वे० प० नायर :** मैं सीमा संबधी प्रश्न अथवा अन्य विवादास्पद मामलों में पड़ना नहीं चाहता हूं इन पर काफी वाद विवाद हो चुका है।

मैं एक संशोधन प्रस्तुत करता हूं और मेरी इच्छा है कि गृह-कार्य मंत्री उस पर गंभीरता से विचार करें।

विधेयक में "वर्तमान सदस्य" की जो परिभाषा दी गई है वह त्रावनकोर-कोचीन पर लागू नही होगी जिस की जनसंख्या लगभग १२५ लाख है। हम सब जानते है की त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्रपति का शासन है। मैं चाहता हूं कि सरकार इस प्रश्न पर विचार करे कि राष्ट्रपति की उद्घोषणा से पूर्व त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के विघटित होने पर जो उसके सदस्य थे वे केरल राज्य की विधान सभा के सदस्यों के रूप में कार्य करें। राष्ट्रपति की उद्घोषणा पर हुई चर्चा के समय गृह कार्य मंत्री ने यह तर्क प्रस्तुत किया था कि यदि इस वर्ष प्रथम अक्तूबर से निर्वाचन प्रारंभ किये जाये तो नये राज्यों के बन जाने की सम्भावना है। अतः एक बार फिर निर्वाचन रहने होंगे परन्तु दुःख इस बात का है कि वह इस तर्क को आंध्र पर लागू नहीं करते हैं।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी :** वह त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के पुनर्जीवित किये जाने के बारे में कह रहे हैं। मेरे विचार से खंड ३०, ३१ और ३२ के अर्न्तगत इस विषय पर विचार करना अधिक ठीक होगा।

†**श्री वे० प० नायर :** यदि परिभाषा में इसकी व्यवस्था नहीं की जाती है तो हमें परिभाषाओं पर पुनः चर्चा करके उनमें परिवर्तन करना पड़ेगा क्योंकि वही पहले आती हैं।

प्रश्न यह है कि क्या यह सदन इस संशोधन को स्वीकार करने के लिये सक्षम है या नहीं। संविधान के अनुच्छेद ४ के अनुसार ऐसे संशोधन स्वीकार किये जा सकते है। इसलिये मेरा निवेदन है कि यह उक्त अनुच्छेद में स्पष्ट रूप से कहा गया है कि यदि सदन की इच्छा हो तो किसी विधान सभा में प्रतिनिधित्व संबंधी किसी अधिनियम को इस सदन में विधि निर्माण का विषय बनाया जा सकता हैं।

बहुत शीघ्र ही देश की जनता की आकांक्षाओं की पूर्ति होने जा रही है। त्रावनकोर-कोचीन में कुछ घटनायें हुई हैं जिनके कारण वहां राष्ट्रपति का शासन लागू किया गया है। मुझे विश्वास है कि माननीय गृह-मंत्री यह आस्वासन देंगे कि राष्ट्रपति का शासन जब तक आवश्यक होगा केवल तब तक ही कायम रखा जायेगा। अब परिस्थिति बदल चुकी है और मेरी समझ में नहीं आता कि इस संशोधन को स्वीकार करके यह कहने में, कि राष्ट्रपति के शासन के लागू होने के पूर्व जो व्यक्ति विधान सभा के सदस्य थे उन्हें सभी आयोजनों के लिये सदस्य माना जायेगा, सरकार को क्या आपत्ति है। आखिरकार यह केवल एक अस्थायी व्यवस्था है और निकट भविष्य में आम चुनाव अवश्य होंगे।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री मुहीउद्दीन** (हैदराबाद नगर) : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या विधान सभा को विघटित करने वाली राष्ट्रपति की घोषणा को वैधानिक रुप से पुर्नजीवित किया जा सकता है ?

†**श्री वे० प० नायर** : माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह संविधान के अनुच्छेद ३५६ को पढ़ें जिसके अनुसार राष्ट्रपति ने उक्त उद्घोषणा जारी की है ।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं यह स्वीकार करता हूं कि दोनों सदस्यों ने उसे पढ़ा है किन्तु उसका निर्वचन भिन्न रूप से किया है ।

†**श्री वे० प० नायर** : अनुच्छेद ३५६ (१) के अनुसार उद्घोषणा निकाली गयी है और राष्ट्रपति को यह शक्ति है कि वह उद्घोषणा को प्रतिसंहृत अथवा परिवर्तित कर सकता है । यदि राष्ट्रपति पहिले की गयी उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करें तो त्रावनकोर-कोचीन में पुनः यथापूर्व स्थिति हो जायेगी । एक विघटित विधान सभा पुनर्जीवित हो सकती है या नहीं यह प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

संविधान में यह कहा गया है कि भारत के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनैतिक न्याय प्राप्त कराया जायेगा । क्या त्रावनकोर-कोचीन की जनता को स्वयं उसी के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों द्वारा प्रशासित होने का अधिकार नहीं है ? यदि कोई विशिष्ट राजनातक दल निश्चित बहुमत नहीं बना सका है तो क्या इसके लिये जनता को दण्ड दिया जाये ? देश की ३७.२ करोड़ जनसंख्या में से केवल हमी को इस मूलभूत अधिकार से वंचित रखा जा रहा है । माननीय मंत्री से मेरा अनुरोध है कि वह इस बात पर विचार करें कि जब कि शेष भारत प्रगति के पथ पर बढ़ता चला जा रहा है तब क्या हम कुछ ऐसी औपचारिकताओं का पालन करने के लिये बाध्य है जिनसे कि उन्हें उनकी आकांक्षाओं की पूर्ति से वंचित रखा जा रहा है । अब परिस्थितियाँ बदल चुकी हैं और उसमें कोई सन्देह नहीं है । ११ सदस्यों की विधान सभा में वहां कोई निश्चित बहुमत नहीं था । यहां तक कि श्री दातार भी इस बात को अस्वीकार नहीं कर सकते हैं कि उन ११८ सदस्यों में से १२ सदस्य मद्रास को स्थानान्तरित हो जायेंगे ! जिन क्षेत्रों को हम मद्रास में मिलाने के लिये तैयार हैं उनके सदस्यों को मद्रास विधान सभा के सदस्य बनने से आप क्यों रोक रहे हैं ? हमें यह भी जान लेना चाहिये कि इन १०६ सदस्यों के साथ मद्रास राज्य के मालाबार जिले से निर्वाचित ३० सदस्य इधर आये होंगे और इनमें से कांग्रेस के चार केवल सदस्य हैं । इस प्रकार १३६ सदस्यों में से कांग्रेस के सदस्य केवल ४७ हैं और कांग्रेस किसी भी प्रकार के गठबन्धन से मंत्री मण्डल नहीं बना सकती है और यही कारण है कि सरकार इस प्रस्थापना को स्वीकार करने के लिये तैयार नहीं है ।

यह तर्क किया जा सकता है कि किसी विधान सभा का विघटन हो जाने के पश्चात उसे पुनर्जीवित करने की शक्ति राष्ट्रपति को नहीं है । मुझे विश्वास है कि राष्ट्रपति को उद्घोषणा को प्रतिसंहृत करने की शक्तियां प्राप्त है किन्तु यदि इस का यह अर्थ लगाया जाता है कि ऐसा करने से उन सदस्यों के फिर से सदस्यता प्राप्त नहीं होगी जिन्होंने विघटन के परिणामस्वरुप उसे खो दिया है तो मेरा सुझाव है कि हमें इस संशोधन को और अन्य आनुषंगिक संशोधनों को पारित करना चाहिये ! ताकि जब राज्यों का पुर्नगठन हो तब त्रावनकोर-कोचीन की शिक्षित और सुसंस्कृत जनता को अगले आम चुनाव होते तक उसी के द्वारा निर्वाचित प्रतिनिधियों से प्रशासित होने के अधिकार से वंचित न रखा जाये !

†**श्री अच्युतन** (क्रेंगनूर) : मेरे माननीय मित्र श्री नायर ने त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्यों को पुनः सदस्यता प्रदान किये जाने संबंधी अपने संशोधन के बारे में कहा । मैंने इस संशोधन की वैज्ञानिक और संवैधानिक उपलक्षणाओं की जांच की है और मेरी समझ में नहीं आता कि जबकि राष्ट्रपति की उद्घोषणा के कारण विधान सभा का विघटन हो चुका है और इस संसद् द्वारा उक्त उदघोषणा का अनुसमर्थन किया गया है तो इस प्रकार के संशोधन से हम विधान सभा को किस प्रकार पुर्नजीवित कर सकते हैं । इस विधेयक के उपबंधों के अनुसार जब मालावार जिला त्रावनकोर-कोचीन राज्य में विलीन होगा तो वहां के सदस्य अपनी सदस्यता खो देंगे किन्तु इसके लिये कुछ नहीं

---

†मूल अंग्रेजी में

[श्री अच्युतन]

किया जा सकता है। यदि हम त्रावनकोर-कोचीन विधान सभा के सदस्यों को पुनः सदस्यता प्रदान करें और मालाबार के सदस्य भी वहा आ जायें तो भी जब तक कि अगले आम चुनाव नहीं हों जाते है और कोई भी बहु संख्यक दल सत्तारुढ़ नहीं हो जाता है तब तक मंत्रिमंडल बनाना संभव नहीं है

मेरे मित्र स्वाधीनता प्राप्ति के बाद जनता को प्राप्त अधिकारों का निर्देश कर रहे थे किन्तु उनके आशय को मैं समझ नहीं सका हूं। मेरा ख्याल है कि राज्यों का पुनर्गठन एक बहुत छोटी सी बात है और आर्थिक पुनर्निर्माण ही महत्वपूर्ण है। श्री नायर यह कह सकते हैं कि राज्यों का पुनर्गठन ही सब कुछ है किन्तु मैं उनसे सहमत नहीं हूं।

केरल राज्य के बारे में श्री शिवाराव ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है जिसे किसी भी आधार पर स्वीकार नहीं किया जा सकता है। चन्द्रगिरी नदी के उत्तर में जो क्षेत्र है वहाँ कन्नड़ भाषी जनता केवल ९ प्रतिशत है और उस क्षेत्र को कर्नाटक में मिलाये जाने के लिये संशोधन कैसे प्रस्तुत किया जा सकता है ?

श्री नेसामनी ने कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। उन्होंने यह बताया है कि आयोग ने शेनकोटा तालुक के मद्रास में मिलाये जाने की सिफारिश की है। इस विधेयक का प्रारूप तैयार किये जाने से पूर्व दोनों राज्य के प्रतिनिधियों से सरकार ने परामर्श किया था और उन्होंने यह कहा था कि पश्चिम की ओर का जो भाग है उसे केरल राज्य मे अवश्य मिलाया जाये। इसके बाद त्रावणकोर-कोचीन में भी राष्ट्रपति शासन जारी हुआ है और इसका कारण राज्य के राजस्व अधिकारियों और मद्रास के प्रतिनिधियों ने इस मामले की जांच की। वे इस बात पर सहमत हुये कि कुछ और छोटे हिस्से उस पश्चिमी भाग में मिलाये जाने चाहियें जो कि केरल का एक भाग बनेगा। संयुक्त समिति ने अपने प्रतिवेदन में इस मामले को पूर्णतः स्पष्ट कर दिया है। इसके विरोध में कोई शिकायत नहीं की गयी क्योंकि उक्त अधिकारी इस बात पर सहमत हुए थे कि पश्चिमी भाग त्रावनकोर-कोचीन में और पूर्वी भाग तिरुनेलवेली में मिलाया जाना चाहिये और इसलिये उनका संशोधन स्वीकृत नहीं किया जा सकता है। श्री नेसामनीने देवीकुलम के बारे में एक अन्य संशोधन प्रस्तुत किया है किन्तु मेरा निवेदन है कि अब हमें इन बातों के बारे में परेशान नहीं होना चाहिये।

मुझे अल्पसंख्यक भाषा भाषियों के बारें मे कुछ कहना है। इस विधेयक में ऐसा उपबन्ध अवश्य किया जाना चाहिये कि कि यदि कोई अल्पसंख्यक भाषाभाषी हों तो उन्हें किसी बात की आशंका नही होनी चाहिये तथा उनकी संस्कृति, भाषा और उनकी सन्तानों की शिक्षा के लिये उचित परित्राण रखे जाने चाहियें।

श्रीमान, जहां तक केरल का संबंध है हम अपने प्रान्त के अतिरिक्त किसी अन्य भूमि के लियें दावा नहीं करते हैं। विधान सभा और लोक सभा के सदस्यों की संख्या के बारे में जो अन्य बातें हैं उन पर यथा समय पर विचार किया जा सकता है। मेरा ख्याल है कि यह विधेयक, जैसा कि वह है, स्वीकार्य है। यद्यपि बम्बई और पंजाब को लेकर काफी बहस हुई है तथापि अब शान्ति बनाये रखने का समय आ गया है और हमें इस बात पर विचार करना चाहिये कि इसे किस प्रकार साध्य किया जा सकता है।

श्री शंकर गौड़ा पाटिल : श्रीमान, महाराष्ट्र के मेरे मित्रों ने बेलगांव नगर, खानपुर, चिथोड़ी तालुक के कुछ गावों और उत्तर कनारा के तीन तालुकों के बारेमें संशोधन प्रस्तुत करते हुए भाषा के आधार पर इन क्षेत्रों के महाराष्ट्र में मिलाये जाने की मांग की है। यह देखा जा सकता है कि इन क्षेत्रों में मराठीभाषी लोगों का बहुमत किसी स्थान पर अत्यधिक नहीं है। यह भी देखा जा सकता है कि राजनैतिक दृष्टि से यह भाग सदा बेलगांव जिले में रहे हैं और महाराष्ट्र का कभी भी भाग नहीं रहे हैं। इन क्षेत्रों में बेलगांव नगर भी सम्मिलित है। यह भाग पहले मद्रास के बेल्लारी जिले में थे। बाद में इसे मद्रास से निकाल कर बम्बई में मिला दिया गया और तब यह क्षेत्र धारवाड़ जिले का

अंग बने। बाद में इन्हें बेलगांव जिले में रखा गया जिसका प्रधान कार्यालय बेलगांव था। कांग्रेस तथा अन्य बड राजनैतिक दलों नें भी यह स्वीकार किया है कि बेलगांव जिले का प्रधान कार्यालय बेलगांव है और वह कर्नाटक के कांग्रेस प्रान्त के अन्तर्गत आता है। कर्नाटक कांग्रेस का अधिवेशन वहां आयोजित किया गया था और तब किसी ने भी इस संबंध में कोई आपत्ति नहीं की। श्री केलकर और श्री काणे तथा महाराष्ट्र के अन्य नेताओं ने एक वक्तव्य में यह स्वीकार किया था कि बेलगांव कर्नाटक का एक भाग था। उनके इस वक्तव्य से स्थिति स्पष्ट हो जा ी है और देखा जा सकता है कि महाराष्ट्र क लोगों ने जो दावा किया है वह बिल्कुल नया है। प्रशासनिक दृष्टि से बेलगांव जिले का और बम्बई राज्य के कर्नाटक प्रदेश का प्रधान कार्यालय है। यदि बेलगांव शहर का विघटन किया जाता है वह एक छोटा शहर मात्र रह जायेगा और जिले अथवा विभाग के लिये कोई प्रधान कार्यालय नहीं रहेगा। वाणिज्य की दृष्टि से उसका संबंध कर्नाटक के अन्य भागों से है और उसे खाद्यान्नों तथा अन्य वस्तुओं का संभरण कर्नाटक क्षेत्र से होता है। महाराष्ट्र के साथ उसके कोई आर्थिक संबंध नहीं हैं।

शिक्षा और संस्कृति की दृष्टि से भी बेलगांव कर्नाटक का केन्द्र है और वहां जो शिक्षा संस्थायें है वह कर्नाटक की जनता की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिये स्थापित की गई हैं। भौगोलिक दृष्टि से भी बेलगांव शहर और ये अन्य भाग कर्नाटक से तीन ओर से घिरे हुये हैं। बेलगांव महाराष्ट्र को केवल एक तरफ से स्पर्श करता है। मलनाद क्षेत्र, बेलगांव तथा अन्य भागों के उचित विकास और प्रगति को दृष्टि में रखते हुये आयोग ने उसे कर्नाटक में रखा है और यह उचित ही है।

यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिये कि बेलगांव शहर का कन्नड़-भाषी जनता और अन्य अल्पसंख्यकों ने आयोग, सरकार और कांग्रेस की उपसमिति से यह अनुरोध किया था कि बेलगांव को कर्नाटक में मिलाया जाना चाहिये और उसे बेलगांव जिलेका प्रधान कार्यालय बनाया जाना चाहिये। इन सब बातों को देखते हुये मैं आशा करता हूं कि बेलगांव तथा अन्य भागों के कर्नाटक में मिलाये जाने के बारें में आयोग ने जो सिफारिश की थी और जिसे बाद में सरकार ने और संयुक्त समिति ने स्वीकार कर लिया था, उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये।

उत्तर कनारा जिले के केवल तीन तालुकों कारवार, सुपा और हलयाल के बारे में महाराष्ट्र ने दावा किया है। यहां भी यह देखा जा सकता है कि केवल हलयाल को छोड़कर शेष दोनों तालुकों मे जो भाषा बोली जाती है वह कन्नड़ है और उसके बाद कोंकणी आती है। महाराष्ट्र के लोगों ने यह खोज की है कि कोंकणी भाषा तो मराठी से निकली है अथवा वह मराठी से बहुत मिलती-जुलती है और इसलिये उन्होंने उक्त क्षेत्र के महाराष्ट्र में मिलाये जाने की मांग की है। मैं सदन के समक्ष कुछ ऐसी महत्वपूर्ण सामग्री रख सकता हूं जिससे स्थिति स्पष्ट हो जायेगी। भारत की जनगणना १९३१ ग्रन्थ ८, भाग १ बम्बई प्रेसीडेन्सी, सामान्य प्रतिवेदन के दसवें अध्याय की धारा २ में पृष्ट ३२९ पर यह कहा गया है कि कोंकणी गोआ और भारत के पश्चिमी समुद्र तट के कुछ हिस्सों में बोली जाने वाली भाषा है। विद्वानों का मत है कि इसका उद्‌गम मराठी से नहीं वरन् उससे पहले और पृथक रूप से प्राकृत से हुआ ह। १९४२ में बम्बई में तृतीय कोंकणी सम्मेलन हुआ था और उसमें इस आशा का प्रस्ताव पारित किया गया था कि जनगणना अधिकारियों से यह अनुरोध किया जाये कि वह यह घोषणा करें कि कोंकणी एक स्वतंत्र भाषा है और वह मराठीजन्य बोलचाल की भाषा नहीं है। १९४१ से पूर्व हुई जनगणना में इसे स्वतंत्र भाषा घोषित किया गया था और इसलिये १९४१ की जन गणना में भी उसे एक स्वतंत्र भाषा माना जाये।

तीसरे, मैं बम्बई की कोंकण कला और विज्ञान संस्था द्वारा राज्य पुनर्गठन आयोग को प्रस्तुत किये गये स्मृति पत्र के कुछ अंश का उल्लेख करूंगा। उसमें कहा गया है कि कोंकण की भाषा कोंकणी है जो की कोंकण में मौर्य शासन के समय प्रचलित द्राविड़ भाषा और मागधी प्राकृत के मिलने से बनी हुई भारत-आर्य भाषा का एक स्वतंत्र रुप है। मेरा ख्याल है कि इन सब बातों से सदन को यह ज्ञात हो जायेगा कि पुनर्गठन के प्रयोजन के लिये कोंकणी को मराठी का एक भाग न समझा जाये।

[श्री शंकर गौड़ा पाटील]

हमें इस प्रश्न को पुनर्गठन के प्रसंग में एक और दृष्टिकोण से देखना होगा। राज्यों के पुनर्गठन के फलस्वरूप सभी भाषाओं अथवा सांस्कृतिक गुटों को एक राज्य के अन्तर्गत या कम से कम एक प्रशासन के अन्तर्गत एक एकीकृत इकाई बनाने का अवसर दिया जा रहा हैं। समूचा कनारा जिला पहिले बम्बई प्रेसिडेन्सी का एक भाग था और बिटिश सरकार ने उनका विभाजन करके दक्षिण कनारा को मद्रास में मिला दिया और उत्तर कनारा को बम्बई में ही रहने दिया गया। अब जब कि हमें परिवर्तन करने का अवसर प्राप्त हो रहा है तो एक एकीकृत इकाई बनाने की अनुमति कोंकण की जनता को क्यों न दी जाये जिस से कि उनकी सर्वतोमुखी प्रगति हो सके।

जहां तक दक्षिण शोलापुर, जाठ, अकलकोढ अदि का संबंध है उन्हें मैसूर राज्य में मिलाया जाना चाहिये किन्तु उन्हें महाराष्ट्र में रखा गया है। मैंने इस संबंध में एक संशोधन प्रस्तुत किया है। इन क्षेत्रों के बारे में मेरा निवेदन केवल इतना ही है कि उन्हें महाराष्ट्र के किसी जिले में अंतिम रूप से सम्मिलित नहीं किया गया है। इन तालुकों में कन्नड़ भाषी लोग का बहुमत है और यह कर्नाटक में रहना चाहते हैं।

कांग्रेस तथा महाराष्ट्र के कुछ नेताओं के वक्तव्य से ऐसा प्रतीत होता है कि इन भागों को महाराष्ट्र में रखने के लिये वह बहुत उत्सुक नहीं है। इन क्षेत्रों की जनता की मांग है कि यह क्षेत्र कर्नाटक में मिलाये जाने चाहियें और यदि वहां की जनता की यही इच्छा है तो मेरा निवेदन है कि उन्हें महाराष्ट्र से अलग करके कर्नाटक में सम्मिलित कर दिया जाये।

†**सरदार रा० भा० सिं० तिवारी** (रीवा) : आपने मुझे जो बोलने का अवसर दिया है उसके लिये में आपको धन्यबाद देता हूं।

मैं कोई नई चीज़ नहीं कहना चाहता और जो कुछ मैं पहले कह चुका हूं, उसी को दोहराऊंगा। मेरे दो किस्म के एमेंडमेंट (संशोधन) हैं। मेरी पहली तरमीम तो यह है कि मेरे प्रान्त को अलग ही रहने दिया जाये। मेरा प्रान्त जिस को कि विन्ध्य प्रदेश के नाम से पुकारा जाता है, बहुत ही पिछड़ा हुआ है और अब उसको मध्य प्रदेश में मिलाया जा रहा है कि खुद भी एक पिछड़ा हुआ प्रदेश है। वह इतना बड़ा प्रदेश बन जायेगा कि अगर आप उसको एक अरब रुपया सालाना ५० बरस तक भी यहां से दें, तो भी उसका डिवेलपमेंट (विकास) नहीं हो सकेगा। ऐसी हालत में उसके साथ विन्ध्य प्रदेश को मिलाने की बात सोचना और फिर इसके डिवेलपमेंट की बात सोचना एक भूल है। इसके अलावा जिस तरह से नये मध्य प्रदेश के आफिसिस की डिस्ट्रीबूयूशन (वितरण) हो रही है, उससे साफ जाहिर है कि विन्ध्य प्रदेश का साथ स्टेप मदरली ट्रीटमेंट (सौतेली माँ का सा व्यवहार) अभी से होना शुरू हो गया है और उसको डिसमेंम्बरमेंट (विभाजित) करने की कोशिश की जा रही है। ऐसी हालत में विन्ध्य प्रदेश को प्रस्तावित मध्य प्रदेश में कोई इन्साफ पाने की उम्मीद नहीं हो सकती। यही कारण है कि विन्ध्य प्रदेश के लोग प्रस्तावित मध्य प्रदेश में मिलना नहीं चाहते। विन्ध्य प्रदेश में जितनी भी पोलिटिकल पार्टीज़ (राजनैतिक दल) हैं, जैसे कांग्रेस है, सोशलिस्ट पार्टी (समाजवादी दल) है, राम राज्य परिषद है, जन संघ इत्यादि हैं, उन सब ने एक मत होकर यह राय ज़ाहिर की है, कि विन्ध्य प्रदेश की उसी तरह से कायम रहने दिया जाये। जब आप छोटे छोटे प्रदेश बना रहे हैं जैसे कि केरल है, हिमाचल प्रदेश है, तो आप विन्ध्य प्रदेश को अलग इकाई के रूप में क्यों नहीं रख सकते। जब आप यह कहते हैं कि हिमाचल प्रदेश के लोक पंजाब के साथ नहीं मिलना चाहते, इस लिये हिमाचल को अलग रखा जा रहा है, तो फिर आप विन्ध्य प्रदेश के साथ भी वही सलूक क्यों नहीं करते और उसको भी एक अलग इकाई के रूप में बने क्यों नहीं रहने देते, जबकि वहां के लोगों की भी यही इच्छा है।

---

†मूल अंग्रेजी में

दूसरी तरमीम मेरी यह है कि अगर उसको अलग नहीं रखा जा सकता तो उसको उत्तर प्रदेश में मिला दिया जाये। उत्तर प्रदेश में रेहन बांध, माताटीला बांध बन रहे हैं और उनसे फायदा अभी से पहुंचना शुरू हो गया है। यदि हम को भी उत्तर प्रदेश में मिला दिया गया तो हम भी इन बांधों से लाभ उठा सकेंगे। इसके अलावा उत्तर प्रदेश एक ऐसा प्रदेश है जिस में कि खनिज पदार्थ नहीं हैं और चंकि विन्ध्य प्रदेश में, काफी खनिज पदार्थ हैं, और इस वास्ते वह अपनी तरफ से ही हमारे इलाके का डिवेलपमेंट खुद करेगा। ऐसी हालत में हम लोग यह चाहते हैं कि मध्य प्रदेश में हमें मिलाने के बजाय उत्तर प्रदेश में ही हम को मिला दिया जाये। सिलैक्ट कमिटी (प्रवर समिति) में केप्टेन अवदेश प्रताप सिंह जी ने जो की राज्य सभा एक मेम्बर है, इस आशय की एक तरमीम पेश की थी, जिस को कि आउट आफ आर्डर (नियम विरुद्ध) करार दे दिया गया था। यह बात जरूरी नहीं है कि सिलैक्ट कमेटी में यदि एक चीज़ को आउट आफ आर्डर करार दे दिया जाता है तो उस चीज़ को मानने के लिये यह हाउस बाध्य है। यहां पर इस तरह की तरमीम पेश की जा सकती है और अगर आप समझते हैं कि यहां भी यह आउट आफ आर्डर होगी तो मैं होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि जिस तरह उन्होंने यहां पर बिहार और बंगाल के बारे में एक बिल पेश किया था उसी तरह का एक नया बिल विन्ध्य प्रदेश के बारे में भी पेश करें। इस तरह से भी हमको उत्तर प्रदेश के साथ मिलाया जा सकता है।

बस मुझे इतनी ही प्रार्थना करनी है और मुझे हाउस का अधिक समय नहीं लेना है।

†**श्री भटकर** (बुलडाना–अकोला-रक्षित-अनुसूचित जातियां) : उपाध्यक्ष महोदय, आपने जो मौका मुझे अपने विचार प्रकट करने का दिया है, उसके लिये मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

मैं कुछ शब्द महाराष्ट्र के बारे में कहना चाहता हूं। बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने का सवाल जब से यह रिपोर्ट प्रकाशित हुई है, चर्चा के विषय बना रहा है लेकिन उसका कोई संतोषजनक हल नहीं ढूंढा जा सका है। मेरा ख्याल है कि इस सवाल को पेश हुए करीब करीब नौ महीने हो गये हैं। जिस तरह से इसका फैसला होना चाहिये था उस तरह से नहीं हुआ है। आज महाराष्ट्र में कोने कोने से यह आवाज़ उठ रही है कि बम्बई महाराष्ट्र को न देकर अपने अन्याय किया है। आप किसी भी देहात में चले जायें, आपको यही सुनने को मिलेगा कि महाराष्ट्र के साथ अन्याय हुआ है।

आपने यह भी देखा होगा कि महाराष्ट्र के पुरुषों, स्त्रियों और बच्चों ने यहां भी महाराष्ट्र और बम्बई के सम्बन्ध में अपनी मांगे रखीं और जो कुछ कहना था, वह कहा।

हमारे नेता, प्राइम मिनिस्टर (प्रधान मंत्री) महोदय, ने यह तो माना है कि बम्बई महाराष्ट्र का भाग है, लेकिन कहा है कि वह पांच साल के बाद महाराष्ट्र को दिया जायेगा। मराठी में कहते हैं : हिशोब कबुल तफ़सील ना कबुल अर्थात् हिसाब तो ठीक है, बराबर है, लेकिन डीटेल (ब्योरा) ठीक नहीं हैं और मंजूर नहीं है। मेरी समझ में नहीं आता कि जब बम्बई महाराष्ट्र का है, इस तथ्य को सब स्वीकार करते हैं, तो फिर उस को महाराष्ट्र को देने में क्या रुकावट है और क्या हर्ज है।

इस के अतिरिक्त मैं यह भी कहना चाहता हूं कि महाराष्ट्र के कई टुकड़े कर दिये गये हैं। उस के कुछ गांव ग्रेटर बम्बई में हैं। कुछ पोर्शन (भाग) तेलंगाना को दिया गया है और कुछ भाग मध्य प्रदेश को दे दिया गया है। उस को कई प्रदेशों में बांट दिया गया है। नये मध्य प्रदेश को बहुत इलाका मिल गया है—उस को सब से ज्यादा इलाका मिल गया है। हमारे सहगल साहब ने कहा कि महाराष्ट्र वाले कुछ क्षेत्रों को अपने में मिलाने के लिये अमेंडमेंट (संशोधन) लाये हैं और उन्होंने उस का विरोध किया। लेकिन उन्होंने अपने पक्ष में कोई फिगर्ज़ (आंकड़े) पेश नहीं कीं। मैं इस सदन के सामने कुछ फ़िगर्ज़ रखना चाहता हूं।

बरहानपुर में मराठी बोलने वालों की तादाद ७१,२७४ है और हिन्दी बोलने वालों की तादाद २८,२५७ है। सोनसर में मराठी बोलने वालों की तादाद ८७,३३२ है और हिन्दी बोलने वालों की तादाद ३४,४९४ है। यह तादाद छिंदवाड़ा ताल्लुका की है।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**श्री रायचन्द भाई शाह** (छिंदवाड़ा) : कुल आवादी कितनी है ?

†**श्री भटकर** : उस का यहां पर सवाल नहीं है। वहां पर साढ़े चार लाख मराठी बोलने वालें हैं। मेरा कहना केवल यही है कि जो मराठी भाषी भाग है, वे तो महाराष्ट्र को मिलने चाहिये। लेकिन ज्ञात होता है कि यहां पर उस सिद्धान्त पर कार्य किया जा रहा है कि :

माझे ते माझे तुझे ते ही माझे च

अर्थात्, जो मेरा है, वह तो मेरा है ही और जो तुम्हारा है, वह भी मेरा है।

उन्होंने बताया कि मध्य प्रदेश असेम्बली में यह बात क्यों नहीं रखी गयी। मेरा कहना यह है कि जिस की लाठी होती है, उसी की भैंस होती है।

बम्बई के बारे में हमारे नेता ने कहा है कि करीब करीब पांच वर्ष तक बम्बई को महाराष्ट्र में नहीं मिलाया जा सकता है और कारण यह बताया है कि इतने समय में लोगों के दिल साफ़ हो जायेंगे। मेरा कहना यह है कि जहां दर्द हुआ है, वहां दवाई जल्दी से जल्दी दी जानी चाहिये। अगर न दी गई, तो उस के परिणाम अच्छे न होंगे—खराब होंगे। इस लिये मैंने और श्री के० जी० देशमुख ने यह अमेंडमेंट रखी है कि केन्द्रीय सरकार निश्चित दिन से दो वर्ष के बीच सरकारी गज़ेट में अधिसूचना द्वारा उपरोक्त बम्बई राज्य को महाराष्ट्र को राज्य में मिला सकती है और अगले सत्र में अधिसूचना को लोक सभा के समक्ष रख सकती है।

मेरे कहने का मतलब यह है कि अगर गवर्नमेंट ने यह अमेंडमेंट एक्सेप्ट (स्वीकार) कर ली, तो महाराष्ट्र के लोगों की बेचैनी और चिन्ता दूर हो जायेगी।

अन्त में मैं यह कहना चाहता हूं कि जब तक बाउंडरीज़ (सीमाओं) के बारे में निश्चय करने के लिये कोई बाउंडरी कमीशन नहीं बनेगा, तब तक मराठी बोलने वालों के साथ न्याय नहीं होगा। बाउंडरी का फैसला या तो बाउंडरी कमीशन द्वारा होना चाहिये और या आरबिटरेशन (मध्यस्थता) के द्वारा होना चाहिये। अगर गवर्नमेंट मेरी अमेंडमेंट को मंजूर कर लेगी, तो महाराष्ट्र के लोगों में आनन्द फैल जायेगा।

†**श्री तेलकीकर** : मैंने खंड ३, ७ और ९ के संबंध में कुछ संशोधन प्रस्तुत किये हैं। इन में मैं ने यह सुझाव दिया है कि कुछ क्षेत्रों को एक राज्य में से निकाल कर दूसरे में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इस बात का निर्णय कि ये भाग किस राज्य में रहें, जनसंख्या के आधार पर किया जाना है। जनसंख्या के आधार पर मैं ने जिन राजस्व क्षेत्रों का सुझाव दिया है वे महाराष्ट्र में सम्मिलित किये जाने चाहियें। इस संबंध में मैंने, खंड १५ के बारे में एक संशोधन प्रस्तुत किया है, जिसमें एक सीमा आयोग की मांग की गई है। सीमा संबंधी मामले इस आयोग द्वारा इन सिद्धान्तों के आधार पर तय किये जाने चाहियें : विवाद ग्रस्त क्षेत्रों का संस्पर्शी होना, भाषाई, ऐतिहासिक और सांस्कृतिक संबंध, आर्थिक संबंध, जनता की इच्छा, प्रशासनिक सुविधा, आदिम जातियां के हित आदि। यदि लोगों को उन क्षेत्रों में रखा जाय, जिन में वे रहना चाहते हैं, तो उन का असंतोष कम होगा। मैं ने यह भी सुझाव दिया है कि यदि आवश्यक हो, तो एक राजस्व ग्राम को एक एकक माना जाये।

ये सब छोटे छोटे प्रश्न सभा योजना मे संबंध रखते हैं। मुख्य समस्या बम्बई नगर की है। इस का निणय गुणावगुणों के आधार पर किया जाना चाहिये। केवल इसी के मामले में एक विभेदकारी निर्णय किया गया है। इस का कारण यह दिया गया है कि बम्बई में सब जातियों के लोग रहते हैं। हैदराबाद में आंध्र ३० प्रतिशत से अधिक नहीं है, मुसलमान ५१ प्रतिशत हैं और शेष मराठे, कन्नड़ आदि है, किन्तु उसे आंध्र को दे दिया गया है। बम्बई में महाराष्ट्री ४३ प्रतिशत और गुजराती केवल १४ प्रतिशत है। कहा जाता है कि चूंकि गुजरातियों में असंतोष फैलने का डर है, इस

†मूल अंग्रेजी में

लिये यह केन्द्र द्वारा प्रशासित होना चाहिये। गुजरातियों के सिवाय और किसी समुदाय ने यह मांग नहीं की है कि बम्बई केन्द्र द्वारा प्रशासित होना चाहिये। वे ही केवल यह चाहते हैं कि महाराष्ट्र को इस बड़े नगर से बंचित किया जाय।

यह भी कहा गया है कि चूंकि महाराष्ट्रियों ने बम्बई नगर म हिंसात्मक कार्यवाहियाँ की हैं इस लिये, उन का पक्ष कमजोर हो गया है। मैं समझता हूं कि इस बात को इतना महत्व नहीं दिया जाना चाहिये। बम्बई में रहनें वाले कुछ हज़ार लोगों द्वारा की गई हिंसात्मक कार्यकाहियों के कारण महाराष्ट्र की तीन करोड़ जनता को क्यों दंडित किया जाये? वे केवल उचित निर्णय चाहते हैं। इस प्रश्न का उचित निर्णय केवल गुणावगुणों के आधार पर ही किया जाना चाहिये। ऐसा करने के लिये केवल नेताओं की बल्कि सारे देश की प्रतिष्ठा बढ़ेगी।

भालकी तालुक के भालकी और हुलसुर क्षेत्रों में, संतपुर (औराद) के औराद और तोरना क्षेत्रों में और हुमनाबाद तालुक के लाडवंती क्षेत्र में अधिकतर जनता मराठी भाषी है। और इन क्षेत्रों को महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाना चाहिये। इसी तरह आदिलाबाद जिले के उतनूर तालुक, ऊडा और बकाडी क्षेत्र की जनता भी मराठी भाषी है। उन्हें भी महाराष्ट्र में सम्मिलित किया जाये।

†**श्री रघुवीर सहाय** : बम्बई नगर की समस्या के बारे में हम ने इस सदन में बहुत से जोशीले भाषण सुने। यह बात छिपी हुई नहीं है कि इस संबंध में महाराष्ट्रियों की भावनायें बहुत प्रबल हैं। प्रधान मंत्री और गृह-मंत्री भी इस बात को जानते है। मैं समझता हूं कि इन भावनाओं के अतिरिक्त इस जटिल राजनैतिक समस्या के और भी बहुत से पहलू हैं।

इस विवाद में बहुत से माननीय सदस्यों ने कलकत्ते, मद्रास और हैदराबाद के उदाहरण दिये। मेरा निवेदन है कि ये उदाहरण संगत नहीं है ; क्यों कि राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन में ही कहा गया है कि जहां तक कलकत्ता और मद्रास का संबंध है, इन की बम्बई से तुलना नहीं की जा सकती हैं, क्यों कि इन दोनों नगरों में बहुसंख्यक समुदाय की जनसंख्या लगभग दो-तिहाई है। इस लिये कलकत्ता, मद्रास या हैदराबाद के नगरों को आयोगों या समितियों द्वारा जांच का विषय कभी नहीं बनाया गया है।

बम्बई के मामले में दर आयोग, जवाहर लाल वल्लभ भाई पट्टाभि समिति और राज्य पुनर्गठन आयोग ने यह निश्चित निर्णय दिया है कि यह किसी एक भाषीय राज्य में नहीं मिलाया जाना चाहिये। इस निर्णय की उपेक्षा नहीं की जा सकती है। सब लोग जानते हैं कि इस निर्णय के बाद और सदन में मूल विधेयक के प्रस्तुत किये जाने के बाद, बम्बई में हिंसात्मक घटनायें हुई हैं। यदि इन घटनाओं क बाद सरकार महाराष्ट्रीयों की मांग को स्वीकार कर लें, तो क्या देश की जनता और संसार के अन्य लोग यह नहीं करेंगे कि जो चीज़ तर्क या चर्चा से प्राप्त नहीं हो सकी उससे हिंसात्मक कार्यवाही द्वारा प्राप्त कर लिया गया है? इसी कारण मेरा निवेदन है कि देश में या बाहर ऐसी गलतफ़हमी को फैलने से रोकने के लिये, इस प्रश्न को कुछ समय तक उठा रखना चाहिये, और गृह-मंत्री और प्रधान मंत्री की सलाह को मान लेना चाहिये। पांच वर्ष की अवधि किसी राष्ट्र या देश के जीवन में कोई बड़ी अवधि नहीं है, बल्कि बहुत ही कम है। क्या हमारे महाराष्ट्री मित्र बम्बई को प्राप्त करने के लिये पांच वर्ष तक प्रतीक्षा नहीं कर सकते? क्या उन के लिये इस मामले में जल्द बाजी करना और भावुकता से प्रभावित होना उचित होगा? मैं उत्तर प्रदेश का निवासी हूं। इस लिये इस मामले में कुछ हद तक निष्पक्षता से बात कर सकता हूं। मेरा महाराष्ट्री मित्रों से निवेदन है कि वे इस प्रश्न पर पांच वर्ष तक आंदोलन न करें और बम्बई नगर में रहने वाले अल्पसंख्यकों की सहानुभति प्राप्त करने का प्रयत्न करें। पांच वर्ष के बाद सब लोग सर्व सम्मति से एक संकल्प पारित कर सकते है कि बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाया जाना चाहिये। बम्बई के महाराष्ट्र में मिल जाने से सारे देश को प्रसन्नता होगी।

---

†मूल अंग्रेजी में

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सदस्यों ने राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंड २ से १५ में निम्नलिखित और संशोधन प्रस्तुत करने की इच्छा प्रकट कि है। परन्तु इस शर्त के साथ कि वह अन्य प्रकार से ग्राह्य हो।

खंड संख्या	संशोधन संख्या
३	४५२
५	११६, ४५६
६	२७५
७	२७६, ४५७ (१२ के समान) ३८४ (४३ के समान) ३८५ (१३४ के समान) ३८६ (१३५ के समान) ३८७ (४४ के समान) ४५८, ११७, ४५९, ४६०, ४६१
८	३८८ (४५ के समान) ४३८, २७७, ४३० (४६ के भांति) ४३१ (४७ के समान) २६२, ४३९, ३९२, ३९३ (५० के समान) २२३, ४३२ (३९५ के समान) २, २२४, ४३३, २२५, २६४, ४३४ (३७८ के समान) ४३५ (३७९ के समान)
१३ क (नया)	२९५, ३३५, ३६०
१४	३६१, ३६२, ४३६
१५ क (नया)	४०२ (१५४ के समान) ४०३ (१५५ के समान) २२८

सदस्यों द्वारा निम्नलिखित संशोधन प्रस्तुत किये गये।

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खण्ड ३—हैदराबाद से आंध्र में राज्यक्षेत्र का हस्तान्तरण	
श्री मुहीउद्दीन	४५२
खण्ड ५—केरल राज्य का बनाया जाना	
श्री वें० शिवाराव	११६
श्री शिवमूर्ति स्वामी (कुष्टगी)	४५६
खण्ड ६—लक्षद्वीप मिनिकाय इत्यादि	
श्री र० द० मिश्र	२७५

†मूल अंग्रेजी में

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खण्ड ७—मैसूर राज्य का बनाया जाना	
श्री र० द० मिश्र	२७६
श्री शिवमूर्ति स्वामी	४५७ (श्री क० कु० वसु द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या १२ के समान) ४५८, ४५९, ४६१
श्री भटकर	३८४ से ३८७ (यह श्री शं० शा० मोरे और श्री वें० प० नायर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ३८४ से ३८७ के समान है)
श्री वें० शिवाराव	११७
श्री म० शि० गुरुपादस्वामी	४६०
खण्ड ८—बम्बई	
श्री भटकर	३८८ (श्री शं० शा० मोरे के संशोधन संख्या ४५ के समान)
श्री कृ० गु० देशमुख	४३८, ४३९
श्री र० द० मिश्र	२७७
श्री मो० दि० जोशी (रत्नगिरि-दक्षिण)	४३०, ४३१ (श्री शं० शा० मोरे द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ४६ और ४७ के समान)
श्री बोगावत (अहमदनगर-दक्षिण)	२६२
खण्ड ९—महाराष्ट्र राज्य का बनाया जाना	
श्री भटकर	३९२ ३९३ (श्री शं० शा० मोरे के संशोधन संख्या ५० के समान)
श्री वाघमारे (परभणी)	२२३, २२४, २२५
श्री ह० ग० वैष्णव (अम्बड़)	४३२ (श्री नन्दलाल शर्मा के संशोधन संख्या ३९५ के समान) ४३३, ४३४, ४३५ (श्री तेलकीकर के संशोधन संख्या ३७८ और ३७९ के समान)
श्रीमती जयश्री (बम्बई उपनगर)	२
श्री बोगावत	२६४
नया खण्ड १३ क	
श्री बोगावत	२९५
श्री सु० च० देव (कचार-लूशाई पहाड़ियां)	३३५, ३६०

सदस्य का नाम	संशोधन संख्या
खण्ड १४—संविधान की प्रथम अनुसूची का संशोधन	
सु० चं० देव	३६१, ३६२
श्री मो० दि० जोशी	४३६
नया खण्ड १५ क	
श्री भटकर	४०२, ४०३ (श्री वें० पि० नायर द्वारा प्रस्तुत संशोधन संख्या ४०२ और ४०३ के समान)
श्री वि० घ० देशपांडे (गुना)	२२८

†**डा० जय सूर्य** (मेदक) : मैं यह जानना चहता हूं कि सीमाओं का निर्धारण करने वाला प्राधिकारी कौन होगा। गृह-मंत्री के वक्तव्य से हम ने यह अर्थ निकाला है कि क्षेत्रीय परिषदे यह कार्य करेंगी, किन्तु यदि वे इस कार्य को नही करती हैं तो हम ने एक सीमा आयोग का सुझाव दिया था, किन्तु गृह-मंत्री का कहना है कि वे सीमा आयोग की नियुक्त करने के लिये तैयार नहीं है। इस कार्य को केवल सीमा आयोग ही कर सकता है और इसलिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाना चाहिये। यह बड़ी अजीब बात है कि भविष्य में मदकसिरा जैसी बडी समावृत्त वस्तियां होगीं जो कि पहले कभी नहीं थी। उसे मैसूर राज्य में अवश्य मिलाया जाना चाहिये क्यों कि यह उक्त राज्य चारों ओर से धिरा हुआ है।

इस लिये मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या किया जाना है और अंतिम निर्णय किसे करना है। वसे हुये अल्पसंख्यको की स्थिति को यथा पूर्व बनाये रखना ही हमारा कर्तव्य नहीं है वरन अन्य सभी अल्पसंख्यकों कों स्थान देना हमारा कर्तव्य है। यह एक महान प्रश्न है। और इसकी गंभीरता शरणार्थी समस्या जैसी ही है।

†**पंडित ठाकुरदास भार्गव** (गुड़गांव) : सभी माननीय सदस्यो नें समस्त देश की सभी विवादास्पद मांगों के संबंध में कहा और अपने सुझाव दिये परन्तु माननीय मंत्री ने कहा है कि सीमा आयोग के बारे में जो संशोधन है उसे वह स्वीकार नहीं करेंगे। यदि उसे स्वीकार नहीं किया जाना है, तो मेरे विचार में हमें और अधिक समय नहीं गवाना चाहिये। इस लिये मेरा निवेदन है कि यदि सीमा आयोग संबंधी संशोधन पारित हो जाता है, तो हमें किसी विशिष्ट गांव या तालुक आदि से संबंधित चर्चा को समाप्त कर देनी चाहिये और सभा के समय को बेकार नष्ट नहीं करना चाहिये।

†**उपाध्यक्ष महोदय** : मैं माननीय अध्यक्ष से परामर्श करूंगा और कुछ ही मिनटों में इस मामले का निर्णय कर दिया जायेगा किन्तु इस बीच चर्चा को जारी रखा जाये।

†**श्री म० शि० गुरुपादस्वामी** : यदि प्रत्येक खंड पर पृथक रुप से चर्चा की जाये तो अधिक लाभ होगा।

यदि माननीय सदस्य इस विधेयक के विभिन्न खंडो को पढें तो उन्हें ज्ञात होगा कि पुनर्गठन के बारे में किसीं एक सम सिद्धान्त अथवा सिद्धांतों का अनुसरण नहीं किया गया है। इस प्रकार आप यह देखेंगे कि पुनर्गठन के बारे में सरकार ने किसी एकरूप नीति का अनुसरण नहीं किया है।

सीमा संबंधी विवादास्पद प्रश्नों का उल्लेख किया गया है।

†मूल अंग्रेंजी में

बहुतसे सदस्यों का विचार है कि इस प्रश्न को हल करन क लिये सीमा आयोग एक उचित व्यवस्था है। मैं उन से असहमत नहीं हूं। किन्तु ऐसा प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री के इस अनुरोध को ठुकरा दिया है। मैं गृह-कार्य मंत्री को यह सुझाव देता हूं कि जहां तक विवादस्वरूप क्षेत्रों का संबंध है वहां जनमत संग्रह का तरीका अपनाया जाये। इस से किसी को कोई शिकायत नहीं रहेगी और मैं आशा करता हूं कि इस उचित प्रस्ताव को सभा द्वारा स्वीकार किया जायेगा। यदि इसे स्वीकार नहीं किया जाता तो सीमा आयोग ही सर्वोत्तम हल है। मैं सरकार से इन दोनों सुझाव की सिफारिश करता हूं और निवेदन करता हूं कि वह इन में से किसी एक को स्वीकार कर ले।

क्षेत्रीय परिषदें इस महत्वपूर्ण प्रश्न को हल करने के योग्य नहीं है क्यों कि उस में विभिन्न राज्यों के मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होगा और जब मंत्रियों का प्रतिनिधित्व होता है, तो प्रश्न बहुत हद तक राजनैतिक बन जाता है और यह सामान्य राजनैतिक दलबन्दियों को परे रख कर रही सुलझाई जा सकती है।

मेरे विचार में पंजाब का पुर्नगठन भाषा के आधार पर किया जाना चाहिये और मेरा यह मत है कि जहां तक संभव और व्यवहार्य में हो, अन्य क्षेत्रों का पुर्नगठन भी भूगोल, इतिहास प्रशासनिक सुविधा आदि बातों को ध्यान में रखते हुये भाषा के आधार पर किया जाये।

कुछ सदस्यों ने कहा है कि कर्नाटक के लोग सब से अधिक खुश हैं क्योंकि उन्हें अपना राज्य बिना कठिनाई के मिल गया है। परन्तु कर्नाटक के चारों ओर सीमा संबंधी विवाद और झगड़े हैं। हमारी बहुत सी छोटी छोटी कठिनाइयां हैं जो कि एक बड़ी कठिनाई बन जाती हैं। श्री थामस ने कहा था कि कसारगोड़ ताल्लुक में चन्द्रगिरी के उत्तर के प्रदेश में कन्नड़ भाषी लोग अधिक नहीं हैं। उन्होंने यह भी कहा कि विभिन्न पंचायतों का निर्णय लोकतन्त्रात्मक निर्णय नहीं है क्योंकि इसे निर्वाचन का विषय नहीं बनाया गया परन्तु, राज्य पुनर्गठन के विषय में भी तो सामान्य निर्वाचन का विषय नहीं बनाया गया था। हमें स्थानीय लोगों के प्रतिनिधियों की राय को महत्व देना चाहिये।

फिर तालावाडी फिरके का प्रश्न है। वहा के लगभग ९५ प्रतिशत कन्नड़ भाषा बोलते हैं। इस तथ्य को तामिल लोग भी स्वीकार करते हैं और वहां के लोगों का संबंध मैसूर से है और उन्होने मैसूर संविलय का मत प्रकट किया है। इस का समर्थन करना चाहिये।

माडाकासिरा ताल्लुक के विषेय में मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करता हूं कि वह कर्नाटक राज्य में मिला देना चाहिये। यह सर्वथा कन्नड़ भाषा भाषी प्रदेश है और कन्नड़ भाषी क्षेत्र से घिरा हुआ है।

पंडित च० ना० मालवीय (रायसेन) : अभी डा० जयसूर्य और श्री भार्गव ने जो तजवीज़ की थी, उस के सिलसिले में मैंने कुछ सोंचा और मेरा ख्याल यह है कि क्लाज़ २ से कलाज़ (खंड) १५ तक के बारे में ज्यादा झगड़ा बाउडरीज के सिलसिले में ही है। इन क्लाज़िज़ (खंडो) के ऊपर जो अमेंडमेंटस (संशोधन) आई हैं, उन में बाउडरी (सीमा) वगैरह पर ही ज्यादा जोर दिया गया है। मिसाल के तौर पर क्लाज ११ के ऊपर, जिस के द्वारा मध्य प्रदेश बनाया गया है, यह अमेंडमेंट आई है कि मध्य प्रदेश में से वारासुनी, वालाघाट और बैहर ताल्लुके, सौसर ताल्लुका, मैंसदेही और मुलताई ताल्लुके और बरहानपुर ताल्लुका निकाल कर महाराष्ट्र में मिला दिया जाय। इधर राजस्थान की तरफ से यह मांग हुई है कि सिरौंज का इलाका राजस्थान का है, इस लिये उस को वहां पर ही रखा जाय और मदसौर डिस्ट्रिक्ट (जिला) को भी राजस्थान में मिला दिया जाय। विन्ध्य प्रदेश के एक मेंबर साहब भी बोले थे और उन्होने वही पुरानी बात कही थी कि विन्ध्य प्रदेश को जंसे का तैसा रखा जाय। सब अमेंडमेंट्स इसी किस्म की हैं।

[पंडित च० ना० मालवीय]

इस सिलसिले में मेरा ख्याल यह है कि हम लोग यहां बैठ कर इन इलाकों के बारे में बिल्कुल ठीक फैसला नहीं कर सकते हैं। यहां पर बम्बई की बहुत ज्यादा चर्चा हुई है। इस लिये ज्यादा लोगों ने वहां के मसले को समझ लिया है, लेकिन दूसरे इलाकों को तफ़सीली बातों को समझने में ज्यादातर मेंबर साहबान कासिर (असफल) रहे हैं। इस के मद्दे-नज़र रख़ कर यह अमडमेंट पेश किया गया है कि एक बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) मुकर्रर किया जाय। होम मिनिस्टर साहब की राय यह है कि बाउंडरी कमीशन की तजबीज़ को हम मन्जूर नहीं कर सकते, क्योंकि इस बिल में जोनल कौंसिल (प्रादेशिक परिषद) को यह अख्तियार है कि वह बाद में इन बाउंडरीज़ (सीमाओं) के मुताल्लिक फैसला कर ले। मेरा ख्याल यह है कि बाउंडरी कमीशन को मुकर्रर करने पर भी हम इस समस्या का हल जल्दी तो नहीं निकाल सकेंगे और जैसा कि मेरे एक दोस्त ने कहा था सवाल बाउंडरी कमीशन या किसी और मशीनरी का नहीं है, सवाल उन डिस्प्यट्स (विवादों) का है, जिनकी वजह से मौजूदा टैन्शन (खिचाव) बराबर जारी रहेगा। इस लिये अगर हम टैन्शन को खत्म करना चाहते हैं, तो हमें यह निश्चय करना पड़ेगा कि हम कोई ऐसी मशीनरी (व्यवस्था) कायम रखें, जो इस समस्या पर तब तक विचार करती रहे जब तक कि ज़रूरत रहे लेकिन इसका हल जल्द होना चाहिये। इस के अलावा हम को यह उसूल भी तय करना होगा कि हम जिले को यूनिट मानें या शहर या देहात को और कितने परसेंट (प्रतिशत) पापुलेशन (जनसंख्या) को इस सिलसिले में सामने रखें। मेरा ख्याल यह है कि होम मिनिस्ट्री को खुद एक तजबीज़ लानी चाहिये या इस किस्म की अमेंडमेंट मन्जूर करनी चाहिये कि हम इस उसूल को मानते हैं कि जिन स्टेटस् को हम ने बनाया है, उन के एरिया में अगर सत्तर परसेंट आबादी अगर एक भाषा को बोलने वाली हो या तो शहर एक देहात को यूनिट बना कर न कि ताल्लुक या डिस्ट्रिक्ट को हम को तय करना चाहिये कि उस गांव या शहर को हम किसी पड़ोसी भिन्न भाषा भाषी रियासत में मिला सकते हैं।

मैं चाहता हूं कि यह अमेंडमेंट स्वीकार किया जाये कि शहर या गांव ही इस किस्म का यूनिट हो। इस बात पर अब कोई बहस नहीं की जा सकती कि भाषावार प्रान्त बनें या न बन वे तो बन चुके और बन रहे हैं। सारा जोर उनकी तरफ दिया जा रहा है। यह कहा गया है कि जो भाषावार माइनारिटीज (अल्पसंख्यक) होंगी उनको ज्यादा से ज्यादा संरक्षण दिया जाये और उनको ज्यादा से ज्यादा मजबूत बनाया जाये। असल हकीकत यह है कि अंग्रेज़ी के डोमीनेशन (शासन) के खिलाफ यह भाषा का सवाल पैदा हुआ था और कोशिश यह थी कि अंग्रेज़ी को हटाकर हिन्दुस्तान के लिये एक अपनी भाषा बनायेंगे और साथ ही साथ हिन्दुस्तान के प्रान्तों का विभाजन भाषा के आधार पर करेंगे। इससे एक बड़ी ताकत पैदा हुई जिसका हमनें इस्तेमाल किया। अब कोई वजह नहीं है कि हम डरें कि इसकी वजह से हिन्दुस्तान के लिये खतरा पैदा हो सकता है। सवाल केवल भाषा का ही नही है। लोग अपने आर्थिक हितों के कारण भी आपस में टकराते हैं। एक भाषा बोलने वाले भी भिन्न आर्थिक स्वार्थ रखने के कारण आपस में टकरा जाते है। तो यह टकराव केवल भाषा के आधार पर ही नहीं होता, और कारणों से भी हो सकता है। लेकिन आज लोग अपनी भाषा में बोलना चाहते हैं, अपनी भाषा में अपना एडमिनिस्ट्रेशन (प्रशासन) करना चाहते हैं, विधान सभाओं में अपनी भाषाओं में बोलना चाहते हैं। आज हालत यह है कि कोई आदमी चाहे वह मराठी का या गुजराती का पंडित हो, पर यदि वह अंग्रेजी नहीं जानता तो उसे पढ़ा लिखा नहीं माना जाता। जिस वक्त हमारे प्रान्त भाषा के आधार पर बन जायेंगे उस समय मराठी का पंडित, चाहे वह अंग्रेजी जानता हो या न जानता हो, यह विश्वास कर सकता है कि वह अपने राज्य में ऊंचा पद पर पहुंच सकता है। सवाल केवल प्राइमरी (प्राथमिक) और सैकिंडरी एजूकेशन (माध्यमिक शिक्षा) का ही नहीं है। आज हर एक के लिये यह सवाल सबसे बड़ा है कि वह मुलाजिमतों में किस हद तक पहुंच सकता है, लेजिसलेचर (विधान मंडल) में वह किस हद तक अपने विचारों को अच्छे तरीके से प्रकट कर सकता है। जब ये सारी चीज़े भाषा के आधार पर बन रही है तो आज चाहे कोई कितना भी उपदेश इसके विरुद्ध दे उसका कोई प्रभाव नहीं हो सकता।

हमको माइनारिटीज़ (अल्प संख्यक) रखने का शौक नहीं है। यह सवाल हमारे देश में किसी तरह से पैदा हो गया। अगर हम इसको खत्म कर सकते हैं तो हमको इसे खत्म करना चाहिये।

मेरा सुझाव है कि बजाय जिले के आप शहर या देहात को आधार मानें। लेकिन जो भिन्न भाषा भाषी प्रान्तो के हमारे भाई हैं उससे मैं कहना चाहता कि उनको यह समझना चाहिये कि आज हिन्दुस्तान में यह मुमकिन नहीं है कि किसी राज्य में केवल एक ही भाषा भाषी लोग हों। यह मैं मानता हूं कि मध्य प्रदेश के उस हिस्से को जो कि अगर मराठी भाषी है तो पास के मराठी हिस्से से मिल दिया जाये। जो देहात और इलाके इस तरह से मिलाये जा सकते हैं उनको मिला देना चाहिये। लेकिन फिर भी कुछ अन्य भाषा भाषी हर राज्यों में रहेंगे। अभी हमारे यहां भोपाल में कुछ गुजराती भाइयों ने एक बड़ा फ्लोर मिल (आटे का मिल) खोला है और इस प्रकार उनके कुछ परिवार हमारे यहां रहेंगे। लेकिन जो इस प्रकार के लोग दूसरे राज्यों में रहते हैं उनको यह नहीं सोचना चाहिये कि हम माइनारिटीज के रूप में रह रहे हैं। उनके दिल में इस प्रकार का इनफीरयारिटी कम्पक्स (हीनता ग्रथी) नहीं रहना चाहिये कि हम माइनारिटी वाले हैं। लेकिन यह मांग बिल्कुल दुरुस्त है कि अगर किसी भाषा वाले अपने भाषा भाषी प्रान्त से अलग है और उसमें मिलाये जा सकते हैं तो उनको मिला देना चाहिये। इसलिये मैं चाहता हूं कि मेरा अमेंडमेंट स्वीकार किया जाये या होम मिनिस्टर साहब अपनी तरफ से ऐसा अमेंडमेंट लायें कि शहर या गांव को यूनिट मान कर उसको पास वाले उसी भाषा के इलाके में मिला दिया जाये। मैं चाहता हूं कि इसका फैसला जल्दी किया जाये। कहा जाता है कि जोनल काउंसिल्स (प्रादेशिक परिषद) इसका फैसला कर लेंगी। लेकिन मैं समझता हूं कि अगर हम देश को जल्दी आगे बढ़ाना चाहते हैं तो हमको इसका फैसला अभी कर देना चाहिये। इसको आगे बढाना ठीक नहीं होगा। अगर बाउंडरी कमीशन (सीमा आयोग) को यह काम दिया गया तो उसम भी बहुत समय लग जायेगा। मैं चाहता हूं कि इस बिल में ही ऐसा प्रावीजन कर दिया जाये कि आगामी चुनाव से पहले ही ये जोनल काउंसिल्स बन जायें और उनका सबसे पहला काम इस प्रश्न को हल करना हो। इनमें सब राज्यों के प्रतिनिधि होंगे। उनके पास फैक्टस् (तथ्य) और फिगस (आंकड़े) होंगे। उनको यह काम दिया जाये कि शहर और गांवों को यूनिट मान कर पास वाल उस भाषा के इलाकों में मिला दें। अगर हम ऐसा करेंगे तो हम बहुत झगड़ों को खत्म कर देंग। ऐसा न होने से खामखाह का टेंशन (खिचाव) बढ़ रहा है। अगर यह प्रश्न हल हो जाय लोगो को आगे बढने का मौका मिले।

दूसरी बात मुझे यह कहनी है कि मध्य प्रदेश के सिलसिले में बहुत से अमेंडमेंट्स हैं।

उपाध्यक्ष महोदय : आनरेबल मेंम्बर का वक्त तो एक ही बात में खत्म हो गया। अब वह दूसरी बात शुरू करने लगे हैं।

पंडित च० ना० मालवीय : मैं थोड़े में ही खत्म करता हूं।

इन अमेंडमेंट्स के बारे में मुझ यह कहना है कि इनमें ऐसी कोई चीज़ नहीं है जिस पर कि स्टेट्स रिआर्गनाइजशन कमीशन (राज्य पुनर्गठन आयोग) ने गौर न कर लिया हो। यह मांग की गयी है कि फिर से विन्ध्य प्रदेश को अलग रखा जाये, मध्य भारत को अलग रखा जाय या जो महाकोशल का दूसरा हिस्सा है वह अलग रहे। म इसका विरोध करता हूं। इसमें बस्तर की भी मांग की गयी है। लेकिन यह खुशी की बात है कि हमारे जितने भी महाराष्ट्रीय मित्र हैं उन्होंने बस्तर की मांग नहीं की है। केवल एक, एन० बी० खरे साहब ने ही यह मांग की है। बिहार और उड़ीसा वालों ने भी इस तरह की मांग नहीं की है और इस सिलसिले में स्टेट्स रिआर्गनाइजेशन कमीशन ने अपनी रिपोर्ट के पैरा ४८४ में अच्छी रोशनी डाली है। इसको देखते हुए मैं नहीं मानता कि बस्तर का इलाका मध्य प्रदेश के बाहर जाना चाहिये। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में तो बाउंडरी के सवाल पर कोई झगड़ा पैदा ही होना नहीं चाहिये। जालौन, झांसी या हमीरपुर चाहे इधर रहें या उधर रहें क्योंकि इन दोनों स्टेट्स का मिल कर एक जोन बन गया है। इसलिये कोई ज्यादा मुसीबत की बात नहीं है। इसके अलावा जो कुछ इलाकों की इधर या उधर से मांग की गयी है उसकी अब कोई जरूरत नहीं है। मैंने जो अमेंडमेंट सजेस्ट (सुझाव देना) किया है उसके आधार पर दूसरे अमेंडमेंट का विरोध करता हूं और जो क्लाज़ेज हैं उनका अपने संशोधन सहित समर्थन करता हूं।

†**श्री र० द० मिश्र :** श्रीमान् मेरा एक औचित्य प्रश्न है जो प्रक्रिया नियम संख्या ८५ पर आधारित है। उसमें लिखा हुआ है कि कोई विधेयक, जो सभा में लम्बित किसी अन्य विधेयक पर पूर्णरूपेण या अंशत: निर्भर है, उस विधेयक के पारित हो जाने की पूर्वाशा में जिसपर कि वह निर्भर है, सभा में पुर:स्थापित किया जा सकेगा।

अब यदि यह विधेयक पारित हो जाये और संविधान (नवां संशोधन) विधेयक पारित न हो सके तब क्या स्थिति होगी ? संविधान (नवां संशोधन) विधेयक के उद्देश्य तथा कारणों में यह उल्लेख किया गया ह कि यह विधेयक राज्य पुनर्गठन विधयक को क्रियान्वित करने के लिये ही पारित किया जा रहा ह और वस्तुत: इस विधेयक का पहिले पारित होना आवश्यक है क्योंकि इसके पारित करने के लिये दो तिहाई बहुमत आवश्यक है और यदि यह विधेयक किसी कारण पारित नहीं हो सका तो राज्य पुनर्गठन विधेयक किस प्रकार लागू किया जा सकता है ? इसलिये पहिले संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को पारित कर लेना चाहिये। इस प्रयोजन से मैंने कई संशोधन प्रस्तुत किये थे तथापि उन पर कोई विचार नहीं किया गया।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** जहां तक संशोधनों का प्रश्न है उन पर तब विचार किया जायेगा जब उन्हें सदस्य महोदय प्रस्तुत करेंगे। लेकिन जहां तक एक विधेयक का दूसरे विधेयक पर निर्भरता का संबंध है वे यह बताने में असमर्थ रहे ह कि हम बिना संविधान (नवां संशोधन) विधेयक को पारित किये हुये, इस विधेयक को लागू क्यों नहीं कर सकते हैं ?

†**श्री र० द० मिश्र :** समिति के प्रतिवेदन में हमने कहा है कि हम संविधान को पहली अनुसूची में परिवर्तन कर रहे हैं। संविधान (नवां संशोधन) विधेयक में हमने क्षेत्र रखे हैं, तथा दो वर्ग बनाये हैं जब कि इस विधेयक में हमने ४ वर्ग बनाये हैं। इस प्रकार हमें एक एक ही सत्र में दो बार संविधान में परिवर्तन करना होगा। संविधान के अनुसार संसद् को किसी राज्य की विधान सभायें खत्म कर नयी विधान सभायें बनाने का अधिकार नहीं है। संसद् को उच्च न्यायालयों को बनाने तथा उन्हें खत्म करने का भी कोई अधिकार नहीं है। इस प्रकार संविधान (नवां संशोधन) विधेयक तथा इस विधेयक में कुछ ऐसे उपबंध हैं जो कि एक दूसरे पर निर्भर हैं।

मेरे विचार से हम लोग बिना संविधान में संशोधन किये इस विधेयक को पारित नहीं कर सकते है।

†**श्री शं० शां० मोरे :** अप्रैल के महिने में मैंने यहीं औचित्य प्रश्न उठाया था। सम्पदा शुल्क विधेयक पर निर्णय मेरे ओचित्य प्रश्न पर किया गया था। अध्यक्ष महोदय ने मेरे औचित्य प्रश्न को कुछ अंशो में स्वीकार किया था और यह निर्णय किया था कि संविधान (संशोधन) विधेयक की वह विशेष अनुसूची विधेयक में शामिल कर दी जाय। उसी निर्णय के अनुसार गृह मंत्री ने इस आशय का एक प्रस्ताव रखा था कि उक्त अनुसूची विधेयक में जोड़ दी जाय। खंड १४ को देखने से ज्ञात होगा कि अध्यक्ष महोदय के निर्णयनुसार ही कार्य किया गया है तथापि संयुक्त समिति ने जो कुछ भी किया है मैं उससे सहमत नहीं हूं और इससे भी व्यापक औचित्य प्रश्न उठाय जा सकता है।

इस संबंध में हम कुछ बुनियादि प्रक्रिया संबंधी मामलों से संबंधित हैं। खंड १४ को देखने से ज्ञात होगा कि संविधान में जोड़ी जाने वाली अनुसूची में यह निर्देश किया गया है कि राज्य, राज्य पुनर्गठन अधिनियम १९५६ के अनुसार होगा। विधेयक में उसी विधेयक को अधिनियम लिखना बड़ी विचित्र बात है ! यदि यह खंड पारित हो जाय, और संविधान में यह अनुसूची शामिल कर ली जाय तो संविधान में एक ऐसी अनुसूची होगी जिसमें एक साधारण विधान का जिक्र होगा। मैने कई देशों के संविधान पढ़े हैं लेकिन किसी भी संविधान में किसी ऐसे साधारण विधान का जिक्र नहीं है। इसलिये मरा निवेदन है कि आप इस समय अपना निर्णय स्थगित कर दें और इस समय खंडों तथा संशोधनों पर चर्चा जारी रखें। मैं यह अवश्य चाहता हूं कि विलम्ब न हो तथापि मैं चाहता हूं कि प्रक्रिया सही हो। तब तक आप अपना निर्णय स्थगित कर सकते है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैं इस औचित्य प्रश्न का उत्तर देने को तैयार था, लेकिन मेरे मित्र श्री शं० शां० मोरे ने मुझे यह सुझाव दिया है कि मैं अपना निर्णय स्थगित रखूं, क्योंकि उन्हें अन्य बुनियादी आपत्तियां भी करनी है। इसलिये मैं इस औचित्य प्रश्न पर अपना निर्णय स्थगित करता हूं। चर्चा जारी रह सकती है। हम इस औचित्य प्रश्न पर बाद में विचार कर के इसका निर्णय करेंगे।

†**श्री र० द० मिश्र :** मेरा दूसरा औचित्य प्रश्न यह है कि संयुक्त समिति ने इस विधेयक के सिद्धांतो का अतिक्रमण किया ह। मूल विधेयक का उद्देश्य था कि वर्तमान विभेद दूर कर दिया जाय। राजप्रमुखों को हटा दिया जाय। लेकिन संयुक्त समिति ने नई बातें रख दी हैं यथा अब भाग क, ख, ग, घ, चार प्रकार के राज्य होंगे। हाउस आफ कामन्स में यदि कोई विधेयक संयुक्त समिति से नये रुप में आता है तो मंत्री पहिला विधेयक वापस ले लेता है और दूसरे विधेयक को पुरःस्थापित करता है। लेकिन लोक सभा में इस प्रकार का कोई पूर्व दृष्टांत नहीं है। अथवा मैं उसे उद्धृत करता। आप इस संबंध में जो चाहें निर्णय कर सकते हैं।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** सामान्यतः एक विधेयक के कई उद्देश्य तथा कारण होते हैं। राज्यों के वर्गीकरण को दूर करना इस विधेयक का मुख्य लक्ष्य नहीं था। इसलिये यदि राज्यों के वर्गीकरण को नहीं हटाया गया है तो इसका यह तात्पर्य नहीं है कि विधेयक का उद्देश्य पूरा नहीं होता। इस प्रकार सदस्य महोदय का औचित्य प्रश्न ठीक नहीं है। संयुक्त समिति ने बिल्कुल ठीक कार्य किया है।

†**प्रतिरक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) :** मेरे विचार से आपका निर्णय भविष्य के लिये पूर्व दृष्टांत नहीं बनेगा। मैं अभी तक नहीं समझ सका कि क्या विधेयक में कोई बात विशेष रुप से उल्लिखित है और क्या उसमें—चाहे वह छोटी बात हो अथवा बड़ी—संयुक्त समिति द्वारा परिवर्तन किया गया है। इस संबंध में आपका क्या निर्णय है और भविष्य में किस पूर्व दृष्टांत का अनुसरण किया जायेगा ?

†**उपाध्यक्ष महोदय :** मैंने दिये गये तथ्यों के आधार पर अपना निर्णय दिया है। भविष्य में ऐसा अवसर आने पर उस मामले के गु ावगुणों क आधार पर निर्णय किया जा सकता है।

†**श्री ह० ग० वैष्णव :** अब मैं अपने संशोधन संख्या ३६४ और ३६५, जो कि खंड १५ क के संबंध में हैं को लेता हूं। मैने यह अनुरोध किया है कि राज्य पुनर्गठन विधेयक के लागू करने के पश्चात् एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाय जो कि विभिन्न राज्यों के सीमा संबंधी विवादों का निपटारा करे। क्योंकि इस समय कोई ऐसा राज्य नहीं है जहां सीमा संबंधी विवाद न हों। खंड ३ से १५ के संबंध में जितने भी संशोधन दिये गये हैं, वे सब सीमा संबंधी हैं। यहां के किसी भी सदस्य को यथार्थ स्थिति का पता नहीं है। क्योंकि सब सदस्य अपनी अपनी बात कहते हैं। अतः मेरे विचार से एक सीमा आयोग की नियुक्ति कर सरकार तथा जनता की समस्याओं का निपटारा करना सर्वोत्तम है। यह मेरे संशोधन संख्या ३६४ और ३६५ का उद्देश्य है। अब, हैदराबाद जहां का मैं प्रतिनिधित्व करता हूं को लेता हूं। हैदराबाद के खंड खंड हो जाने के कारण मराठवाड़ा, आंध्र, मध्य प्रदेश इत्यादि के बीच सीमा संबंधी विवाद उठ खड़े हुये हैं, हमें यह सलाह दी गई है कि संसद् सदस्यों को पारस्परिक वार्त्ता इत्यादि के द्वारा इसका निर्णय करना चाहिये लेकिन यह असंभव है क्योंकि जिस पक्ष या दल को पुनर्गठन विधेयक से लाभ हुआ है वह दूसरे पक्ष की बात से सहमत नहीं होता है फलतः निर्णय नहीं हो पाता है।

अब मैं अपने जिले बीदर को लेता हूं। इस जिले में मराठी, तेलगू, और कन्नड़ तीनों भाषाएं बोलने वाले लोग रहते हैं। राज्य पुनर्गठन आयोग के अनुसार यह पूरा जिला आंध्र में जाने वाला था लेकिन बाद में महाराष्ट्र राज्य बनने के कारण यह निश्यच किया गया कि जिले के तीन भाग कर दिये जायें और कुछ भाग आंध्र, कुछ कर्नाटक और कुछ महाराष्ट्र में मिला दिया जाय। महाराष्ट्र को तीन तालुक दिये गये ह। अब अवशेष तीन तालुको के संबंध में विवाद उठ खड़ा हुआ है क्योंकि भलकी तालुक के मलकी और हलसर मंडल, संतपुर तालुक के तोरना और औरद मंडल, और हमानाबाद

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री ह० ग० वैष्णव]

तालुक के लादबंती मंडल के बहुसंख्यक निवासी मराठी भाषा भाषी हैं, यह संख्या ५५ से ६० प्रतिशत तक है लेकिन ये भाग मैसूर में चले गये हैं। इस समस्या को तब तक सही नहीं समझा जा सकता जब तक कि हम सीमा आयोग न बनायें।

इसके अलावा वारसिओनी, बालघाट, वैहर, सौनसार, मेंसघेई और मुलताई तालुक जिनकी जनसंख्या ४ १/२ लाख है, और जहां के बहुसंख्यक निवासी मराठी बोलते हैं, मध्यप्रदेश को दे दिये गये हैं मेरे विचार से स्वयं मध्य प्रदेश की जनता को इस भाग को मध्य प्रदेश में मिलाने पर कोई आपत्ति नहीं होगी। इन सब बातों का निश्चय केवल सीमा आयोग के द्वारा ही हो सकता है, जो कि भाषा समानता इत्यादि सभी बातों पर गौर कर निर्णय कर सकता है। आंध्र और महाराष्ट्र के बीच भी ऐसा ही विवाद उठ खड़ा हुआ है। आदिलबाद जिले के बहुसंख्यक लोग मराठी बोलते है। स्वयं हैदराबाद की सरकार को उसे महाराष्ट्र को सौंपने में कोई आपत्ति नहीं होगी तथापि केन्द्रीय सरकार की अनुमति के बिना ऐसा नहीं किया जा सकता है। इसलिये भी सीमा आयोग होना आवश्यक है।

मैं बम्बई के संबंध में कुछ अधिक नहीं कहना चाहता हूं। अभी तक हुए भाषाओं से यह दिखाई देता है कि सरकार पांच वर्ष पश्चात बम्बई को महाराष्ट्र में शामिल कर लेगी, तथापि मेरा निवेदन है कि यदि तेलंगना पांच वर्ष तक आंध्र से पृथक रहता तो क्या होता ? इस संबंध में यह कहा गया कि इससे केवल असंतोष और तनाव बढ़ेगा। इसलिये उसे तत्काल आंध्र में मिला दिया गया। क्या यही बातें बम्बई के संबंध में लागू नहीं होती हैं। अतः मेरा निवेदन है कि एक निश्चित अवधि यथा दो वर्ष नियत की जाय जिसके अन्तर बम्बई के संबंध में स्पष्ट निर्णय किया जाय और बम्बई को निर्विवाद महाराष्ट्र में मिला दिया जाय, जिससे आगे और किसी प्रकार की उत्तेजना न हो। इस संबंध में मैंने संशोधन संख्या ३८९ और ३९१ प्रस्तुत किये है।

सीमा संबंधी झगड़ों के संबंध में मैंने संशोधन संख्या ३५७, ४३३, ३६४ और ३६५ प्रस्तुत किये हैं, उनकी न्यायोचित मांग को दृष्टि में रखते हुए उन्हें स्वीकार कर लिया जाय।

†**श्री रा० श्री० दीवान :** श्री रघुवीर सहाय ने आज बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के पक्ष में एक अन्तर्राष्ट्रीय तर्क दिया ह। प्रधान मंत्री ने कुछ महीनों पूर्व अपने एक वक्तव्य में कहा था कि कुछ विदेशी पूंजीपति लोग हमारे राष्ट्र के अंदर ही राष्ट्र बिरोधी प्रचार कर रहे हैं। यदि हम बम्बई को शंघाई या सिंगापुर नहीं बनाना चाहते हैं तो उसे महाराष्ट्र में शामिल कर दिया जाय। मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि मराठी भाषा भाषी मंडलों को महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया गया है। वस्तुतः जब तक आप सीमा संबंधी मामलों के निपटारे के लिये कुछ सिद्धान्त नियत न करें तब तक इनका निपटारा होना कठिन होगा। राज्य पुनर्गठन आयोग ने कहा है कि जिले को इकाई मानना चाहिये और किसी भाषावादी प्रदश में शामिल होने के लिये ७० प्रतिशत जन संख्या को उस विशेष राज्य की भाषा को बोलना चाहिये ; लेकिन उन्होंने स्वयं ही इन सिद्धांतो का पालन नहीं किया है। उदाहरणार्थ बीदर जिले ११ लाख की जन संख्या से ५·५ लाख मराठी बोलने वाले हैं तथापि उसे तेलंगाना में शामिल किया गया था। इसलिये मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि इसके लिये कोई स्पष्ट सिद्धांत होना चाहिये।

इसके अलावा भलकी तालुक के भलकी और हलसर मंडल, संतपुर तालुक के औरद और तोरना और हमनाबाद तालुक के लादवंती मंडल के बहुसंख्यक लोग मराठी भाषा भाषी हैं और उनकी भौगोलिक एकता भी उसमानाबाद जिले के साथ है अतः इसे महाराष्ट्र में मिला दिया जाय।

आदिलबाद जिले के उतनूर तालुक में आदिवासियों की संख्या २११०४ है। इनकी संस्कृति, भाषा, व्यवहार इत्यादि में मराठी का बहुत प्रभाव है। उनकी प्रारम्भिक शिक्षा भी मराठी में होती है अतः इसे महाराष्ट्र में शामिल किया जाय।

---

†मूल अंग्रेजी में।

फिर वोयेथ ताल्लुक का इस्तापुर और आसफाबाद का अदा तथा वाकादी को महाराष्ट्र में मिला दिया जाय क्योंकि वहां पर मराठी भाषी व्यक्तियों की बहुसंख्या है। इसी प्रकार से सिंहपुर सर्कल को भी महाराष्ट्र में मिला दिया जाये। सांसार, वरहनपुर, भैंसडेही, वारासयोनी, बालाघाट और बेहार ताल्लुकों को भी महाराष्ट्र मे मिला दिया जाये।

†**श्रीमती मायदेव :** इन खंडो के संबंध में मैंने बहुत से संशोधन प्रस्तुत किये हैं जिनमें से एक में मैंने यह प्रस्ताव किया है कि बेलगांव जिले के पांच ताल्लुक तथा उत्तरी कनारा जिले के तीन ताल्लुक मराठी भाषी क्षेत्र में मिला दिये जायें।

राज्य पुनर्गठन आयोग ने भी अपने प्रतिवेदन में भाषा को ही प्रमुख आधार मानते हुये यह सिफारिश की है कि एक जैसी भाषा बोलने वाले क्षेत्रों को जब तक एक दूसरे के साथ सम्मिलित किया जायेगा, तब तक वे क्षेत्र उन्नति न कर सकेंगे। परन्तु दुःख की बात है कि इन क्षेत्रों को मराठी भाषा क्षेत्र में न मिला कर कर्नाटक में मिला देने की सिफारिश की गयी है। वहां की जनता ने बार बार यह शिकायत की है कि उनके साथ अन्याय किया जा रहा है। परन्तु खेद है कि उनकी प्रार्थना को ठुकरा दिया गया है। बेहलारी के संबंध में आयोग ने पहले यह सिफारिश की थी कि उसे आंध्र में मिला दिया जाये, परन्तु अब फिर से वह क्षेत्र आंध्र में मिला कर मैसूर में मिलाया जा रहा है। क्या बेलगांव और कारवार के संबंध में भी वही सिद्धांत नहीं अपनाया जा सकता ?

कुछेक सदस्यों का यह कहना है कि उन क्षेत्रों में मराठी भाषी व्यक्तियों की बहुत अधिक बहुसंख्या नहीं है। परन्तु रिकार्डों से हम देख सकते हैं कि खानपुर में मराठी भाषी व्यक्ति ७६·९ प्रतिशत हैं जब कि कन्नड़ भाषी व्यक्ति केवल ११·९ प्रतिशत हैं। उसी प्रकार से करवार, सूपा तथा हलीयाल में भी मराठी भाषी व्यक्तियों की संख्या ७१ प्रतिशत है और कन्नड़ भाषी व्यक्तियों की संख्या १७·६ प्रतिशत है।

चंकी शुल्कों के आंकड़े भी बताते हैं कि बेलगांव में कपास तथा तिलहनों की उपज मुख्य उपज नहीं है, वहां की मुख्य उपज धान है, और जब कभी आस पास के क्षेत्रों में धान की कमी हो जाती है तो उस समय उन क्षेत्रो की वहीं से धान भेजा जाता है।

एक सदस्य महोदय ने यह कहा है कि बम्बई में कर्नाटक के तीन लाख व्यक्ति रहते हैं और उन्होंने सामूहिक रूप से यह मत दिया है कि बम्बई को महाराष्ट्र में न मिलाया जाये। इसका वास्तविक कारण यह है कि जब ये पांच ताल्लुक कर्नाटक को दे दिये गये तो कर्नाटक वालों ने दूसरे दल से मिल कर यह मत दे दिया कि बम्बई को महाराष्ट्र से बाहर रखा जाये।

फिर एक और सदस्य ने यह कहा है कि बेलगांव में कन्नड़ भाषी व्यक्तियों की बहुसंख्या है। परन्तु प्राप्त समचारों से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बेलगांव जिले के मराठी भाषी व्यक्तियों ने सैंकड़ों सभाओं में यही मांग की है कि उस जिले को महराष्ट्र में मिलाया जाये।

और फिर उन क्षेत्रों में ग्राम-पंचायतों में जो निर्वाचन हुये हैं उनमें भी शत प्रतिशत मराठी भाषी व्यक्ति ही निर्वाचत हुये हैं। अतः यदि इस क्षेत्र को महाराष्ट्र से अलग किया गया तब तो हमारे साथ बड़ा भारी अन्याय होगा। यदि इसे कर्नाटक में मिला दिया गया तो वहां का प्रशासन बड़ा कठिन होगा। इसलिये इसे महाराष्ट्र में ही मिलाना उचित होगा।

यह सुझाव दिया गया है कि एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये। इस बारे में मेरी यही प्रार्थना है कि वह आयोग, सीमा निर्धारित करते समय गांव को ही एक इकाई माने।

अपने दूसरे संशोधन के अनुसार मैंने यह सुझाव दिया है कि खंड ८ में उल्लिखित क्षेत्रों को खंड ९ में मिला दिया जाये। राज्य पुनर्गठन आयोग ने स्वयं यह स्वीकार किया है कि राज्यों के पुनर्गठनमें भाषा को ही मुख्य आधार बनाया जाये। उसके आधार पर सभी कन्नड़ भाषियों को तो इकट्ठा कर दिया

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्रीमती मायदेव]

गया है परन्तु मराठी भाषियों के साथ भारी अन्याय किया गया है। कुल ३ करोड़ और ५० लाख मराठी लोगों में से उन्होंने केवल ७६ लाख लोगों का एक छोटा सा राज्य बनाया है, और महाराष्ट्रियों के बीचमेंही पारस्परिक भेद भाव उत्पन्न करने का प्रयत्न किया गया है। और फिर कर्नाटक के साथ मिलते हुए क्षेत्रों के ६ लाख मराठी भाषी व्यक्तियों को हमसे अलग करके कर्नाटक में मिला दिया गया है। मैं चाहती हूं कि मराठी भाषा भाषी लोगों को अलग अलग न किया जाये।

मैं समझ नहीं सकी कि सरकार बम्बई को महाराष्ट्र में मिला देने में इतना संकोच क्यों कर रही है है। ऐसा प्रतीत होता है कि सरकार पर कोई ऐसा जादू सा छा गया है कि वह जान बूझ कर यह घोर अन्याय देख रही है।

गृह-कार्य मंत्री ने स्वयं ही तेलंगाना की स्थिति के समान ही बम्बई की स्थिति को बताया है। परन्तु अब जब की तेलंगना आंध्र में मिला दिया गया है, बम्बई को भी महाराष्ट्र में मिला दिया जाना चाहिये। जहां तक आशंका का संबंध है, यह तो दोनों ओर से प्रकट की जा सकती है। यदि बम्बई को महाराष्ट्र से पांच वर्षों के लिये अलग कर दिया गया तो हमें इस बात की आशंका है कि बाद में हम कुछ भी प्राप्त न कर सकेंगे। हम गुजरात के लोगों को आश्वासन देने के लिये तैयार हैं कि उनके हितों का हम सदैव ध्यान रखेंगे, और इस बात का केन्द्रीय सरकार भी पूरा पूरा ध्यान रखेगी। इसलिये मैं चाहती हूं कि सरकार गुजरातियों को समझाये कि वे हमसे समझौता कर लें और बम्बई को महाराष्ट्र में मिलने दें।

†**श्रीमती जयश्री :** मैंने खंड ९ के संबंध में संशोधन संख्या २ तथा खंड १० के संबंध में संशोधन संख्या ४४४ और ४४५ प्रस्तुत किये हैं जिनमें मैंने यह प्रस्ताव किया है कि राज्यों को भाषा के आधार पर विभाजित करते समय जिलों तथा ताल्लुकों की कांट छांट न की जाये।

मूल प्रतिवेदन में आयोग ने बम्बई को द्विभाषी राज्य बनाने की सिफारिश की थी, इसलिये उस समय जिलों और ताल्लुकों के बारे में कोई भी आशंका न थी, परन्तु अब क्योंकि बम्बई को तीन भागों में विभाजित किया जा रहा है, हमें उन जिलों और ताल्लुकों का पूरा ध्यान रखना है। उनका निर्णय करते समय उनकी भाषाओं का पूरा पूरा ध्यान रखा जाये।

उदाहरणार्थ जहां तक डांग भीलों का संबंध है उनके साथ बड़ा अन्याय किया गया है। उनकी स्थिति पर सहानुभूतिपूर्ण दृष्टि से विचार नही किया गया है।

बम्बई के भूतपूर्व मुख्यमंत्री श्री खेर ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया था कि डांग भीलों की भाषा डांगी है। भाषा विशारद सर जार्ज ग्रीयर्सन ने अपनी प्रस्तक "दी लिंगविस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया" में यह स्पष्टतया लिखा है कि गुजरातियों के संपर्क में आने से भीलों की भाषा पर गुजरातियों का बड़ा भारी प्रभाव पड़ा है। अतः भीलों की भाषा गुजराती भाषा का ही एक रूप है। इसलिये मेरा प्रस्ताव है कि उस क्षेत्र को गुजरात में मिला दिया जाये।

इस संबंध में मेरा दूसरा तर्क यह है कि डांगे लोगों का प्रशासन सूरत जिले के द्वारा चलता है, उनका व्यापार भी सूरत जिले में चलता है। उनकी ग्राम पंचायतों ने भी बहुमत से यह मत दिया है कि उस क्षेत्र को गुजरात में मिला दिया जाये। इससे स्पष्टतया सिद्ध होता है कि वहां के लोग गुजरात में मिलना चाहते हैं न कि महाराष्ट्र में।

जहां तक उमेर गांव का संबंध है, उसके बारे में तो मध्य प्रदेश कांग्रेस समिति के प्रतिनिधि मंडल ने भी यह स्वीकार कर लिया था कि उसे गुजरात में मिला दिया जाये। वहां पर गुजराती भाषी व्यक्तियों की बहु संख्या है। सन १९४२ की जन गणना के अनुसार गुजरातियों की संख्या ५२ प्रतिशत है, परन्तु वास्तव में तो गुजरातियों की संख्या उससे भी अधिक थी, क्योंकि गण संख्या निष्पक्ष दृष्टि से नहीं की गयी थी। १९३१ में जो व्यक्ति आदिवासी माने गये थे, बाद में उन्हीं को

---

†मूल अंग्रेजी में।

मराठी भाषी मान लिया गया है। वहां पर आज भी बहुत से गुजराती स्कूल तथा गुजराती भाषी बच्चे हैं। इसलिये अन्य सदस्यों के समान मैं भी यही प्रार्थना करती हूं कि सीमा संबंधी झगड़ों को निपटाने के लिये एक सीमा आयोग नियुक्त किया जाये।

†**श्री आल्तेकर** : मैं श्री रघुवीर सहाय के इस उपदेश को मानने के लिये तैयार नहीं कि हमें संतोष पूर्वक किसी बात की प्रतीक्षा करनी चाहिये। हम तो स्वर्गीय लोकमान्य तिलक के इस सन्देश में विश्वास रखते हैं कि हमें अपने अधिकार को प्राप्त करने के लिये प्रयत्न करने में कभी संकोच नही करना चाहिये।

बम्बई के संबंध में मेरा यह कथन है कि यदि बम्बई पर हमारा न्यायोचित दावा है तो वह हमें निःसंकोच दे दिया जाये, और यदि हमारा दावा न्यायोचित नहीं है तो हमें मत दीजिये। हम कोई दान नहीं मांग रहे हैं। बम्बई पर हमारा अधिकार है। इसलिये मेरी प्रार्थना है कि हमारी मांग निःसंकोच स्वीकार कर ली जाय।

जैसे रामेश्वरम् मद्रास का एक भाग है, चाद वेट गुजरात का एक भाग है, उसी प्रकार से बम्बई भी महाराष्ट्र का ही एक भाग है। और फिर बम्बई को सारा पेय पानी महाराष्ट्र से ही जाता है। बम्बई के पास और कोई नदी नहीं है, महाराष्ट्र ही उसे जल प्रदान करके उसका पालन पोषण करता है। इसलिये इन दोनों का संबंध तोड़ने की कोई आवश्यकता नहीं। बम्बई को महाराष्ट्र में ही मिला देना सर्वोत्तम उपाय है।

श्री एस० के० पाटिल का यह कहना है कि श्री एन० सी० केलकर ने ही यह सुझाव दिया था कि बम्बई के लिये एक अलग प्रदेश कांग्रेस समिति बनायी जाये, परन्तु उन्होंने तो इतना भी कहा था कि मराठा भाषी क्षेत्र को दो भागों में बांट दिया जाय——बरार क्षेत्र तथा नागपुर क्षेत्र। हम उन बातों को मानने के लिये तैयार नहीं। इसलिये मेरा यही निवेदन है कि राज्यों का पुनर्गठन करते समय हमें जन संख्या, भूमि क्षेत्र तथा संसाधन आदि इन सभी बातों को ध्यान में रखा जाये।

श्री एस० के० पाटिल के इस सुझाव से मै सहमत नहीं हूं कि इस बारे में बम्बई के लोगों की मत गणना की जाय। मत गणना का प्रश्न तो वहां पैदा ही नहीं होता। हम बम्बई को कोई अलग राज्य तो बना नही रहे, और न ही इसमें कोई सीमा संबंधी झगड़ा है। इसलिये बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने के रास्ते में किसी प्रकार की कोई भी बाधा नहीं है।

सीमा संबंधी झगड़ों को भी हमें भाषा के आधार पर ही निपटाना चाहिये। नहीं तो कई क्षेत्रों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। भाषा को आधार माने विना तो महाराष्ट्र के कई क्षेत्र कर्नाटक में मिल जायेंगे और उन्हें कड़े कष्ट सहने पड़ेंगे। इसलिये आप राज्यों का पुनर्गठन करते समय इस बात को ध्यान में रखें कि कोई भी भाषायी बहुसंख्यक क्षेत्र भाषायी अल्पसंख्यक न बन जाये।

सीमा संबंधी झगड़ों को निपटाने के लिये यह सुझाव दिया गया है कि विभिन्न राज्यों के प्रतिनिधि आपस में ही मिल कर समझोता कर लें। परन्तु मैंने देखा है कि उस तरह से कोई समझौता नहीं हो सकता। हमने कर्नाटक के प्रतिनिधियों से समझौता करने का बड़ा प्रयत्न किया है, परन्तु कुछ भी लाभ न हुआ। इसलिये मेरे विचार अनुसार वर्तमान परिस्थितियों मे सीमा आयोग ही सर्वोत्तम उपाय है।

जहां तक महाराष्ट्र की सीमा संबंधी क्षेत्रों का संबंध है, मैं चाहता हूं कि उन सभी क्षेत्रों को महाराष्ट्र में ही मिला दिया जाय। जहां तक कनारा जिले का संबंध है वह तो मराठी भाषी क्षेत्र है। वहां के लोग कोनकानी बोली बोलते है जो कि मराठी भाषा का ही एक रूप है। सर विट्ठल चन्दवरकर ने भी एक ज्ञापन में यह कहा था कि कोनकानी मराठी भाषा का ही एक रूप है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री आल्तेकर]

इसके अतिरिक्त भारत सरकार द्वारा प्रकाशित "इंडिया १९५६" में भारत के भाषा वार मानचित्र में यह दिखाया गया है कि कोनकानी मराठी भाषा का ही एक रूप है। अतः स्पष्ट है कि करवार जिला मराठी भाषी है, इसलिये उसे महाराष्ट्र में मिला दिया जाये।

श्री पाटिल का यह तर्क है कि ये क्षेत्र ब्रिटिश काल में भी महाराष्ट्र में नहीं थे। वास्तव में उसका कारण यह है कि ब्रिटिश काल में १८४८ में जब सर लशकर का निःसंतान देहान्त हुआ था तो उस समय उसके आसपास कोई भी मराठी भाषी क्षेत्र न था जिसमें उन्हें मिला दिया जाता इसलिये इसमें नेपानी के लोगों का कोई दोष नही है।

मेरे कर्नाटक के मित्रों ने कहा था कि बेलगांव के पास हिन्दलगा में एक जेल है। यदि कोई ऐसी कठिनाई है तो हम उनके कर्नाटक भाग के लिये एक जेल बना देंगे।

†**उपाध्यक्ष महोदय :** अभी माननीय सदस्य को ऐसे बचन नहीं देने चाहिये।

†**श्री आल्तेकर :** बेलारी के संबंध में न्यायाधीश मिश्र ने कहा था कि जब कि हम अधिकतकर भाषा के आधार पर राज्यों का पुनर्गठन कर रहे हैं, तो लोगों को इसके परिणाम स्वरूप होने वाले लाभ व हानि दोनों को सहन करना पड़ेगा। आंध्र के लोगों ने शिकायत की थी कि उनके रायल-सीमा संबंधी मुख्यालय और सेन्ट्रल जेल बेलारी में है। अतः वे चाहते थे कि बेलारी आंध्र में रहे। परन्तु यह बात स्वीकार नहीं की गई तथा वह नगर एक भाषा वालों की बहुसंख्या होने के कारण कर्नाटक को दे दिया गया। जब कि बेलगांव में ५३ प्रतिशत मराठी लोग हैं तो, क्या यह महाराष्ट्र में नहीं मिलाया जाना चाहिये ? इसके अतिरिक्त मेरी बहिन ने अंग के बारे में विचार प्रकट किये थे। बम्बई के भूतपूर्व और वर्तमान मुख्य मंत्री श्री बी० जी० खेर और श्री मोरारजी देसाई वहां गये। एक ने गुजराती में और दूसरे ने मराठी में भाषाण दिये तथा बाद में श्री मोरारजी ने कहा कि वहां मराठी भाषा समझी जाती है और वह मराठी क्षेत्र है। यदि मेरी बहिन ऐसी बातों के निबटारे के लिये सीमा आयोग चाहती हैं तो मैं तैयार हूं। मराठी भाषी क्षेत्र के उचित राज्य में मिलने पर हमें कोई आपत्ति नहीं है। हम चाहते हैं कि ये ही सिद्धान्त प्रत्येक स्थान पर लागू किये जायें।

श्री वाघमारे : इस अवसर पर आपने बोलने के लिये मुझे जो समय दिया है, उस के लिये मैं आप को धन्यवाद देता हूं। जिस इलाके से मै आता हूं, उस की कुछ हालत आप के सामने रखना चाहता हूं। मैं हैदराबाद के मराठी-भाषी इलाके से आता हूं, जिस के पांच जिले महाराष्ट्र में मिला दिये गये हैं। इस के अलावा बीदर जिले के तीन ताल्लुके भी महाराष्ट्र में मिला दिये गये हैं। फिर भी वहां के तीन ताल्लुकों के पांच रेवेन्यू सर्कल्ज [राजस्व सर्कल] को महाराष्ट्र में शामिल नहीं किया गया है, हालांकि वहा के अधिकतर लोग मराठीभाषी हैं। वे सर्कल्ज हैं—भालकी ताल्लुके के भालकी, हुलसूर सर्कल, हुमनाबाद ताल्लुके को लाड़वन्ती सर्कल, सन्तपुर के औराद और तोरना सर्कल। ये सर्कल ऐसे हैं, जिन में मराठी बोलने वाले लोग ज्यादा रहते हैं बनिस्वत कर्नाटक भाषा बोलने वालों के। लेकिन यह बिल ड्राफ्ट करते समय उन मराठी बोलने वालों का कोई ख्याल न करते हुए उन्हें कर्नाटक में मिला दिया गया। मैं इस सदन से अपील करूंगा कि ये इलाके महाराष्ट्र में मिला दिये जायें, वर्ना उन लोगों की कोई तरक्की न होगी। यहां पर चारों ओर से कहा जाता है कि स्टेट्स को इस तरीके से तक्सीम करना चाहिए कि उनकी प्रगति हो और भाषा के विषय में सबको सुविधा हो। मेरी समझ में नहीं आता कि यह सिद्धान्त सामने रहने पर भी उन इलाकों को उस प्रदेश के साथ क्यों नहीं मिलाया जाता, जिनकी मातृभाषा एक है। इस अवस्था में मैं तो यही कहूंगा कि मुंह में राम नाम और बगल में छुरी। प्रिंसिपल [सिद्धांत] तो आप यहां पर बड़े बड़े दोहराते हैं, लेकिन उन पर अमल बिल्कुल नहीं करते।

---

†मूल अंग्रेजी में।

यही अवस्था बेलगाम जिले की है। मैं वहां के संबंध में कुछ आंकड़े आप के सामने रखना चाहता हूं। चंदगढ़ ताल्लुक तो महाराष्ट्र में मिला दिया गया है। खानपुर ताल्लुके में मराठी बोलने वाले लोग ७६·९ पर सेंट, बेलगाम ताल्लुके में ५९·९ पर सेंट और चिकोड़ी ताल्लुके में ७४·६ पर सेंट हैं।

इसी तरह से हुकेरी ताल्लुके में ६९ ९ और अथनी में ६५·९ पर सेंट हैं। फिर भी यह ताल्लुके कर्नाटक को दिये गये हैं। हालांकि उनमें कन्नड़ भाषा बोलने वाली जनता बहुत ही कम है। इसी तरह कारवार जिले के कारवार ताल्लुके में ७८·१, सूफा ताल्लुके में ८४·३, और हलयाल ताल्लुके में ५६·२ पर सेंट [प्रतिशत] मराठी बोलने वालों की जन संख्या है। अगर दोनों जिलों की जुमला तौर पर देखा जाये तो ७१·३ परसेंटेज मराठी बोलने वालों की जन संख्या होती है। यदि यातायात और व्यापारी व्यवसाय की दृष्टि से भी देखा जाय तो रत्नागिरी, दक्षिण सातारा और कोल्हापुर जिलों से यह इलाका मिला हुआ है। मैं नहीं समझता कि इतना होने पर भी इस इलाके को क्यों मैसूर में मिलाया जा रहा है। बेलगांव स्थानिक के चन्द सदस्यों को छोड़ कर हम सब कर्नाटकी सदस्य यह चाहते हैं कि यह मराठी बोलने वाला इलाका महाराष्ट्र में मिला दिया जाये, ऐसा कल मेरे कर्नाटकी मंत्री श्रीमान् शिवमूर्ति स्वामी ने कहा। इसके लिये मैं उनको धन्यवाद देता हूं। अगर इसी तरह से दूसरे लोग अपना इलाका हमसे चाहें तो उनको देना चाहिये जैसा हमने नांदेड़ जिले का तेलगू भाग दिया। यहां पर मैं अनुक्कन् सर्किल के लिये शिकायत करना चाहता हूं।

अब मैं आदिलाबाद के जिले पर आता हूं। आदिलाबाद के दो ताल्लुके किनवट, राजूरा और एक ईसापुर सर्किल इत्तिफाक राय से दिये गये हैं। इनके अलावा और भी चार सर्किल हैं जिनमें मराठी बोलने वाले लोग बहुसंख्या में हैं जैसे वेला सर्किल में आड़ा बाकड़ी और सिरपुर सर्कल हैं, इसी तरह से उटनूर ताल्लुके में मराठी बोलने वालों की संख्या ४५१६ है और इसके अलावा ट्राइबल (गौड़) लोग भी उस ताल्लुके में मौजूद हैं। होम मिनिस्टर साहब ने फरमाया था कि वे बाउंडरी कमीशन [सीमा आयोग] मुकर्रर करने से मजबूर हैं। मैं उनसे अपील करता हूं कि जब तक वह बाउंडरी कमीशन मुकर्रर नहीं करेंगे उस वक्त तक ये झगड़े तय नहीं हो सकते। इन झगड़ों को हम आपस में बैठकर तै नहीं कर सकते। ट्राइबल एरिया वाले हमारी तरफ, महाराष्ट्र में आना चाहते हैं, बाउंडरी कमीशन ही इन मामलों को तै कर सकता है।

इसी तरह से एक ताल्लुका गुलबर्ग जिले में है जिसका नाम अलंद है। उसमें भी मराठी बोलने वाले लोग हैं। अगर आप इस मसले को डिमाक्रेटिक [लोकतंत्रात्मक] उसूल पर तै करना चाहते हैं तो जो मराठी बोलने वाले इलाके हमसे तोड़ कर अलग कर दिये गये हैं उनको हमारे साथ मिला दीजिये। स्टेट्स रिआर्गेनाइज़ेशन बिल [राज्य पुनर्गठन विधेयक] में पहले मराठी बोलने वाले प्रदेश के दो हिस्से किये गये थे लेकिन अब विदर्भ और महाराष्ट्र को एक में मिला दिया गया है। इसके लिये मैं धन्यवाद देता हूं। इसी तरह से मैं चाहता हूं कि ये जो ऊपर बताये हुये मराठी बोलने वाले इलाके हैं उनको भी महाराष्ट्र में मिला दिया जाये जैसे कि ग्रेटर बम्बई के बारे में गवर्नमेंट ने जो नीति अपनाई है। मगर यहां ऐसा नहीं हुआ जिससे महाराष्ट्र पर बहुत बड़ा अन्याय हुआ है। एक तरफ तो बम्बई को उससे अलग किया जा रहा है, जिसके बिना वह ऐसा रह जायेगा जैसे कि बिना सिर पैर के धड़ रह जाता है। दूसरी तरफ यह बहुत से मराठी बोलने वाले इलाके उससे अलग कर दिये गये है। हैदराबाद में डेढ़ सौ साल से हम लोग एक साथ रहते चले आ रहे थे। अब हैदराबाद का विभाजन दो महीने के बाद हो जायेगा और जो हमारे मुत्तसिल जिले हैं वे हमसे बिछड़ जायेंगे। कहा जाता है कि कोई इलाका हिन्दुस्थान के बाहर तो नहीं जा रहा है। यह ठीक है लेकिन जो हमारे और हमारे पास वाले लोगों के रिश्ते थे वे अब अलग होने से टूट जायेंगे क्योंकि हम लोगों को अलग अगल राज्य के कानून मानने होंगे। जो दूसरी भाषा बोलने वाले लोग किसी प्रान्त में जाते हैं उनको उतनी सुविधायें नहीं मिल सकतीं जितनी कि अपने प्रान्त में। उनके बच्चे दूसरे प्रान्त की भाषा नहीं समझ पाते और उनको कठिनाई होती है। हमारे डिपुटी होम मिनिस्टर [गृह-कार्य उपमंत्री] साहब बीदर जिले का दौरा कर चुके हैं। मैं उनसे अपील करुंगा कि हमारे जो इलाके बाहर कर दिये हैं उनको महाराष्ट्र में मिला दें तो बहुत अच्छा होगा।

[श्री वाघमारे]

अब मैं कुछ बम्बई के बारे में कहना चाहता हूं। कहा जाता है कि जब बम्बई निवासियों के दिल के जख्म भर जायेंगे तब हम उसके प्रश्न पर विचार करेंगे। सरकार की तरफ से कहा जाता है कि वह बम्बई को महाराष्ट्र में मिलाने को उत्सुक है। लेकिन सरकार इसके लिये पांच साल का समय चाहती है। मैं कहता हूं कि पांच साल की क्या जरूरत है। अगर आप महाराष्ट्र वालों को शांत करना चाहते हैं तो आपको उनकी जायज मांग को मंजूर करना चाहिये। पंडित जी मानते हैं कि जाग्राफिकली [भौगोलिक दृष्टि से] बम्बई महाराष्ट्र का है। ऐसी हालत में आपको उसे महाराष्ट्र में मिलाने में कोई मुश्किल नहीं होनी चाहिये। इसके अलावा जो और मराठी बोलने वाले इलाके हैं उनको भी महाराष्ट्र में मिलाना चाहिये।

आप कहते हैं कि महाराष्ट्र वालों ने बहुत झगड़े फिसादत किये हैं। मैं उसका विरोध करता हूं। हमने लोकतन्त्रात्मक तरीके से सत्याग्रह करके अपनी मांग आपके सामने रखी है। हम आपको बतला देना चाहते हैं कि जब तक आप बम्बई को महाराष्ट्र में नहीं मिलाते हम लोग शांत नहीं हो सकते और तरक्की भी नहीं कर सकते। इस समय जो महाराष्ट्र का इलाका है उसमें कोई कारखाने नहीं हैं और न उनके लिये सुविधा है। ज्यादातर इलाका खेती का है। उसके अलावा वहां पर और कई व्यावसाय नहीं ह। अगर आर्थिक दृष्टि से देखा जाये तो महाराष्ट्र एक बहुत गरीब राज्य होगा। महाराष्ट्र का सारा दारोमदार बम्बई पर था और वही उससे अलग किया जा रहा है। अगर ऐसा किया गया तो हम महाराष्ट्रीय तरक्की नहीं कर सकेंगे। इसलिये मेरी हाउस से प्रार्थना है कि इस मामले पर वह ठंडे दिल से विचार करे और हमारी जायज मांग को पूरा करे।

अब मैं बाउंडरी कमीशन पर आता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : अब आनरेबल मेंबर का समय खत्म हो गया, उनको अपना भाषण समाप्त करना चाहिये।

श्री वाघमारे : मैं एक मिनट और लूंगा।

अगर आप बाउंडरी कमीशन मुकर्रर नहीं करेंगे तो यह झगड़े नहीं मिट सकेंगे। हम हैदराबाद के भाई डेढ़ सौ साल से एक साथ रहते आ रहे थे। हमने आपस में मिल कर जो कुछ तै किया जा सकता था कर लिया। दो तीन ताल्लुकों का झगड़ा और है। अगर आप बाउंडरी कमीशन मुकर्रर कर देंगे तो वह उन झगड़ों को तै कर देगा। कुछ मराठी बोलने वाले इलाके अभी हमसे बाहर हैं। इसलिये मैं हाउस से और होम मिनिस्टर साहब से प्रार्थना करता हूं कि बाउंडरी कमीशन मुकर्रर किया जाये ताकि सब झगड़ों को तै किया जा सके।

†**श्री शं० शां० मोरे** : उपाध्यक्ष महोदय, मैंने ४१ से ५० तक संशोधन रखे है। हमने प्रधान मंत्री और गृह-कार्य मंत्री के भाषण सुने हैं और देखा ह कि उनके शब्द मधु से भी अधिक मीठे थे। परन्तु केवल मीठे शब्दों से काम नहीं चलता। हम चाहते हैं कि कुछ बातें स्वीकृत की जायें। हम चाहते हैं कि बम्बई महाराष्ट्र का अभिन्न भाग हो।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

जब तक बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखने के विश्वासोत्पदक तर्क नहीं दिये जाते तब तक महाराष्ट्र के क्षुब्ध व्यक्तियों को संतोष न होगा। माननीय गृह-कार्य मंत्री ने अपने भाषण में सारी बातें महाराष्ट्रीयों की मांग के पक्ष में कही हैं, परन्तु लागू किया जाने वाला आदेश उन लोगों के पक्ष में है जो बम्बई को महाराष्ट्र से अलग रखना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, प्रधान मंत्री न बम्बई में अपनी घोषणा में कहा था कि बम्बई के केन्द्रीय प्रशासन में रहते हुये हम इस प्रसाशन में बम्बई के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करना चाहते ह। विधेयक में इस बारे में कोई उपबन्ध नहीं है कि बम्बई के प्रतिनिधियों को सम्मिलित करने का ढंग क्या होगा। हमारा अनुभव यह है कि कार्यपालिका सरकार

---

†मूल अंग्रेजी में।

के नेता प्रदेशों में कांग्रेस नेताओं से ही परामर्श लेते हैं। इस रूप में केवल कांग्रेस प्रतिनिधियों का परामर्श लिया जायेगा तथा यह बात कांग्रेस से बाहर की जनता के लिये अनुचित होगी। बम्बई के प्रत्येक व्यक्ति को यह विदित होना चाहिये कि कौन लोग प्रतिनिधि माने जायेंगे और उनके चुनने का क्या ढंग होगा। अतः मैंने संशोधन रखा है कि बम्बई नगर भाग ग राज्य के बजाय भाग क राज्य बनाया जाय।

†**अध्यक्ष महोदय :** यह एक अलग राज्य होगा।

†**श्री शं० शां० मोरे :** बिल्कुल यह बात नहीं है।

†**अध्यक्ष महोदय :** विधि संबंधी स्थिति क्या है? यह राज्य केवल एक नगर को परिणत करके बनाया जायेगा।

†**श्री शं० शां० मोरे :** हां। संविधान के अनुसार राज्य सरकारों को केवल अनुसूची २ में सम्मिलित बातों का अधिकार है परन्तु अब वह संपूर्ण प्रभुता भी हम किसी और को सन्तुष्ट करने के लिये दीन रहे हैं। अतः मेरी मांग यह है कि बम्बई को भाग क राज्य बनाया जाय। और, यदि आजकल ऐसा करना संभव न हो तो, मैं अनुरोध करता हूं मेरे संशोधन संख्या ४८ को स्वीकार करके बम्बई नगर को निश्चित दिन से दो वर्ष के लिये केन्द्र के अधीन रखा जाय। इस काल में सरकारी नेता और कांग्रेस के नेता महाराष्ट्रीयों और गुजरातियों से जाकर मिलें और द्वेषभाव को दूर करने के लिये प्रयन्न करें। इस काल में उन्हें देश में उचित वातावरण उत्पन्न करना चाहिये ताकि अन्त में बम्बई नगर कहीं भी कोइ असंतोष हुए बिना, और कहीं भी द्वेषभाव उपन्न हुए बिना महाराष्ट्र में मिलाया जा सके।

श्री ह० ग० वैष्णव : श्री० रा० श्री० दीवान, श्री० आल्तेकर और श्रीमती मायदेव ने हमें बहुत ही अच्छी जानकारी दी है। इससे किसी भी ऐसे व्यक्ति को, जो विश्वास करने को तैयार हो, यह विश्वास हो सकता है कि महाराष्ट्र के साथ बड़ा अन्याय हुआ है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या अन्याय के बारे इस बात को विस्तारपूर्वक कहना आवश्यक है? जहां तक सामान्य अन्याय का संबध है, उसका बहुत से माननीय सदस्यों ने बार बार उल्लेख किया है।

श्री शं० शां० मोरे : मैं उस बात का विस्तार नहीं कर रहा हूं। मैंने संशोधन की सूचना दी है, और इस मामले के बारे में मेरी अपनी भावनायें हैं। मैं आशा करता हूं कि आप मुझे अपनी भावनायें व्यक्त करने की अनुमति देंगे। मैं प्रयत्न कर रहा हूं कि सभा वह संशोधन और कम से कम वह भाग स्वीकार कर ले। मुझे विश्वास है कि ऐसा करने के लिये आप मुझे पूर्ण स्वतंत्रता देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे अन्य माननीय सदस्यों को भी समय देना है। माननीय सदस्य साधारण चर्चा के समय भी बोले थे। अब उन्होने संशोधन प्रस्तुत किये हैं और कुछ समय तक बोल चुके हैं। माननीय सदस्य उन सदस्यों को भी कुछ समय देने का प्रयत्न करें जो साधारण चर्चा में अब तक नहीं बोले हैं।

†**श्री शं० शां० मोरे :** मैं समय-सीमा का पालन करूंगा, परन्तु आशा करता हूं कि आप मुझे महाराष्ट्र के मामले का समर्थन करने के लिये मैं जो भी कहना चाहता हूं, जिन बातों के बारे में मैं चाहता हूं कि सभा विचार करे उन्हें कहने की अनुमति देंगे।

†**अध्यक्ष महोदय :** मुझे शक है कि मुझे गलत समझा गया है। मैं यह कहना चाहता था कि साधारण चर्चा में महाराष्ट्र राज्य और बम्बई नगर को उसमें मिलाने या न मिलाने के बारे में बहुत कुछ कहा जा चुका है परन्तु मुझे कुछ और सदस्यों को बोलने के लिये समय देना है। केवल इस बात का ही घ्यान रखते हुए मैं चाहता था कि माननीय सदस्य संक्षेप में बोलें। यदि उन्हें कोई विशिष्ट बात कहनी है, तो उन्हें कुछ समय देने में मुझे कोई आपत्ति नही है। मैं माननीय सदस्य को पांच मिनट और देता हूं।

---

†मूल अंग्रेजी में।

†**श्री शं० शां० मोरे :** मेरा निवेदन है कि बेलगांव जैसे महाराष्ट्र के कुछ भाग जहां पांच लाख से अधिक महाराष्ट्री रहते हैं, कन्नड़ वालों को दे दिये गये हैं। वे मेरे बहुत अच्छे मित्र हैं और मैं चाहता हूं वे उन सारे क्षेत्रों को ले लें जहां की भाषा कन्नड़ है। फिर बेलारी मैसूर को दे दिया गया है और कर्नाटक की क्षतिपूर्ति के लिये करनाटक को महाराष्ट्र का एक भाग दे दिया है।

†**अध्यक्ष महोदय :** क्या माननीय सदस्य ने किसी संशोधन की पूर्वसूचना दी है ?

†**श्री शं० शां० मोरे :** हां। जहां तक महाराष्ट्र का संबंध है, मैंने एक संशोधन की पूर्व सूचना दी है।

†**अध्यक्ष महोदय :** मैं केवल बेलगांव के बारे में पूछ रहा हूं।

†**श्री शं० शां० मोरे :** मैं संशोधन के बिना नहीं बोल रहा हूं। मेरा निवेदन यह है कि जो भाग देना था हम उसे भी रोक रहे हैं और वह भाग देने के लिये जो क्षतिपूर्ति देनी थी उसे भी रोक रहे हैं। सारी बातें कन्नड़ लोगों की इच्छानुसार हो रही हैं और हम महारष्ट्रियों को प्रत्येक बात में हानि उठानी पड़ रही है। यदि आप समूचे विधेयक पर एक साथ विचार करें तो आप देखेंगे कि राज्य पुनर्गठन के मामले में महाराष्ट्र को सर्वाधिक हानि उठानी पड़ी है। अतः मेरा निवेदन है कि सद्भावना, सहयोग की भावना उत्पन्न होने दीजिये, विभिन्न पक्षों को एक दूसरे से मिलने दीजिये तथा मैत्रीपूर्ण समझौता करने दीजिये। यदि यह मामला न्यायोचित ढंग से नहीं सुलझाया जा सकता, तो सीमा आयोग नियुक्त करना ही सब से अच्छा उपचार है। आज कल देश में इस बात की आवश्यकता है कि लोगों को विश्वास हो कि हमारी सरकार प्रत्येक पक्ष के साथ बिना किसी भेद भाव के न्याय करने पर उतारू है। यदि लोगों में यह विश्वास नहीं है, तो महाराष्ट्र या गुजरात ही नहीं अपितु समूचे देश की आर्थिक प्रगति अवरुद्ध हो जायेगी।

श्री रघुनाथ सिंह (जिला बनारस-मध्य) : जहां तक बम्बई का संबंध है, उसके बारे में यहां पर जो वाद विवाद हुआ है उसमें महाराष्ट्र और गुजरात दोनों के ही सदस्यों ने केवल यही सिद्ध करने की कोशिश की है, कि इसका संबंध उनके साथ ही है। मैं यह सिद्ध करने के लिये खड़ा हुआ हूं कि बम्बई का संबंध केवल महाराष्ट्र या सौराष्ट्र से नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान से है। बम्बई इनमें से किसी का भी नहीं है, बल्कि सारे हिन्दुस्तान का है। अगर आप सैकिंड फाइव यीर प्लान [द्वितीय पंच वर्षीय योजना] को देखें तो आपको पता चलेगा कि २० मिलिअन टन कारगो हिन्दुस्तान में आता है जिसमें से कि ७० लाख टन कारगो सिर्फ बम्बई की हारबर पर उतरता है, अर्थात् जो इम्पोर्ट [आयात] या एक्सपोर्ट [निर्यात] कारगो की होती है, उसकी ३७ प्रतिशत सिर्फ बम्बई की हारबर पर ही उतार या चढ़ा कर होती है। इसके अलावा इस प्लान में ७६ करोड़ रुपया हार्बर्स [पत्तनों] की इम्प्रूवमेंट [सुधार] के वास्ते रखा गया है जिसमें से कि २९ करोड़ रुपया सिर्फ बम्बई के वास्ते रखा गया है, अर्थात् ३५ प्रतिशत उस रकम का जो कि हार्बर्स की इम्प्रूवमेंट के लिये रखा गया है, केवल बम्बई के वास्ते अलग रखा गया है।

श्री अ० म० थामस : हम आस्तियों और दायित्वों के विभाजन को नहीं ले रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : ३५ प्रतिशत इम्पोर्ट जो होता है हिन्दुस्तान का वह बम्बई की हार्बर्स से होता है और साथ ही साथ ४० प्रतिशत जो एक्सपोर्ट होता है वह भी बम्बई की ही हारबर्स से होता है। इस प्रकार यदि आप देखें तो आपको पता चलेगा कि बम्बई का संबंध सारे हिन्दुस्तान से है।

इसके अलावा इनकम-टैक्स [आयकर] को ही आप ले लीजीये। इनकम टैक्स से जो आमदनी हिन्दुस्तान को होती है, वह १३३ करोड़ रुपये होती है। इसमें से ४४ करोड़ रुपया केवल बम्बई से होती है, अर्थात् कुल आमदनी का ३० परसेंट केवल बम्बई से आता है। कस्टम्स [सीमा शुल्क] को यदि आप लें तो आपको पता चलेगा कि १६४ करोड़ रुपया सालाना कस्टम से आमदनी होती है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य नियम में है कि पहले संशोधन सभा के समक्ष रखना चाहिये ताकि सारी सभा उस पर वाद विवाद कर सके। माननीय सदस्य को संशोधन का सार देना चाहिये।

श्री रघुनाथ सिंह : मेरा संशोधन है कि बम्बई नगर भाग क राज्य होना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : हम बम्बई नगर राज्य पर चर्चा कर रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : मैं यह कह रहा था कि कस्टम से जितनी आमदनी होती है उसमें से ६६ करोड़ रुपया अर्थात् ४० पर सेंट आमदनी केवल बम्बई की पोर्ट से ही हमें होती है। इनकम-टैक्स तथा कस्टम से जो कुल २९८ करोड़ रुपया आमदनी होती है, उसमें से ११० करोड़ रुपये सिर्फ बम्बई से होती है यानी तकरीबन ४० प्रति शत केवल बम्बई से ही हमें आमदनी होती है।

श्री र० द० मिश्र : इन्होंने केन्द्र की आय का उल्लेख किया है। क्या यह आय 'क' राज्य को दी जानी है?

श्री रघुनाथ सिंह : मैं उस बारे में फिर कहूंगा।

तो मैं यह कह रहा था कि कुल आमदनी का ४० प्रतिशत केवल बम्बई से सैंट्रल रेवेन्यूज [केन्द्रीय राजस्व] में आता है। इस वास्ते मैं कहना चाहता हूं कि वम्बई जो है, इसको एक "ए" क्लास स्टेट बनाया जाये और अगर इसको "ए" क्लास स्टेट नहीं बनाया जा सकता तो इसकी एडमिनिस्ट्रेशन [प्रशासन] की जिम्मेवारी केन्द्र के ऊपर हो। मैं यह भी कहना चाहता हूं कि काश्मीर, पंजाब, राजस्थान, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश ये जो पांच सूबे हैं, [लैंड लाक्ड ये भूमि से घिरे हुये] सूबे है और इनके लिये एक ही पोर्ट है और वह है बम्बई पोर्ट। इस वास्ते मैं यह कहना चाहता हूं कि बम्बई का संबंध सारे भारत वर्ष से है और बम्बई को केवल महाराष्ट्र में ही नहीं रहना चाहिये। यहां पर केवल महाराष्ट्रीय लोग ही नहीं रहते बल्कि दूसरे प्रदेशों के लोग भी रहते हैं। इसमें ६ लाख लोग यू० पी० के आ कर बस गये हैं। इस वास्ते भी या तो इसे सैंट्रल एड्मिनिस्ट्रेशन [केन्द्रीय प्रशासन] में ही रखना चाहिये नहीं तो इसे 'ए' क्लास का रूप देकर इसमें तीन जिले अर्थात् थाना, कोलाबा और रत्नागिरि को मिला दिया जाना चाहिये।

हमारे देशमुख साहब ने अपने भाषण में मंत्रिमंडल पर कुछ आक्षेप किये हैं। उन्होंन कहा है कि मंत्रिमंडल की सलाह से बम्बई का फैसला नहीं किया गया है और उनसे इस बारे में सलाह नहीं ली गई है। उनका विचार था कि पंडित जवाहरलाल नेहरू को अपने आप ही इसके भविष्य का डेक्लेरेशन [घोषणा] नहीं कर देना चाहिये था। मैं उनको याद दिलाना चाहता हूं कि सन् १९१४ में जब इंगलैंड ने वार का डेकलेरेशन किया था तो कोई फैसला मंत्रिमंडल ने नहीं किया था और वहां के प्राइम मिनिस्टर [प्रधान मंत्री] साहब ने इसका डेकलेरेशन कर दिया था। अगर हाउस आफ कामन्स की ट्रेडिशंस [परंपरा] को हम मानते हैं तथा इंगलैंड में जो भी प्रेक्टिस [व्यवहार] प्रिवेल [प्रचलित] करती है उस पर चलते हैं तो प्राइम मिनिस्टिर के लिये यह आवश्यक नहीं था कि वह कैबिनेट से मशिवरा करते। जब ब्रिटेन के प्राइम मिनिस्टर बिना केबिनेट की मंजूरी के १९१४ में वार डिकलेयर कर सकते थे तो अगर पंडित जवाहारलाल नेहरू ने कोइ डिकलेरेशन कर दिया तो इसमें कौन सी हरज की बात थी। इस वास्ते मैं इसमें कोई आपत्ति की बात नहीं मानता हूं।

†**श्री नेसामनी :** मैंने संशोधन संख्या ३८३, १८९, १९० और १९३ प्रस्तुत किये हैं। पहिले संशोधन से मैं "१ जुलाई १९५६" के स्थान पर "२ मई, १९५६" रखना चाहता हूं। इस विधेयक के पुरःस्थापित होते समय उसमें "पुलियारा पहाड़ी पकूथी" शब्द सम्मिलित थे। ऐसा चाहने का कारण यह है कि जिस दिन राज्य सभा ने इस सभा के इस संकल्प को स्वीकार किया कि यह विधेयक विचार करने के लिये संयुक्त समिति को सौपा जाय, यह मामला संसद् के हाथ में आ गया फिर जब यह मामला संयुक्त समिति के सामने आया तो वह भाग पहिले ही निकाला जा चुका था। इसी कारण वहां वह तारीख रखी गई है।

---

†मूल अंग्रेजी में।

[श्री नेसामनी]

मेरा दूसरा संशोधन, संशोधन संख्या १८९, प्रथम संशोधन पर आधारित है। मध्यस्थता के रुप में यह निर्णय किया गया था कि मद्रास राज्य और त्रावनकोर राज्य की सीमा जल धार' के साथ साथ रहे, परन्तु जिस समय यह निर्णय किया गया था उस समय त्रावनकोर-कोचीन में राष्ट्र-पति का राज्य था। उससे पूर्व तामिल क्षेत्रों के १४ सदस्यों ने सर्व सम्मति से यह पास कर दिया था कि सारे का सात शेनकोटा मद्रास में मिला दिया जाये। इसलिये यह बड़े दुःख की बात है कि वहां की सरकार वहां की जनता की इच्छाओं के अनुसार काम नहीं करती। वह लोगों पर व्यर्थ ही अपने निर्णय लाद रही है।

और फिर इस क्षेत्र को विकसित करने के संबंध में त्रावनकोर-कोचीन के पास कोई भी योजना नहीं है, बल्कि वह सरकार जान बूझकर उस क्षेत्र के विकास की ओर कोई ध्यान नहीं देती रही है। १९४० में प्रकाशित त्रावनकोर कोचीन पुस्तिका में उस क्षेत्र के विकास के लिये सिफारिशें की गयी थीं, और यह बताया गया था कि शेनकोटा ताल्लुक में चार नदियां बहती हैं जिनसे लगभग ८५०० एकड़ भूमि की सिंचाई होती है। अब यह किया जा रहा है कि उसका पहाड़ी क्षेत्र, जहां पानी उपलब्ध है, शेनकोटा से अलग कर के उसे केरल राज्य मे मिलाया जा रहा है। इस प्रकार से शेनकोटा के १२२·२ वर्ग मील के क्षेत्र में से ६०·६५ वर्ग मील का क्षेत्र निकाला जा रहा ह। यह एक महान् अन्याय है। इसलिये न्याय पूर्ण यही मांग है कि यह सारा क्षेत्र शेनकोटा मे मिला दिया जाये। राज्य सरकार का यह निर्णय गलत है। इसीलिये मैंने अपने संशोधन संख्या १८९ में यही मांग की है कि वे क्षेत्र शेनकोटा में ही मिला दिये जायें।

मैंने संशोधन संख्या १९० में यह मांग की है कि देवीकुल्लम तथा पीरमेडा को मद्रास मे मिला दिया जाये। इस बारे में मेरी यही प्रार्थना है कि देवीकुल्लम तथा पीरमेडा के प्रश्न का हल सोचते समय हमें उसी सिद्धान्त को अपनाना चाहिये जिसके आधार पर तिरुनेलवेली तथा केरल के सीमा संबंधी झगड़ों का निपटारा किया जाये। मै चाहता हूं कि इस संबंध मे एक सामान सिद्धान्त अपनाये जायें। देवीकुल्लम तथा पीरमेडा में ७० प्रति शत लोग तामिल भाषी है परन्तु फिर भी उसे मद्रास मे नही मिलाया गया है, उसका आधा भाग केरल राज्य मे मिला दिया गया है। मैं चाहता हूं कि देवीकुल्लम, पीरमेडा तथा सारा का सारा शेनकोटा मद्रास राज्य में मिला दिया जाये।

संशोधन संख्या १९१ में मैने यह प्रस्ताव किया है कि संशोधनमें उल्लिखित चार ताल्लुकों को एक अलग जिले के रूप में बना संगठित किया जाये। अजमेर, कुर्ग तथा नीलगिरी की आबादी इन चार ताल्लुको से कम है फिर भी उन्हें एक एक जिला मान लिया गया है, परन्तु इन्हें एक जिला नहीं बनाया गया है। आठ लाख की आबादी के इन चार ताल्लुकों को एक अलग जिला न बनाना पूर्ण रुपेण अनुचित हैं। उन्हें तिरुनेलवेली जिले में मिला देना उचित नहीं है, वे एक अलग जिले के रूप में संगठित किये जा सकते हैं, एक जिलें के योग्य सभी गुण उनमें विद्यमान हैं। इसलिये मैं उस बात की बल पूर्वक प्रार्थना करता हूं कि उन्हें किसी अन्य जिलें में न मिला कर एक अलग जिला बना दिया जाये।

इसके पश्चा लोक-सभा गुरुवार, २ अगस्त, १९५६ के ११ बजे तक के लिये स्थगित हुई।

———

सभा-पटल पर रखे गये पत्र ५५५–५६

निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रख गये :

(१) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५५४, दिनांक ७ जुलाई १९५६ ;

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १५५५, दिनांक ७ जुलाई, १९५६ ।

(२) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६ की उपधारा (२) के अन्तर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक-एक प्रति :—

(१) इंडियन आयरन एण्ड स्टील कम्पनी, लिमिटेड कलकत्ता द्वारा उत्पादित कच्चे लोहे के (कारखाने के) उचित प्रतिधारण मूल्य के संबंध में प्रशुल्क आयोग का प्रतिवेदन (१९५६) ;

(२) वाणिज्य तथा उद्योग मंत्रालय संकल्प संख्या एस० सी० (ए)–२ (१३३), दिनांक २० जुलाई, १९५६ ;

(३) प्रशुल्क आयोग अधिनियम, १९५१ की धारा १६(२)के परन्तुक के अन्तर्गत उपरोक्त (१) और (२) में उल्लिखित पत्रों की एक एक प्रति के विहित समय में न रखे जा सकने के कारणों का वक्तव्य ।

(३) अत्यावश्यक पण्य अधिनियम, १९५५ की धारा ३ की उपधारा (६) के अन्तर्गत निम्न अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(१) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०७७, दिनांक ८ जुलाई, १९५६ ;

(२) अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० १०७७–९, दिनांक ८ मई, १९५६ ।

(४) पंचर्षीय योजना (सामाजिक सेवायें तथा श्रम नीति) के संबंध में समिति "डी" की कार्यवाही के सारांश सहित कार्यवाही की एक प्रति ।

राज्य सभा से सन्देश ५५६–५७

सचिव ने बताया कि राज्य-सभा लोक-सभा की इस सिफारिश से सहमत हो गयी है कि राज्यसभा बिहार तथा पश्चिम बंगाल (राज्य क्षेत्रों का स्थानांतरण) विधेयक पर दोनों सभाओं की संयुक्त समिति में सम्मिलित हो ।

गैर-सरकारी सदस्यों क विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का प्रतिवेदन उपस्थापित ५५७

सरदार हुक्म सिंह ने गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों संबंधी समिति का सत्तावनवां प्रतिवेदन उपस्थापित किया ।

प्राक्कलन समिति की कार्यवाही के सारांश का उपस्थापन . . . ५५७

श्री बलवन्तराय गोपालजी मेहता ने प्राक्कलन समिति की कार्यवाही का सारांश (१९५५–५६) खंड ५, अंक २ और ३ उपस्थापित किया।

विधेयक विचारधीन ५५७–६००

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुर्नगठन विधेयक के खंड २ से १५ पर विचार जारी रहा। चर्चा समाप्त नहीं हुई।

गुरुवार, २ अगस्त, १९५६ के लिये कार्यवलि—

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में राज्य पुनर्गठन विधेयक के खंडों पर और आगे विचार।

———————

भा०स०मु०ना—वि३—२०३ लोक-सभा ५६—२४-७-५७—१९०